खण्ड-387, अंक-4
सोमवार, 12 वैशाख, शक संवत् 1910
(2 मई, 1988 ई0)

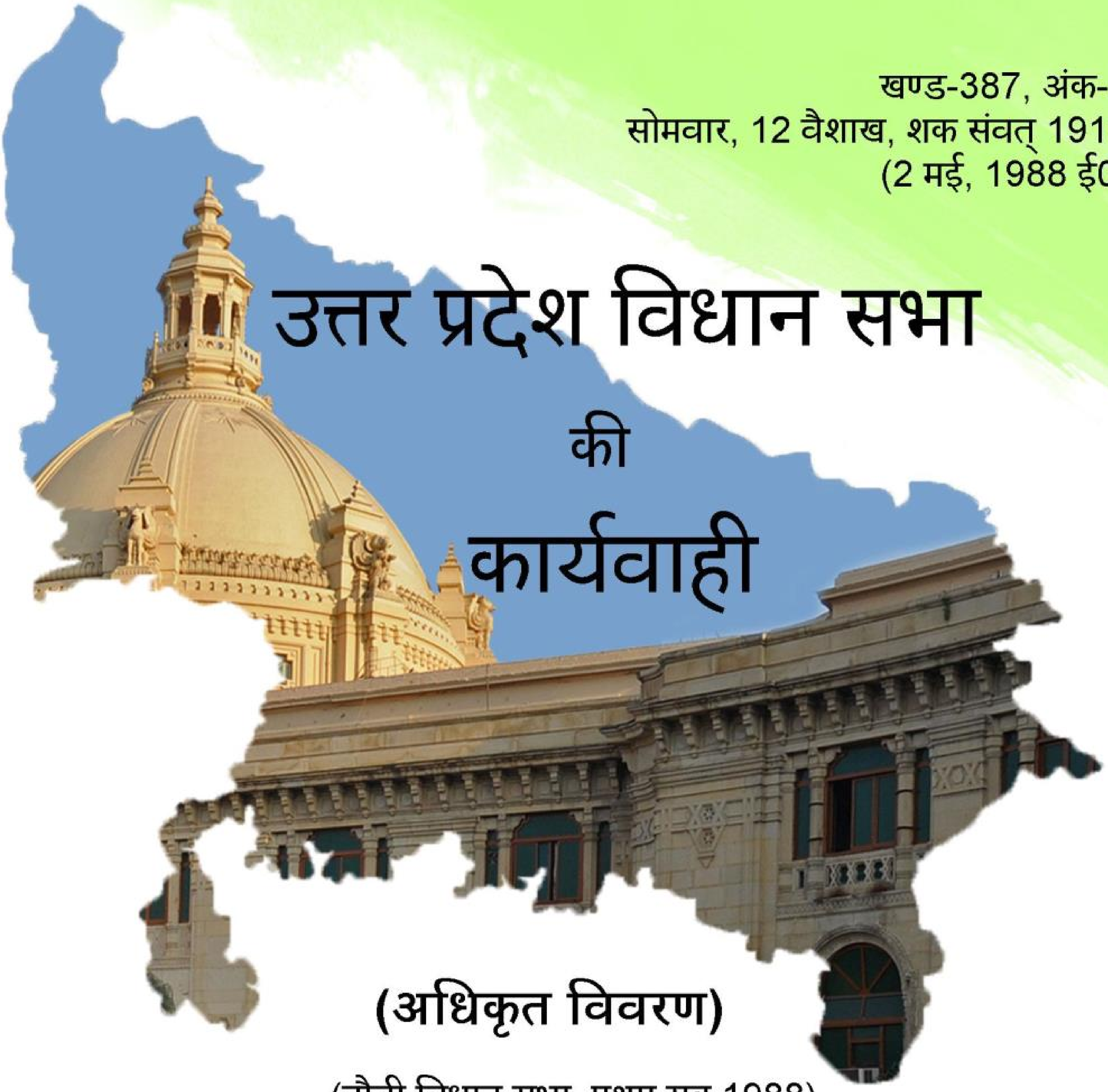

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1988)

खण्ड 387 में 4 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1988

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १० रुपये, महसूल सहित १२ रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1—2
प्रश्नोत्तर	3—79
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जाहिद हसन तथा श्री गिरिजा किशोर मिश्र के निधन पर शोकोद्गार	79—82
पाल नौका 'तृष्णा' से विश्व भ्रमण के प्रथम भारतीय विश्वपाल नौका अभियान की सफलता पर बधाई का प्रस्ताव	82—85
जिला बस्ती के सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिवीजन डी0 यू0-2 में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86—87
जनपद बस्ती में डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी व्यवस्था व चकों की पैमाइश ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87—88
सरयू नहर परियोजना, बहराइच जनपद में करोड़ों रुपये के घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88
श्री एस0 के गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् वितरण खण्ड, रुड़की द्वारा भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	88
सचिवालय डिस्पेन्सरी के कर्मचारियों द्वारा धांधली व मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	88—89
जिला कोषागार, गाजीपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	89—90
गाजीपुर जिलान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी एल0 के0 एस0 अलीगंज, सीतापुर रोड, लखनऊ में अंधकार, गन्दगी तथा मच्छरों के भयंकर प्रकोप होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	90
जिला मेरठ के विकास खण्ड छपरौली के यमुना घाट के ठेके के कर्मचारियों के साथ हरियाणा पुलिस द्वारा अत्याचार करने तथा उन्हें जबरन गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
प्रदेश के राज्य योजना, नियोजन विभाग एवं पी0 पी0 एम0 सेल में व्याप्तभ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	91
दैनिक जागरण समाचार पत्र कार्यालय, गोरखपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा हमला एवं तोड़फोड़ करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	92
फैजाबाद जिलान्तर्गत विकास खण्ड सोहावल मसौधा और पूरा के कतिपय ग्रामों के राजकीय नलकूपों में खराबी एवं टूटी फूटी नालियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	92—93

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रदेश के चमड़े उद्योग में लगे श्रमिकों के वेतन आदि में वृद्धि व सुधार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93
जनपद बहराइच में वर्तनियाघाट स्थित गिरवाफेरी का पेण्टूनपुल के निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग से उसके टूटने तथा खतरा होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	93—94
तहसील बांसडीह जनपद बलिया के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
प्रदेश पुलिस आवास निगम के द्वारा की गयी नियुक्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमिताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	94
जिला कानपुर देहात के बिलहौर क्षेत्र में गुंडों का आतंक व अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	94—95
आगरा जिलान्तर्गत कतिपय ग्रामों में यमुना नदी का पानी विषैला होने तथा पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	95
रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय बरेली का नाम बदलकर बाबा भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, बरेली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	95—96
जनपद बरेली में माइनर उद्योग में लगे श्रमिकों का शोषण समाप्त करने तथा उन्हें सुविधाएं दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	96
जिला झांसी के टण्डन ट्रस्ट नामक संस्था की सम्पत्ति पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96
वाराणसी, गाजीपुर तथा आजमगढ़ आदि जनपदों में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	96—97
ग्राम सराय मोहना ब्लाक चिरईगांव जिला वाराणसी में ग्राम समाज व किसानों की भूमि पर कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97
बाराबंकी जिलान्तर्गत थाना जैदपुर की पुलिस द्वारा लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने व अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	97—98
जनपद वाराणसी की तहसील चन्दौली में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	98
बांदा जनपद के नरैनी विकास खण्ड के पौष्टिक आहार योजना से सम्बन्धित खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार व घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	98—99
आगरा महानगर की सड़क सुधार योजना में हो रहे घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	99
प्लाईवुड फैक्ट्री, जनपद सीतापुर के श्रमिकों को महंगाई भत्ते का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	99
जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड के कतिपय मार्गों एवं पुलियों के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण द्वारा लापरवाही एवं धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100
बलिया जिलान्तर्गत थाना गड़वार के सामने स्थित रविदास मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	100

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद आजमगढ़ के मधुबन बाजार को जल निकासी हेतु पक्की नालियों के निर्माण के संबंध में नियम 301 अन्तर्गत सूचना ..	101
जनपद मुरादाबाद के हिन्दूपुरा क्षेत्र के लेखपाल द्वारा मनमानी व धांधली करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	101
बरेली आवास विकास परिषद् योजनान्तर्गत एक कम्युनिटी सेन्टर बनाने तथा भूखण्ड की बकाया देनदारी माफ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	101
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मनमानी व नागरिक उत्पीड़न करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
बरेली महानगर की सरकारी व नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	102
किदवई नगर कानपुर में श्रीमती साधना देवी को जलाकर हत्या करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
जनपद आगरा के किरावली तहसील में पशुओं के चारे की समस्याओं तथा उनकी मृत्यु से उत्पन्न भयंकर स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
सहकारी चीनी मिल ननौता सहारनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व किसानों के शोषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
गन्ना सहकारी समिति बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमिताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104
राजकीय इण्टर कालेज सूरतगंज, बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
राजकीय कालोनी मोती झील में गन्दगी एवं उसकी सफाई व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	105
तहसील बांसी, बस्ती के साधन सहकारी समिति भवन पर बिजली गिरने से श्री अख्तर अली की मृत्यु तथा फसलों की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
श्री वली उल्ला (सेवा निवृत्ति) प्रवर वर्ग सहायक, उ0 प्र0 सचिवालय की पेंशन के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
ग्राम प्रतापपुर, थाना नरवल, जिला कानपुर में हुए भीषण अग्निकाण्ड से तबाही एवं उसकी क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
सूरतगंज विकास खण्ड, जिला बाराबंकी में सूखा राहत कार्यों में घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
जनपद मुरादाबाद के ब्लाक गजरौल तथा धनौरा के कतिपय ग्रामों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	108
जनपद देवरिया के कसया कस्बे में पटरी दुकानदारों आदि को उजाड़ने तथा पुलिस द्वारा उन्हें उत्पीड़ित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108
पूर्व स्टेट चकर नगर, जिला इटावा के भू0पू0 राजा तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री केहरी सिंह 'जूदेव' को राजनैतिक पेंशन एवं अन्य सुविधायें दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109

विषय	पृष्ठ संख्या
बस्ती जिलान्तगत तहसील नौगढ़ के कतिपय ग्रामों में भयंकर ओलावृष्टि से फसलों की बर्बादी एवं उसकी क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109
गोवा मुक्ति संग्राम सेनानियों को पेंशन आदि सुविधायें दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	109–110
जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में आलू के रख-रखाव विषयक उत्पादकों की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के गठन से सम्बन्धित सृजित पदों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
देवरिया जनपद के बघौचघाट नामक स्थान पर स्वीकृत 33/11 के0बी0ए0 विद्युत् उप-गृह के निर्माण कार्य में विलम्ब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111
जिला उन्नाव के चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	111–112
पुलिस द्वारा कानपुर नगर में कतिपय पार्टियों के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किये जाने से जनाक्रोश के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
जनपद सीतापुर में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
श्री किशोरी रमण इण्टर कालेज, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113
फैजाबाद जनपद के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113
प्रदेश के सूखा पीड़ित कृषकों के ऋण वसूली को रोकने तथा लगान माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	113
झांसी जिलान्तर्गत मोंठ गुरसराय व बामौर ब्लाकों में सूखा राहत तथा ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114
जनपद बाराबंकी की तहसील राम सनेहीघाट के ओला व सूखा पीड़ित किसानों की लगान माफ करने तथा अन्य सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114
जिला मुरादाबाद में फल उद्यान विभाग के फार्म द्वारा आलू का प्रति एकड़ पैदावार कम किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114–115
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें ..	115–116
प्रदेश खनिज विकास निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद सदन में इसकी चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	116
सूखे के समय में सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली को पानी देने के विषय में मुख्य मंत्री द्वारा सदन से बाहर घोषणा करने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	131
देवरिया जनपद के पथरदेवा तथा कसया विकास खण्ड के बीच खनुआ नदी पर नारायनपुर के निकट तिरमुहानी घाट पर पक्का पुल के निर्माण विषयक श्री गोरख मिश्र की तथा देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड मुख्यालय के कस्बा पथरदेवा में पेयजल टंकी का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री विजय बहादुर दुबे की याचिका (उपस्थित की गई) ..	131
दिनांक 3 जुलाई, 1987 को सदन में कृषि अनुदान पर दिये गये भाषण अंश में त्रुटि के कारण कृषि मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य ..	131—132
प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु समय व तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	132
मद संख्या—11 से सम्बन्धित श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत संकल्प तथा मद संख्या 12 से सम्बन्धित दिनांक 13 जुलाई, 1987 को प्रस्तुत किये गये श्री गोपाल दास यादव एवं श्री रघुवर दयाल वर्मा के संकल्प का स्थगन ..	132—133
देव विद्यालय इण्टर कालेज करौली फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	133
सहारनपुर की पुलिस द्वारा एक ही बिरादरी के लोगों को मारने पीटने तथा आतंकित करने के सम्बन्ध में नियम 110 के अन्तर्गत सूचना ..	133—134
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1988 (पारित) ..	134—135
सदन के अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	137—136
नत्थियां	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 2 मई, 1988 ई0

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अमीर आलम खां, श्री	मुजफ्फरनगर
आर0 एन0 पाठक, श्री	कानपुर
ओमप्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल, श्री	पीलीभीत
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
गंगा स्वरूप मटनागर, श्री	सीतापुर
गौरी शंकर, श्री	इटावा
चन्द्र सेन, श्री	जौनपुर
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
देव कुमार यादव, श्री	बांदा
नत्थू लाल विकल, श्री	बरेली
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रेमीला बटूवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं
भोला शंकर मौर्य, श्री	बदायूं
मंगलदेव, श्री	गोण्डा
मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री	बस्ती
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री	एटा
रामनाथ मुंशी, श्री	गाजीपुर
रामलखन, श्री	गोरखपुर
रामसिंह एडवोकेट, श्री	मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
सईदुज्जमा, श्री	मुजफ्फरनगर
सतीश अजमानी, श्री	खीरी
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली।

विधान सभा सचिवालय

प्रश्नोत्तर]

सोमवार, दिनांक 2 मई, 1988 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल एवं हाईस्कूल विद्यालयों में मनमाने ढंग से ली जाने वाली फीस का नियंत्रण

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही तथा श्री माता प्रसाद पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल एवं हाईस्कूल स्तर पर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त ऐसे विद्यालय भी चल रहे हैं जो मनमाने ढंग से फीस ले रहे हैं? यदि हां, तो इस मनमानी फीस को नियंत्रित करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

प्रदेश में मान्यता प्राप्त विद्यालय में निर्धारित दर से ही फीस ली जाती है, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं के लिये कोई शुल्क निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मेरा प्रश्न प्रदेश की ज्वलन्त समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अपने क्षेत्र के भीतर बहुत से ऐसे विद्यालयों की बाढ़ हो गई है, जो मनमाने ढंग से चल रहे हैं और मनमाने ढंग से फीस ले रहे हैं, इसलिये मैंने अपना यह प्रश्न पूछा था। मैंने पूछा था कि क्या ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी, इस सवाल पर बिल्कुल चुप हो गये हैं, मूक हो गये हैं और यह मूक हैं भी और सरकार ही मूक है, तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की जानकारी में है कि ऐसे विद्यालय चल रहे हैं ? इन शिक्षण संस्थाओं में मनमाने ढंग से फीस ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या उस पर रोक लगाने के लिये कोई भी कार्यवाही की जाएगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की जाएगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निर्धारित दर से ही फीस ली जाती है। जो मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उसकी सूचना विभाग को नहीं है और इसलिये इस सिलसिले में कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। जिसको मान्यता की जरूरत होती है, वह शिक्षा विभाग से मान्यता की मांग करते हैं और मान्यता की जो शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर जो मान्यता दी जा सकती है तो मान्यता जाती है, चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यह चल रहे होंगे तो हमारे यहां इन्फार्म करेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपिल्स अर्थात् नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था राज्य सरकारों के लिये की है कि वह समय-समय पर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे, तो इन विद्यालयों में जो 14 वर्षों से कम आयु के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिये इन नीति निर्देशक तत्वों को मानते हुए क्या

सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी ? और जो गैर सरकारी विद्यालय चल रहे हैं उन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाएगी कि जो अधिक से अधिक फीस लेकर पढ़ाते हैं उनके यहां से निकलने वाले बच्चों को निकलने के बाद मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश लेने से बाधित कर दिया जाय ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, जहां तक संविधान के नीति-निदेशक तत्व का सवाल है, अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का शासन की तरफ से प्रयास किया जायगा, ऐसा कहा गया है, तो इसमें शासन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। जो संसाधन हैं उसके अनुसार प्रयासरत हैं। छः वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक के बच्चों को 1990 तक शिक्षा देने की व्यवस्था करेंगे। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 1995 तक शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जहां तक यह सवाल है कि जो मान्यताप्राप्त स्कूल नहीं है, वह लोग फीस ले रहे हैं, वहां जो बच्चों के प्रवेश का सवाल है वहां नियमों के मुताबिक प्रवेश लिये जायेंगे। जहां तक इन स्कूलों पर रोक का सवाल है हमने यह निश्चय किया है कि स: बच्चों को शिक्षित करेंगे तो यह विद्यालय हमारी नीति के अनुसार तो शिक्षा देने का काम ही रहे हैं, तो इस पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

श्री फरीद महफूज किदवई—

जो प्राइवेट स्कूल हैं चाहे वह इन्टर कालेज हों चाहे हाई स्कूल हों वह कभी दीवार बनाने की मद में, कभी छप्पर बनाने की मद में पैसा मांगते हैं तो यह जायज है या नाजायज है ? अगर नाजायज है तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर जो प्राइवेट विद्यालय चलाए जाते हैं, उनमें अधिक से अधिक 15 रुपया फीस लेने की नीति है। विद्यालय के मैनेजमेन्ट के लोग अगर किसी और माध्यम से और पैसा मांगते हैं और अभिभावक देना चाहते हैं, तो उसमें हमारी तरफ से कोई रोक लगाने की बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उत्तर प्रदेश में मान्यताप्राप्त विद्यालयों में निर्धारित दर से फीस ली जाती है यह कहा गया जो कि सत्य से परे है। मान्यवर, सीतापुर के सेक्रेट हार्ट इन्टर कालेज तथा ऐसे अन्य स्कूल हैं जहां निर्धारित मात्रा से अधिक फीस ली जाती है यदि माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है तो यह जानकारी कर लें, और अगर यह सही है कि वह निर्धारित मात्रा से अधिक फीस ले रहे हैं तो उनकी मान्यता खत्म कर दें।

श्री संकटा प्रसाद शास्त्री—

माननीय विधायक जी ने सीतापुर के बारे में कहा है आप मुझे उस विद्यालय के विषय में लिखकर दे दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि जो स्कूल अधिक फीस ले रहे हैं उनकी मान्यता खत्म करेंगे ? मैंने सीतापुर के विद्यालय का नाम बता दिया है, यह सेक्रेट हार्ट इन्टर कालेज है, अब इसको लिखकर देने का क्या तात्पर्य है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसको हम दिखवा लेंगे। इसमें जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री गौरी शंकर भइया—

शाही जी के प्रश्न से सम्बद्ध और मंत्री जी के प्रश्न से संबंधित मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि एक कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल महिलाओं को चलाने के लिये दे दिए जायेंगे ? यदि हां तो क्या सरकार की इस प्रकार की नीति है और क्या उसे सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, सदन के बाहर समाचार-पत्रों में कोई चीज प्रकाशित होती है तो समाचार पत्रों का संदर्भ लेकर यदि यहां कोई सवाल किया जा रहा है तो उसका जवाब नहीं दे सकूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा था कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में जो मान्यताप्राप्त हैं निर्धारित शुल्क लिया जाता है। तो क्या इस बात की मंत्री जी गुप्तचर जांच करवायेंगे कि बलिया में सुदिष्ट बाबा इन्टर कालेज से संबंधित प्राइमरी स्कूल को छोड़कर जितने भी मान्यताप्राप्त प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं, सारे विद्यालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है तो क्या इसकी गुप्तचर जांच करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय मैनेजर सिंह पूरे बलिया जिले के बारे में बात कह रहे हैं कि अधिक शुल्क लिया जा रहा है तो अगर आप उन विद्यालयों के नाम लिखकर दे दें तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री मैनेजर सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर पूरे जिले के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे जहां तक जानकारी है जो निर्धारित शुल्क है उससे अधिक नहीं लिया जा रहा है। आप विद्यालयों के नाम बता दें जहां पर अधिक शुल्क लिया जा रहा है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री मंनेजर सिंह—

मान्यवर, यह शासन अंधा है, बहरा है, गूंगा है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, इनकी जो शिक्षा नीति है उसके कारण ऐसा भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में फैला हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इनके जो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें शिक्षा हो ही नहीं रही है लिहाजा प्राइवेट स्कूलों को मान्यता प्रदान किया है और उनमें जो फीस निर्धारित है उससे अधिक ली जा रही है। इसलिए भ्रष्टाचार को रोकने, छात्रों को तथा अध्यापकों को शोषण से बचाने के लिये क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में निर्देश देंगे, या कोई कमेटी गठित करेंगे और इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह जनरल सवाल कर रहे हैं। शासन को जिस विद्यालय के बारे में पता चलेगा कि अधिक शुल्क लिया जा रहा है तो उसकी जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। आप बता दें कि इन-इन विद्यालयों में अधिक फीस ले रहे हैं तो जांच करवाकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, उत्तर नहीं आ रहा है। माननीय उपाध्याय जी मा0 बल्देव सिंह आर्य जी से कहें कि हस्तक्षेप करें।

श्री शारदानन्द अंचल—

मान्यवर, पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने एक तरह से जमींदारी का रूप ले लिया है। शिक्षकों को कम से कम वेतन दिया जाता है और छात्रों से अधिक फीस ली जा रही है तो क्या कोई ऐसी नीति निर्धारित करने की कृपा करेंगे। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाय और शिक्षकों को वाजिब वेतन दिया जाय ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, शुल्क के विषय में निश्चित नीति निर्धारित है, उससे अधिक फीस वह नहीं ले सकते। जिन विद्यालयों के विषय में सूचना मिलेगी कि वह निर्धारित शुल्क से अधिक फीस लेते हैं, तो कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)—

मान्यवर, इस सदन में कई माननीय विधायकों ने इस बात को कहा है कि इन-इन विद्यालयों में अधिक फीस ली जा रही है और अध्यापकों को कम वेतन दिया जा रहा है। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने सीतापुर के एक विद्यालय का उल्लेख किया, तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसकी जांच करा ली जायगी, अच्छा कहा। माननीय मैनेजर सिंह जी ने बड़े चुनौती भरे तरीके से कहा कि पूरे बलिया जिले में एक विद्यालय को छोड़ कर, जिसका नाम भी लिया कि सभी विद्यालयों में निर्धारित शुल्क से अधिक फीस ली जा रही है और अध्यापकों का शोषण किया जा रहा है। माननीय मित्रसेन यादव, माननीय राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जनरल सवाल तो नहीं है, बलिया जिले के एक विद्यालय को छोड़कर अगर सभी विद्यालय के विषय तो मैं कहते हैं, तो आप 10 विद्यालयों को से

लीजिए, आप 7 विद्यालयों को ले लीजिए। आप बलिया जिले के सारे विद्यालयों को न ले करके 10 या 7 विद्यालयों की जांच कराने की कृपा करेंगे ? जिससे कि मामला सुलझ सके और बच्चों के अभिभावकों को अधिक फीस न देना पड़े और अध्यापकों को उचित वेतन मिल सके।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री--

मान्यवर, माननीय हरीश जी ने वही सवाल किया जो माननीय मैनेजर सिंह ने किया था। लेकिन मान्यवर, न तो माननीय मैनेजर सिंह ने किसी विद्यालय का नाम लिया और न ही माननीय हरीश जी ने किसी विद्यालय का नाम लिया, तो मान्यवर, पूरे बलिया जनपद भर की जांच किस आधार पर कराई जायेगी। माननीय हरीश जी जिस किसी विद्यालय का नाम बता दें, तो जांच कराई जा सकती है।

श्री हरदेव--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि जहां पर बेसिक विद्यालय, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल कायम हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार के प्राइवेट स्कूल शिशु मंदिर की तरह के स्कूल खोल दिये गये हैं, जहां पर बच्चों के गार्जियन और अध्यापकों का शोषण होता है, वहां पर बच्चों से निर्धारित शुल्क से अधिक फीस ली जाती है और अध्यापकों को कम वेतन दिया जाता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसे विद्यालयों को मान्यता न दी जाय। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि काशी अनाथालय में 1200 छात्रों को दिखाया गया, जब कि उसमें केवल 9 छात्र ही हैं, और जो विद्यालय अलग हैं, उसके 1,200 छात्र उसमें दिखाये गये हैं और वहां के अध्यापकों को उत्पीड़ित किया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुखपाल पाण्डे--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि सरकार की तरफ से जो विद्यालय चलाये जा रहे हैं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण अभिभावक लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए अपनी स्वेच्छा से भेजते हैं और हमारे माननीय सदस्य लोग जो इसका विरोध करते हैं, वे स्वतः अपने बच्चों को कान्वेन्ट जैसे स्कूलों में भेज कर फीस के प्रतिबन्ध को तोड़ कर ऐसा करते हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि इसका क्या कारण है कि अभिभावक लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में न भेज कर सरस्वती शिशु मंदिर जैसे प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और ज्यादा फीस देते हैं ? मेरा दूसरा सवाल यह है कि ऐसे स्कूलों में, जो प्राइवेट चल रहे हैं, और जिसमें ज्यादा फीस ली जाती है, उसमें अभिभावक लोग अपने बच्चों को स्वेच्छा से पढ़ने के लिये भेजते हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न इतना व्यापक है कि उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है।

श्री भौरी शंकर मइया--

मान्यवर, दो स्कूलों का नाम मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर भेज दीजिए ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत व्यापक प्रश्न है । मान्यवर, कई स्कूलों के नाम बताये गये सारे प्रदेश में ऐसे अनेकानेक स्कूल हैं, जहां पर फीस ज्यादा ली जाती है । क्या माननीय मंत्री जी प्रत्येक जनपद के अन्दर शिक्षा विभाग के अलावा किसी गजटेड आफिसर को भेज कर जांच करायेंगे कि प्रत्येक जनपद में कहां-कहां पर ज्यादा फीस ली जाती है ? अन्यथा इसका जवाब सही नहीं देते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दें, ताकि इसकी जांच हो सके और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, यह मामला प्रश्न एवं संदर्भ समिति में जाने वाला नहीं बनता है । शासन की तरफ से हम बराबर नये विद्यालय खोल रहे हैं और पहले से जो विद्यालय चल रहे हैं, उसमें हम समुचित व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें टाट-पट्टी, ब्लैक बोर्ड, लोटा-बाल्टी आदि की व्यवस्था हम कर रहे हैं। सारे सामान जो विद्यालय में होने चाहिए, वह हम वहां पर दे रहे हैं । अब अगर कोई अभिभावक प्राइवेट स्कूल की चमक-दमक को देखकर अपने बच्चों को उसमें भेजता है, तो वह अभिभावक अपनी मर्जी से भेजता है । हम तो अपने स्कूलों में समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। जहां तक माननीय सदस्य ने जांच की बात कही कि किसी अधिकारी को भेज कर जांच करा ली जाय, तो मान्यवर, इसमें कोई जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, तथाकथित समाजवादी सरकार के नापाक चेहरे को इस प्रश्न ने उजागर कर दिया है । लखनऊ में तमाम ऐसी संस्थायें हैं, जो मनमाने ढंग से शिक्षा शुल्क वसूल कर रही हैं जैसे सिटी मांटेसरी स्कूल कुख्यात है । कक्षा 5 से नीचे के विद्यालयों में प्रत्येक माह 150 रु0 से अधिक फीस ली जाती है और ऐसी ही दूसरी संस्था जिसमें शिक्षा राज्य मंत्री जी का स्वयं का लड़का पढ़ता है, सेन्ट फ्रांसिस स्कूल, वह भी मनमाने ढंग से 15 रु0 से अधिक 70 रु0 के करीब फीस लेता है । क्या सरकार ऐसी शिक्षण संस्थाओं की जांच करायेगी और उनके शुल्क निर्धारित करने पर विचार करेगी ? क्या सरकार शासन के सभी मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों को निर्देशित करेगी कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं के आयोजनों में वे सम्मिलित न हों ? यदि हां, तो कब से कब तक, और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों की भांति सेलेक्शन ग्रेड दिया जाना

*2—श्री अफसर यू0 अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक भी सरकारी कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो अन्य विभागों के सरकारी कर्मचारियों की भांति दस वर्ष की सेवा अवधि पर उन्हें भी सेलेक्शन ग्रेड क्यों नहीं दिया जा रहा है ? क्या दस वर्ष सेवा पर उक्त अध्यापकों को भी सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जायगा । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा) —

राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक राजकीय कर्मचारी हैं किन्तु इनकी स्थिति अन्य राजकीय कर्मचारियों से भिन्न है ।

नियमित शिक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड दिनांक 18-12-81 को शिक्षक प्रतिनिधियों से हुए समझौते पर 16 वर्ष की संतोषजनक नियमित सेवा के आधार पर दिया जाता है ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता था कि क्या उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की वही स्थिति है जो प्रदेश में कार्यरत अन्य सरकारी कर्मचारियों की है, इस पर मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि उनकी स्थिति भिन्न है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनकी स्थिति अन्य सरकारी कर्मचारियों से किस प्रकार भिन्न है ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो समझौता आपने शिक्षकों के साथ किया क्या उसमें सरकारी विद्यालयों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि एक ही मानकर एक ही तरह के कर्मचारियों के साथ दो तरह का मानक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधा प्राप्त है, वह सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं । ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जो अफसर साहब ने जानना चाहा है कि जो सामान्य राजकीय कर्मचारी हैं तथा जो शिक्षक हैं उनके उसमें क्या भिन्नता है ? एक तो यह चीज आपने जाननी चाही, मैं यह बतला दूं कि जो सामान्य राजकीय कर्मचारी हैं और जो शिक्षक वर्ग हैं इनमें जो भिन्नता है वह यह है कि जो शिक्षक हैं चाहे कर्मचारी हों चाहे गैर सहायताप्राप्त हों या सहायताप्राप्त अशासकीय में हों, उन सभी शिक्षकों के बारे में कह रहा हूं उन्हें वैकेशन जो गर्मी की छुट्टी मिलती है, वह अनुमन्य है ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

मान्यवर, मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं कि जो मान्यताप्राप्त कर्मचारी हैं, उनको क्या मिल रहा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति अन्य सरकारी कर्मचारियों से किस प्रकार भिन्न है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, आप उत्तर तो सुन लें । जो राजकीय शिक्षक हैं अथवा शिक्षक हैं उनको वैकेशन अनुमन्य है जब कि राजकीय कर्मचारियों को वैकेशन अनुमन्य नहीं है जो कि गर्मी की छुट्टी मिलती है । दूसरा मान्यवर, जो शिक्षक हैं और जो राजकीय शिक्षक हैं वे उपार्जित अवकाश वर्ष में एक दिन का अर्जित करते हैं जबकि राजकीय कर्मचारी वर्ष में 31 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करते हैं ।

श्री नरेन्द्र देव—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को कोर्स पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा कक्षाएं लेनी पड़ती हैं, अतिरिक्त श्रम भी करना पड़ता है । वह ग्रीष्मकालीन अवकाश अगर पाते हैं तो उसके बदले वह अधिक श्रम भी करते हैं आपका यह आधार कि ग्रीष्मकालीन अवकाश पाने से अन्य कर्मचारियों से भिन्न हैं क्या इस पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, हालांकि जो बात हमारे तेजस्वी नवयुवक माननीय विधायक जी ने कही है, एक्स्ट्रा

क्लासेज तो हर जगह अध्यापक ले रहे हैं । वह राजकीय स्कूलों की बात कर रहे हैं, गैर राजकीय स्कूलों में भी ले रहे हैं, हर जगह अध्यापक बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मान्यवर, जहां तक सुविधा देने की बात है, मैंने वही बतलाया कि वह सुविधा राजकीय कर्मचारियों की अलग है और उनकी अलग है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि चूंकि अध्यापकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाता है और वह सुविधा राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य नहीं है इसलिये सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जा सकता है । मान्यवर, जो राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक हैं, वे भी टेक्नीकली सरकारी कर्मचारी हैं । सरकारी कर्मचारियों की भांति उन्हें सारी सुविधायें उपलब्ध हैं । उन पर भी वही पाबंदियां लागू होती हैं जो सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती हैं । मान्यवर, जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है, वह कोई अध्यापकों के कहने पर नहीं दिया जाता है, वह कोई अध्यापकों के हित में नहीं दिया जाता है । यह तो बहुत ही साईकालोजी का मामला है, लड़के इतने दिन पढ़ते हैं, उनके रिलेक्सेशन के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है लड़कों के लिये रिलेक्सेशन के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश रहता है न कि अध्यापकों के लिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं तो इन्हें समझा रहा हूं कि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश की बात यह कह रहे हैं वह यह अध्यापकों के हित में नहीं देते हैं, वह तो जो छात्र हैं, उनके रिलेक्सेशन के लिये यह अवकाश रहता है । मान्यवर, उस ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी अकसर अध्यापकों को यहां बुलाया जाता है । मैं भी टीचर हूं । कभी-कभी उस ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रधानाचार्य महोदय अध्यापकों को बुलाते रहते हैं । इसलिये यह कथन इनका सत्य से परे है । इसलिये जो आपने ग्रीष्मकालीन अवकाश का तर्क दिया, उसमें कोई लाजिक नहीं है । इसलिये मैं यह जानना चाहूंगा कि अध्यापकों को भी सरकारी कर्मचारियों की भांति ही समान सुविधायें देने का आश्वासन देंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय ओझा जी ने जिस तेजस्वी ढंग से बात कही लगा जैसे द्रोणाचार्य का सा रूप उनका प्रकट हुआ है । मान्यवर, जो उन्होंने बात कही शिक्षकों के बारे में कि बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत सही कहा है । लेकिन, मान्यवर मैंने पूरी स्थिति पहले ही आपके सामने रख दी । शिक्षकों को एक सुविधा और प्राप्त है, वह यह है कि शिक्षक रिटायर भी हो रहा हो और पहले ही उसकी तारीख पड़ रही हो, लेकिन उसे आटोमेटिकली 30 जून तक सेवा विस्तार मिल जाता है, जब कि सरकारी कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है । इसलिये मान्यवर इस पर कोई विचार नहीं किया गया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में कुछ विद्यालय जो आज सरकारी हैं, 10–12 साल पहले प्राइवेट थे या मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से चलाये जा रहे थे । उन विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक अब सरकारी रूप से लेकिन 10–12 साल से उनको सेलेक्शन ग्रेड या प्रोन्नति की जो सुविधा सरकारी कर्मचारियों की भांति मिलनी चाहिये थी, वह आज तक नहीं दी गयी.

मैं जानना चाहूंगा कि कब तक ऐसे कार्यरत अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों की तरह समान वेतन और समान रूप से सेलेक्शन ग्रेड आदि की सुविधा देने की कृपा करेंगे ? इस पर माननीय मंत्री जी का आश्वासन चाहूंगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पर्वतीय क्षेत्र के जिन विद्यालयों की बात कही है, उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माननीय ओझा जी को द्रोणाचार्य कहा, मान्यवर, इधर से कुछ शिखंडी-शिखंडी की आवाजें आ रही थीं, तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि यह शिखंडी किसके लिए कहा गया है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय गुप्त जी बैठें, माननीय अफसर यू0 अहमद को मैंने बुलाया है ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 1981 में शिक्षकों से कोई समझौता हुआ था, जिसमें सेलेक्शन ग्रेड 16 साल पर देने की बात कही थी ? 16 साल पर जो सेलेक्शन ग्रेड देते हैं सरकारी शिक्षकों को और गैर सरकारी शिक्षकों को, सरकारी शिक्षक और गैर सरकारी शिक्षक एक ही परिभाषा में हैं, माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि शिक्षक का पद लाभ का पद नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, समय का ध्यान रखें ।

श्री अफसर यू0 अहमद—

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूं । मान्यवर, मेरा तो कहना है कि शिक्षकों को तो आपको 8 साल पर ही सेलेक्शन ग्रेड देना चाहिये ।

मान्यवर, मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूं कि जो हमारे गैर सरकारी शिक्षक हैं, उनको तो हर प्रकार की एक्टीविटीज में भाग लेने की इजाजत आपने दे दी है, लेकिन जो हमारे सरकारी शिक्षक हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं है । आपने सरकारी शिक्षकों को उनके नेताओं से बात करके एक स्थान पर खड़ा कर दिया है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती तो उनको 16 साल पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है, जब कि गैर सरकारी शिक्षकों को 10साल पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जा रहा है, दोनों को यह सुविधा समान न होने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकताप्राप्त तारांकित प्रश्न।]

गैर सरकारी मान्यता प्राप्त एवं सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को राजकीय कर्मचारियों के समान अवकाश प्राप्त करने पर पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान करने की माग

*1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन एवं ग्रैच्युटी का भुगतान 60 प्रतिशत मंहगाई जोड़े बिना ही किया जा रहा है जब कि राजकीय कर्मचारियों को अवकाश प्राप्त करने पर 60 प्रतिशत मंहगाई मिलाकर पेंशन एवं ग्रुच्युटी का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो यह असमानता कायम रखने का क्या औचित्य है? इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जायेगा?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जी हां।

प्रकरण शासन के परीक्षाधीन है। यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा कि पहला सवाल चल रहा था, उसी से मिलता जुलता हुआ यह सवाल भी है। मान्यवर, सरकार की तरफ से वेतन समिति की रिपोर्ट आई और सरकार ने घोषणा किया कि राजकीय कर्मचारी शिक्षकों की ही भांति गैर सरकारी मान्यता एवं सहायता प्राप्त शिक्षकों को एक समान वेतन नीति घोषित की गयी है। मैंने जानना चाहा था कि जो राजकीय कालेज के अध्यापक हैं, उनको 60 प्रतिशत मंहगाई मिलाकर ग्रैच्युटी का भुगतान किया जाता है, जब कि गैर सरकारी शिक्षकों में 60 प्रतिशत मंहगाई जोड़कर भुगतान नहीं किया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने सिद्धान्तः यह बात घोषित कर दी कि राजकीय शिक्षकों और गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और सुविधाओं में एक प्रकार की समानता होगी, तो इसमें विसंगति कायम रखने का क्या कारण है तथा राजकीय कर्मचारी शिक्षकों की ही भांति गैर सरकारी शिक्षकों को भी उसी भांति निर्देश लागू न करने का क्या कारण है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जनवरी 1-86 को मिलने वाले केन्द्रीय सरकार के डी0 ए0 के अनुसार ही, राजकीय कर्मचारियों के लिये भी डी0 ए0 स्वीकृत हुआ और यह हमारे यहां 1-1-1986 से सभी के लिये स्वीकृत हो गया है। गैर सरकारी जो शिक्षक हैं, उनके लिये इसका आगणन किया जा रहा है और जैसे ही आगणन पूरा हो जायगा, वैसे ही इसके निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं, जानना चाहता हूं कि विसंगतियों और विषमताओं को देखते हुए राजकीय शिक्षक और मान्यताप्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों में जो अंतर व्याप्त है, उसको दृष्टिगत रखते हुए क्या पूरे प्रदेश में एक सी शिक्षा व्यवस्था, एक से वेतन लागू करने के लिये प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का सरकारीकरण करने का कोई प्रस्ताव शासन के परीक्षाधीन है, यदि हां तो इसे कब तक लागू कर दिया जायेगा?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने अपने प्रश्न का जो प्रथम हिस्सा कहा है और जो उनको चिन्ता है, उसी चिन्ता से हम भी ग्रस्त हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि उसका आयगन कराया जा रहा है और आगणन के पूरा होते ही निर्देश जारी कर दिये जायेंगे। माननीय गुप्त जी को भी [illegible] मिलेगा। दूसरी बात जो आपने कही है, वह संप्रतिम नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आगणन कराया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय केन्द्रीय सरकार के हिसाब से यह योजना लागू करने का निश्चय किया गया, उस समय राजकीय कर्मचारियों और गैर सरकारी शिक्षकों दोनों के लिये आगणन एक साथ ही क्यों नहीं कराया गया, ठीक है नहीं कराया गया, लेकिन अब यह इसे कब से लागू करेंगे उस तिथि से, जिस दिन से राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को यह सुविधा प्राप्त है, या फिर उस तिथि से, जिस दिन से इसका निर्णय होगा। मैं समझता हूं कि गैर सरकारी और मान्यता प्राप्त शिक्षकों के साथ यह घोर अन्याय होगा। इसलिये माननीय मंत्री जी उसे पूर्वकालिक प्रभाव से लागू करने की कृपा करेंगे। राजकीय स्कूलों व गैर राजकीय स्कूलों के बीच में जो समझौते हुए हैं, जो सुविधायें दी गई हैं और उसके बारे में राजकीय स्कूलों के संबंध में जो राजाज्ञा निर्गत हो चुके हैं, आगणन के अभाव में वे शासन स्तर पर लम्बित पड़े हुए हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे सभी सुविधायें जो राजकीय अध्यापकों को दी गई हैं, उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निर्गत करने की कृपा करेंगे? और क्या वे सुविधायें पूर्वकालिक प्रभाव से लागू होंगी?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, श्री गुप्ता जी ने जो पहली बात कही है, वह सही है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये सुविधायें 1 जनवरी, 1986 से दी गई हैं और उसी तिथि से मानी जायेंगी, इसकी चिन्ता आप न करें। दूसरा, उन्होंने पूछा है कि इस सरकारी और गैर सरकारी में देरी क्यों होती है। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो राजकीय हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं उनकी संख्या 900 के लगभग है, परन्तु जो गैर सहायता प्राप्त व सहायता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल हैं, उनकी संख्या 4000 से भी अधिक है। उनसे सारी सूचनायें मंगाई गई हैं, उसमें कुछ कठिनाई भी होती है। जब वे सारी सूचनायें आ जायेंगी तो हमारा शिक्षा विभाग उन्हें वित्त विभाग को भेजेगा और वित्त विभाग की स्वीकृति आने पर ये राजाज्ञायें निर्गत कर दी जायेंगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शासन की ओर से जो राजाज्ञायें गैर सरकारी व सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों के लिए निर्गत की जाती हैं, उसकी एक प्रति निदेशक को भेजी जाती है, तब निदेशक के यहां से डी0 आई0 ओ0 एस0 को बहुत विलम्ब के बाद उसकी प्रति भेजी जाती है। क्या सरकार शासन स्तर से ही निदेशक को इतनी प्रतियों को भेज दे, जिससे स्कूलों को मिलने वाली सहायता/सुविधा सही समय पर प्राप्त हो सके, इसकी व्यवस्था करने की कृपा करेगी?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जो राजाज्ञा शासन से निकलती है, उसकी एक प्रति सीधे निदेशक को भेजी जाती है। इसके लिये एक नियम बना हुआ है। उसके बाद निदेशक अपने यहां से उसकी प्रतियां कराकर भेजते हैं। यदि यहीं से प्रतियां भेज दी जायेंगी तो फिर जो विकेन्द्रीयकरण की नीति कहें, वह कहां रह जायेगी, फिर तो वह केन्द्रीयकरण हो जायगा, इससे शायद आप भी सहमत नहीं होंगे।

इन्टर तथा हाई स्कूल के छात्राओं हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की नीति

**2—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर तथा हाईस्कूल की छात्राओं के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की क्या नीति है ? क्या यह सत्य है कि छात्राओं को अधिक दूर के परीक्षा केन्द्र में न भेजे जाने के निर्देश हैं ? क्या 40 से अधिक छात्राओं को उसी संस्था में परीक्षा केन्द्र बनाने के भी निर्देश हैं ? यदि हां, तो किन कारणों से वर्ष 1987 तथा इस वर्ष 1988 में होने वाली परीक्षाओं में लड़कियां के परीक्षा केन्द्र 20-20 कि0 मी0 दूर रखे गये और 40 से भी अधिक छात्राओं वाले संस्थाओं से हटाकर अन्यत्र दूरस्थ संस्था में किया गया है ? शासन के नीति के विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जी हां, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1987 तथा 1988 की परीक्षाओं के लिये इन्टर तथा हाईस्कूल के छात्राओं के परीक्षा केंद्र निर्धारित करने हेतु प्रमुख रूप से निम्नांकित नीति निर्धारित थी—

(1) नगर क्षेत्रों में जहां दो या दो से अधिक बालिका विद्यालय केन्द्र के लिए उपलब्ध हों वहां बालिकाओं को अपने विद्यालय से हटाकर स्थानीय रूप से दूसरे बालिका विद्यालयत केन्द्र पर परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय।

(2) नगर क्षेत्रों में जहां एक ही बालिका विद्यालय हो और वह केन्द्र के लिए उपयुक्त हो तो ऐसे बालिका विद्यालय की बालिकाओं के लिए स्वकेन्द्र (सेल्फ सेन्टर) आवंटित किया जाय और और अन्यथा स्थिति में बालिकाओं को स्थानीय रूप से दूसरे बालक विद्यालय के केन्द्र पर परीक्षा हेतु निर्धारित किया जाय।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालय की बालिकाओं को उनके ही विद्यालय केन्द्र पर परीक्षा हेतु आवंटित किया जाय, यदि स्थानीय रूप से दूसरा बालिका विद्यालय न हो। यदि बालिका विद्यालय केन्द्र बनाये जाने के उपयुक्त न हो अथवा बालिकाओं की संख्या अतिन्यून (100 से कम) हो तो ऐसी दशा में बालिका विद्यालय की बालिकाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध दूसरे बालक विद्यालय के केन्द्र पर और स्थानीय रूप से दूसरा बालक विद्यालय केन्द्र न होने पर निकटतम बालक/बालिका विद्यालय के केन्द्र पर आवंटित किया जाय।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में बालक विद्यालयों में अध्ययन रत बालिकाओं को भी स्थानीय रूप से दूसरा बालिका विद्यालय केन्द्र होने पर बालिकाओं के केन्द्र पर ही आवंटित किया जाय और जहां ऐसा निर्धारण संभव न हो वहां बालक विद्यालयों की बालिकाओं के लिए उनका विद्यालय परीक्षा का केन्द्र होने पर उनके ही विद्यालय केन्द्र पर (स्वकेन्द्र) आवंटित किया जाय।

(5) अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बालिका परीक्षार्थियों के लिए उनका ही विद्यालय पंजीकरण केन्द्र परीक्षा केन्द्र होगा।

हां।

नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने नीति विषयक जवाब दिया है । उत्तर के पैरा 3 के पृष्ठ 2 पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बालिकाओं की संख्या अति न्यून (100 से कम) हो तो ऐसी दशा में बालिका विद्यालय की बालिकाओं को स्थानीय रूप से उपलब्ध दूसरे बालक विद्यालय के केन्द्र पर और स्थानीय रूप से दूसरा बालक विद्यालय केन्द्र न होने पर निकटतम बालिका विद्यालय के केन्द्र पर आवंटित किया जाये। मान्यवर, इन परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण करने में माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वर्ष 1987 में घनघोर भ्रष्टाचार किया है । इस संबंध में अपने क्षेत्र के दो विद्यालयों के बारे में अवगत कराते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी को कई बार लिखा कि नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, पथरदेवा (देवरिया) , में, जहां छात्रों की संख्या 125 से ज्यादा थी और स्वामी विवेकानन्द इन्टर कालेज, मूसहरी, (देवरिया) में, जहां छात्रों की संख्या 65 से ज्यादा थी, वहां परीक्षा केन्द्र 30 कि0 मी0 से दूर निर्धारित करने का कारण क्या था ? प्रश्न के अगले भाग में पुछा गया है कि "क्या यह सत्य है कि छात्राओं को अधिक दूर के परीक्षा केन्द्र में न भेजे जाने के निर्देश हैं ?" इसका जवाब दिया गया है, "हां" स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने इन दो परीक्षा केन्द्रों के बारे में नियमों का उल्लंघन किया । मैं जानना चाहता हूं कि नियम विरुद्ध छात्राओं का परीक्षा केन्द्र इतनी दूर भेजने का कारण क्या था और जिन्होंने भेजा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा---

मान्यवर, माननीय शाही जी का प्रश्न यह था कि, "क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्टर तथा हाई स्कूल के छात्राओं के" माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा केन्द्र निर्धारित करने की क्या नीति है ? अब जो बात कही है, दो पर्टीकुलर स्कूल की कही है, इस समय तो इसकी सूचना मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रश्न में नहीं था, इसकी सूचना मैं माननीय शाही जी को अवश्य उपलब्ध करा दूंगा।

(व्यवधान उत्पन्न होने पर)

मैंने आपका पूरा प्रश्न सुना, आप पूरा उत्तर सुनने की कृपा करें। जैसा आपने कहा अगर कहीं अनियमितता हुई होगी, अवश्य ही उसके लिये कार्यवाही की जायगी।

श्री सूर्य प्रताप शाही---

मान्यवर, आपके संज्ञान में है कि इन्हीं परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के संबंध में 4 मार्च को यहां पर एक घटना घटी, जो कि इस बात की द्योतक है कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में काफी अनियमितता बरती गयी है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये थे, जिसके पालन के लिए जैसा कि सबके संज्ञान में है विधायकगण मिलने गये थे, हम जानना चाहते हैं कि उन निर्देशों का अनुपालन न करने का क्या कारण था ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा---

जो बात आपने कही है, तो प्रश्न यह है कि केन्द्रों का निर्धारण कैसे हुआ ? बताना चाहूंगा कि 1921 का एजूकेशन एक्ट है, इसके तहत बोर्ड काम करता है बोर्ड

एक परीक्षा समिति है अध्याय 6 (क) के अनुसार और साथ ही साथ अध्याय-6 (ख) परीक्षा समिति के बारे में बताता है, इसके अनुसार परीक्षा केन्द्रों, मिलान केन्द्रों और संकलन केन्द्रों को स्थापित करना और तोड़ने के लिये अपनायी जाने वाली नीति के संबंध में संस्तुति करना। यह कार्य परीक्षा समिति करेगी, यह ऐक्ट के अनुसार प्रावधान है मैं कहना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने बड़ी मेहनत के साथ क्योंकि पिछले कई वर्षों में शिकायत आ रही थीं, 1987 से कभी मेहनत की और एक एक नीति शासन एक्ट के तहत निर्धारित की, जिसकी प्रति डी0 आई0 ओ0 एस0 के पास हर जिले में भेज दी गयी। एक उपसमिति जिलेवार जनपदवार बनायी गयी और उनसे कहा गया कि नीति के अनुसार केन्द्रों का निर्धारण करें।

(शोर होने पर)

मैं समझता हूं कि इससे सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे, आप इसका सुन तो लें।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

अनुपालन तो हुआ नहीं, नीति आप बता रहे हैं।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

कहीं अगर नहीं हुआ है तो बतायें ?

एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सेवामुक्त होने के पश्चात् पेंशन की सुविधा देने की मांग

*8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश शिक्षा विभाग में सरकारी सहायता-प्राप्त एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों को छोड़कर प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वर्ष 1977 से राजकीय सेवाओं में सेवारत कर्मचारियों के समान सेवामुक्त होने के बाद पेंशन की सुविधा प्राप्त है ? यदि हां, तो एल0टी0 प्रशिक्षण महाविद्यालयों में सेवारत शिक्षकों तथा कर्मचारियों को भी वही सुविधा देने में सरकार को क्या कठिनाई है और यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जायगा।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जी हां।

मामला शासन के विचाराधीन है। निर्णय होने के बाद ही अपेक्षित सुविधायें देने से संबंधित आदेश निर्गत किये जा सकेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि यद्यपि माननीय मंत्री जी स्वयं ही शिक्षा से संबंधित हैं तो फिर उन्हें शिक्षकों को सुविधा देने में क्या कठिनाई है ? जब कि नैसर्गिक न्याय का सिद्धान्त भी यही है कि एक ही पेशे में लगे हुए लोगों के साथ दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिये। अभी तक पांच शिक्षकों को जो कि एल0 टी0 कालेज से सेवामुक्त हुए हैं, प्रदेश में उनकी संख्या भी अधिक नहीं है क्योंकि दो वर्ष में औसत से केवल एक शिक्षक रिटायर होगा, तो ऐसे शिक्षकों को जो कि शिक्षकों का भ

शिक्षा देते हैं और शिक्षकों को भी शिक्षा देने का कार्य करते हैं, उनके साथ ऐसा भेदभाव-पूर्ण व्यवहार किये जाने का क्या कारण है ? जो कि अभी तक उन्हें पेंशन की सुविधा नहीं उपलब्ध करायी गयी है, इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? और यह मामला कब से शासन के विचाराधीन है और कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी का सवाल बिलकुल सही है। इसमें सौ नहीं बल्कि सत्तर शिक्षक के लगभग हैं और यह मामला 1983 से शासन के विचाराधीन है और ज्योंही वित्त विभाग से इस पर निर्णय होकर आ जायेगा, तुरन्त ही, शीघ्रातिशीघ्र निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

श्री मैनेजर सिंह—

इसमें कोई निश्चित समय बतला दीजिये कि कितना समय आप लेंगे ? 6 महीना या 9 महीना, आखिर कब तक यह हो जायेगा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जैसे ही वित्त विभाग से हो जायेगा, कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, माननीय मैनेजर सिंह आपको 9 महीने का सुझाव दे रहे हैं।

(हंसी)

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

माननीय मंत्री जी, इसे स्वीकार कर लीजिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी इस संबंध में सदन में स्पष्ट आश्वासन देंगे कि कब तक वे इस प्रक्रिया को लागू कर देंगे ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मैंने कहा है कि जैसे ही वित्त विभाग से निर्णय होकर आ जायेगा, शीघ्रातिशीघ्र कर दिया जायेगा।

[सोमवार, दिनांक 2 मई, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]।

पर्वतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (अपहिल) के अन्तर्गत अट्ठ रह प्रोजेक्ट लगाने हेतु कृत कार्यवाही

*श्री पूरन सिंह माहरा—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1986-87 के बजट प्रस्ताव में उन्होंने इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (अपहिल) के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में 18 (अट्ठ रह) प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उनमें से कितनों पर कार्यवाही की जा रही है ? बाकी पर कार्यवाही न होने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? तथा कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)—

सन्दर्भित 18 परियोजनाओं से सम्बन्धित विवरण संलग्न हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 137..पर)

श्री पूरन सिंह माहरा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछले बजट सत्र उन्होंने इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्र में 18 परियोजनाओं के लगाने की घोषणा की थी कि वे वहां पर खोले जायेंगे और आज अपने उत्तर के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने कहा कि इनका विवरण संलग्न है और शेष का प्रश्न नहीं उठता है । क्या माननीय मंत्री जी मेरी निश्चित सूचना को सच मानते हुए कि इन 18 परियोजनाओं के लिये अभी तक निदेशक मण्डल ने इनवेस्टमेन्ट की स्वीकृति नहीं दी है तो क्या माननीय मंत्री जी द्वारा जो घोषणा इस सम्बन्ध में की गयी थी, वह सदन की अवमानना नहीं है ? क्या माननीय मंत्री जी निदेशक मण्डल द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, इन 18 परियोजनाओं का विवरण संलग्न है और इन पर कार्यवाही चल रही है । इलेक्ट्रानिक्स यूनिट्स कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में इसे लगा दें । इसके लिये प्राइवेट इन्ट्राप्रेन्योर से बात-चीत करनी पड़ रही है और उस बारे में बराबर सक्रिय हूं । यह जो 18 परियोजनाओं का विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है, इसको कृपया देख लें इसलिये मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन पर कार्यवाही विधिवत् रूप से चल रही है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया मान्यवर मैंने प्रश्न यह किया था कि अखिल निदेशक मंडल ने अभी तक इन परियोजनाओं की जिनकी घोषणा आपने इस सदन में की थी, अभी तक इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी है हमेशा टालमटोल वाली कार्यवाही की है । परन्तु जैसा कि आपका उत्तर है कि उसपर कार्यवाही की जा रही है तो क्या उस कृत कार्यवाही की कोई प्रति यहां आदरणीय सदन में रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

आप यह कह रहे हैं कि स्वीकृति नहीं दी गयी है, जो उत्तर के साथ संलग्नक है उसको आप पढ़िए जिसमें 18 नं0 पूरा स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है कि रेडियो असेम्बली एवं अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण के लिये 11000 रु0 अंतरिम की धनराशि दी गयी है ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिल अपट्रान का एक कार्यालय लखनऊ में है पी0सी0एफ0 कार्यालय में । हमारी सूचना है कि इस कार्यालय को वहां से हटाकर गोमती नगर ले जाया जा रहा है जबकि यह कार्यालय अभी जहां पर है वह हर दृष्टि से और उद्योग की दृष्टि से भी सभी के लिये उपयोगी है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि जहां पर इस समय है यह कार्यालय इसे यहीं पर रहने दिया जायेगा, कहीं अन्यत्र जाने नहीं दिया जायेगा ?

श्री राम औतार दीक्षित—

मान्यवर, इस समय प्रश्न क्या है और माननीय सदस्य उससे अलग हटकर दूसरा प्रश्न कर रहे हैं । यह हिल अपट्रान कार्यालय कहां पर है, इसे कहां कहां रखा जाना चाहिये, यह विभाग पर निर्भर

करता है, वह जहां उपयोगी समझेंगे, रखेंगे इस बारे में सदन को आश्वस्त करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

मान्यवर यह प्रश्न इससे सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न आपका अलग का है, इसकी सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गढ़वाल)—

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि अपने उत्तर में जो उन्होंने संलग्नक दिया है, उसमें दिया हुआ है कि किसी में भूमि का चयन नहीं हुआ है, और कहीं पर कब्जा नहीं मिल रहा है तो कहीं पर भूमि ही नहीं मिल रही है जबकि मान्यवर करीब-करीब साल भर से ऊपर हो गये हैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को घोषणा किये हुये, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक कार्यवाही किसी भी परियोजना में नहीं हो पायी है, इसका एक ही मुख्य कारण है जो यहां की भौगोलिक स्थिति है, इस वजह से जो भी अधिकारी यहां भेजे जाते हैं, वहां पर रह नहीं पाते हैं, इन्हीं कारणों से आपके यहां पर जितने भी कारपोरेशन्स हैं, वह सब के सब लगभग फेल हैं, जिससे स्वयं माननीय मंत्री जी भी परिचित हैं उनके परिणामों को देख कर इसलिये मैं मान्यवर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि भविष्य में पर्वत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये क्या ऐसे लोगों को एप्वाइन्ट करेंगे जो यहां पर रहकर ठीक से काम कर सकें और वे इन कार्यों के विशेषज्ञ भी हों, क्या ऐसी कोई व्यवस्था हेतु माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है आपका ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर आपने जो उत्तर दिया है उसको पढ़े देता हूं जिसमें आपने स्वयं कहा है कि यह यूनिट अपट्रान के लिये रेडियो सेट्स बना रही थी । इसको जो रु0 11000 की अग्रिम धनराशि दी गयी थी, उसका लेखा-जोखा प्राप्त नहीं हुआ है । इसी के साथ में दूसरी बात जानना चाहता हूं कि जब 29 मार्च, 1987 को शत प्रतिशत अपट्रान से शासन के शेयर्स अलग हो गये तो ऐसी स्थिति में संवैधानिक रूप में जो अपट्रान का नियंत्रक निदेशक मण्डल है, फिर उसका क्या औचित्य है ? और क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस तरह से शासन के शेयर अलग हो गये हैं, क्या उसी तरह से इसका अलग निदेशक मंडल बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम औतार दीक्षित—

अपट्रान एक ऐसी संस्था है, जिसका क्षेत्र पूरे हिन्दुस्तान में है और उसकी मार्केटिंग का काम पूरे हिन्दुस्तान में ही रहा है । जहां तक इसका अलग से कारपोरेशन बनाने का सवाल है, अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है । इसकी उन्नति के लिये अपट्रान के साथ सम्बद्ध रहना आवश्यक है ।

श्री पूरन सिंह माहरा—

मान्यवर, यह पहले अपट्रान की सब्सीडियरी थी लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा शेयर शासन के हो गये हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अब अपट्रान के निदेशक मण्डल द्वारा इसके संचालन का क्या औचित्य है । क्या माननीय मंत्री जी इसका अलग से निदेशक मण्डल बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो नीति की बात है ।

प्रदेश में हाईस्कूल में विज्ञान विषय की अनिवार्यता एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में विज्ञान अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की मांग

*2--कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूल में विज्ञान विषय अनिवार्य करने सहायता प्राप्त विद्यालयों ने जितने विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापकों/शिक्षिकाओं की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गई है ? क्या मंत्री जी छात्रों/छात्राओं की संख्या के अनुपात में अध्यापक/शिक्षिकाओं की नियुक्ति के आदेश करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)--

जिन सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान वर्ग की मान्यता पूर्व से थी, उनमें 1984-85 तक न्यूनतम आवश्यकतानुसार पद सृजित किये जाने तथा मौलिक रिक्त पदों को विज्ञान/गणित के विषयों में परिवर्तन की भी अनुमति दी गयी परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 जुलाई, 1984 के अनुपालन में जून 1985 से आरक्षित समूह अध्यापकों को खपाने हेतु सीधी भर्ती द्वारा नवीन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गयी । किन्तु अध्यापन में व्यवधान रोकने के उद्देश्य से विद्यालयों के निजी स्रोतों से अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति की अनुमति प्रदान की गयी ।

जिन विद्यालयों में हाई स्कूल के लिये वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता नहीं थी वहां छात्रों द्वारा विज्ञान के स्थान पर साहित्यिक वर्ग के वैकल्पिक विषय लिये जाने की अनुमति वर्ष 1992 की परीक्षा तक के लिये दे दी गई है जिससे विज्ञान अध्यापकों के अभाव में अध्यापन में व्यवधान न हो ।

छात्रों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप विद्यालयों द्वारा नये अनुभाग खोलकर अपने निजी स्रोतों से अंशकालिक अध्यापक नियुक्त करने का प्राविधान इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 में उपलब्ध है ।

श्री विक्रमादित्य पांडेय--

मान्यवर, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष--

इसको पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से मूल उत्तर पढ़ा हुआ माना गया ।)

*3--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[दिनांक 27-4-88 को सदन में चर्चा होने के कारण निरस्त] ।

प्रदेश में उप-शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक तथा शिक्षा निदेशक के पदों की संख्या एवं उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारियों का स्थायीकरण

*4--श्री विक्रमादित्य पांडे--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में उप शिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक, अपर शिक्षा निदेशक तथा शिक्षा निदेशक के कुल कितने पद हैं ? क्या उक्त पदों पर कार्यरत अधिकारी अपने वेतनमान में स्थायी हैं (कन्फर्म) ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

[उ0 प्र0 में उच्चतर शिक्षा में उप शिक्षा निदेशक का 1 पद, संयुक्त शिक्षा निदेशक का 1 पद तथा निदेशक का 1 पद है। सामान्य शिक्षा में पुरुष शाखा में उप शिक्षा निदेशक वेतनमान में 35 पद, संयुक्त शिक्षा निदेशक वेतनमान में 7 पद, अपर शिक्षा निदेशक वेतनमान में 5 पद तथा शिक्षा निदेशक वेतनमान में 5 पद हैं। इनमें उप शिक्षा निदेशक वेतनमान में 2 पद तथा शिक्षा निदेशक वेतनमान में 2 पद निःसंवर्गीय है। महिला शाखा में उप शिक्षा निदेशक वेतनमान में 3 पद, संयुक्त शिक्षा निदेशक वेतनमान में 1 पद तथा अपर शिक्षा निदेशक का 1 पद है। इस प्रकार कुल 60 पद हैं।

उच्चतर शिक्षा में संयुक्त शिक्षा निदेशक अपने वेतनमान में स्थायी हैं। शेष अधिकारी अपने वेतनमान में स्थायी (कन्फर्म) नहीं हैं।

शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा नियमित रूप से चयनित हैं। परिवीक्षा अवधि पूरी न होने के कारण वह अपने वेतनमान में अभी स्थायी नहीं हुए। उच्चतर शिक्षा में उप शिक्षा निदेशक अपने पद पर स्थायी इस कारण नहीं हैं क्योंकि उप शिक्षा निदेशक के पद डिग्री कालेजों के प्रधानाचार्यों के पदों से स्थानान्तरण करके भेजे जाते हैं और डिग्री प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति हेतु स्रोत संवर्ग के अधिकारियों की ज्येष्ठता अंतिम रूप से निर्धारित नहीं थी।

सामान्य शिक्षा में उ0 प्र0 शैक्षिक सेवा ज्येष्ठ वेतनमान रुपया 1,250–2,050 पुरुष शाखा में नियमित चयन 1963 के बाद लोक सेवा आयोग के माध्यम से सम्पन्न न होने के कारण कार्यरत अधिकारी तदर्थ रूप में नियुक्त हैं। उ0 प्र0 शैक्षिक सेवा ज्येष्ठ वेतनमान रुपया 1,250–2,050 (महिला शाखा) में पदोन्नति से नियमित चयन जुलाई, 1987 में लोक सेवा आयोग द्वारा किया गया था, परन्तु उनकी संस्तुतियां प्राप्त न होने के कारण अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं है।]

श्री विक्रमादित्य पाण्डे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि शिक्षा विभाग में उपशिक्षा निदेशक, संयुक्त शिक्षा निदेशक तथा शिक्षा निदेशक के कुल 80 पद हैं और आगे यह भी बताया है कि 60 पदों में केवल 3 पद ऐसे हैं जो स्थायी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण 60 में से 3 पद ही स्थायी हैं। दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने यह बताई है कि सन् 1963 से लोक सेवा आयोग ने इनका चयन नहीं किया है, तो यह जानना चाहता हूं कि पदों के महत्व को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कितनी बार लोकसेवा आयोग को लिखा है। तीसरी बात आपने यह कही है कि हम तदर्थ नियुक्ति कर लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि तदर्थ नियुक्तियां करने में मनमानी हो रही है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों ने हाईकोर्ट में मुकदमा कर रखा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि तदर्थ नियुक्तियां जो, अपने की हैं, आपने उनका क्या आधार माना है ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जो पाण्डे जी ने जानना चाहा है वह काफी विस्तृत प्रश्न है, तो उसका

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विस्तृत उत्तर देने की आज्ञा मुझे दें जो लोग ज्येष्ठ वेतन क्रम रुपया 1,250–2,050 के बारे में आपने प्रश्न किया है।

श्री विक्रमादित्य पान्डेय—

मैंने दूसरा प्रश्न किया है। मैं अपने प्रश्न को दोहराये देता हूं। मैंने एक तो यह पूछा है कि 60 पद हैं जिनमें से 3 पद स्थायी हैं, तो इसका क्या कारण है? दूसरा प्रश्न यह किया है कि 1963 से अब तक लोकसेवा आयोग को उन पदों का चयन करने के लिये कितनी बार लिखा गया और तीसरा प्रश्न यह किया कि तदर्थ नियुक्तियां करने का आधार क्या है?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, जो बात पांडेय जी ने कही है मैं उसी का उत्तर दे रहा था। आपने विस्तृत जानकारी कर ली है। तो मैं भी विस्तृत जानकारी दे रहा हूं जो लोग 1,250–2,050 के वेतन क्रम में हैं उनके बारे में आपने कहा है और उनकी तरक्की के बारे में सवाल किया है।

मान्यवर, आपने पूछा है कि कब लोक सेवा आयोग को भेजा गया। मैं बताना चाहता हूं कि नियमित चयन हेतु लोक सेवा आयोग को शासन ने 13–2–67 को भेजा था और उसमें यह भी लिखा था शासन ने कि चयन का मापदन्ड ज्येष्ठता रखा जाय, जैसा कि शासन की नीति है। यह 1945 की क्लासवन के लिये नियमावली थी जिसे सन् 1975 में संशोधित किया गया। जब लोक सेवा आयोग से इसका जवाब मिला तो फिर 23–6–1969 को शासन द्वारा लोक सेवा आयोग को लिखा गया कि चयन का आधार श्रेष्ठता रखा जाय और उसी पत्र के साथ रिक्तियों की संशोधित सूची भी भेजी गई। यह 23–6–1969 को भेजी गई। उसके बाद शासन ने 24–9–69 को लोक सेवा आयोग को संशोधित सूचियां भेजी और 13–10–1969 को लोक सेवा आयोग ने शासन को यह सूचित किया कि पहले उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनक्रम का नियमित चयन करा लिया जाय और उसके लिये प्रस्ताव तथा सूची भेजी जाय। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि शासन ने इस संबंध में कहीं पर कोई देरी नहीं की है और यह देखा जाय कि कहां पर यह मामला अटका हुआ है उसके बाद 16–6–1971 के पत्र द्वारा लोक सेवा आयोग ने शासन के अधिकारी को बातचीत के लिये बुलाया और वर्ष 1970 में उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनक्रम का नियमित चयन लोक सेवा आयोग ने कर दिया। फिर 26–6–1971 के एक पत्र द्वारा लोक सेवा आयोग ने उ0 प्र0 शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनक्रम के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची हमने मांगी। 21–7–1972 के पत्र द्वार शासन ने लोक सेवा आयोग को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा कनिष्ठ वेतनक्रम के अधिकारियों की ज्येष्ठता को अंतिम रूप से निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है। उसके बाद 20–12–1975 के पत्र द्वारा शासन ने लोक सेवा आयोग को यह सूचना भेजी कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा ज्येष्ठता वेतनमान के अधिकारियों की नियमावली बनायी जा रही है। इसी बीच में एक बात और हो गई, बाउन्ट्रा साहब जो क्लास-वन के अधिकारी थे, उन्होंने सर्वोच्च यायालय में मुकदमा दाय कर 21–2–72 को स्थगन आदेश ले आये जिसमें यह कहा गया कि अग्रिम आदेश तक ज्येष्ठ वेतनमान में स्थानपन्न नियुक्तियां की जा सकती हैं और स्थायी नियुक्त न करने के निर्देश दिया गया। मान्यवर, इसलिये यह आदेश करना पड़ा कि वह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिसे हमें मानना पड़ा है। जुडिशियरी में यह सरकार विश्वास रखती है। इसलिये चूंकि काम को रोका नहीं जा सकता है। इसलिये तदर्थ रूप में प्रमोशन कर दिया गया और लोक सेवा आयोग के सामने अब अध्याचन जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि उच्च न्यायलय के आदेश से हम नियमित नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय मंत्री जी ने उच्चतम न्यायालय में शिक्षा के महत्व को देखते हुए अपना मुकदमा दायर क्यों नहीं किया, क्यों तदर्थ नियुक्ति का आधार अपने पास रखा ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैंने उच्च न्यायालय की बात नहीं कही, सर्वोच्च न्यायालय की बात कही, उन्होंने स्थगन आदेश दे दिया और कहा है कि कोई स्थायी न किये जायें। इसका मतलब है कि एडहाक हम कर सकते हैं उस पर रोक नहीं लगाई है क्योंकि काम तो करना है।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं विधान सभा क्षेत्र, जानसठ हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि

*5—श्री दीपक कुमार (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण भूमिहीन मजदूर रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत स्कीम के प्रारम्भ के वर्ष से लेकर वर्ष 1986–87 तक मुजफ्फरनगर जनपद के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी–कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा वर्ष 1987–88 एवं 1988–89 हेतु क्या-क्या प्रस्तावित है ? इस योजना में विधान सभा क्षेत्र जानसठ के लिए कम प्राविधान करने का क्या कारण है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत हुई :—

वर्ष	धनराशि (लाख रु0 में)
1984–85	127.99
1985–86	
1986–87	61.36
1987–88	

उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 1987–88 में प्राप्त स्वीकृति के विरुद्ध 13.87 लाख की लागत से गूल बन्ट्स, टेलस्कोप तथा कच्ची/पक्की गूलों का निर्माण प्रस्तावित है। वर्ष 1988–89 के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

योजना के आरम्भिक वर्ष 1984–85 से जनपद को कुल 185.46 लाख रुपये के संसाधन प्राप्त हुए जिनमें से 50.901 लाख रु0 के विभिन्न कार्य विधान सभा क्षेत्र जानसठ में सम्पादित कराये गये हैं। जनपद में 9 विधान सभा क्षेत्र हैं, अतः विधान सभा क्षेत्र जानसठ में कम प्राविधान करने का प्रश्न ही नहीं है।

जनपद बस्ती के रतन सेन डिग्री कालेज बांसी की स्पेशल आडिट कराने हेतु घोषणा पर कृत कार्यवाही

*6—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

तृतीय सत्र 1987 के प्रथम सोमवार 4 जनवरी, 1988 के तारांकित प्रश्न सं0 4 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मंत्री जी ने रतन सेन डिग्री कालेज, बांसी, जनपद बस्ती की स्पेशल आडिट कराने की घोषणा सदन में की थी ? यदि हां, तो क्या आडिट किया गया ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट क्या है ? यदि नहीं, तो अब तक विलम्ब किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी अविलम्ब कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

जी हां ।

आडिट कराने के आदेश शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं । अभी आडिट नहीं हो पाया है ।

आडिट रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

आडिट शीघ्र ही सम्पन्न कराया जायेगा ।

आडिट के आदेश दिये जा चुके हैं ।

श्री राकेशधर त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि इसके पूर्व भी तीन साल पहले इस विद्यालय के आडिट के आदेश हो चुके थे । दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि किस तारीख को आपने निदेशालय को आदेश दिये थे विशेष आडिट कराने के और वहां कब पहुंचे ? कितनी अवधि उसके लिये तय की है कि 3 महीने या 5 महीने के अंदर आडिट रिपोर्ट आ जाय । मेरी जानकारी है कि अभी तक आदेश निदेशालय नहीं पहुंचे ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा—

ऐसा न कहिये मैं आपकी पूजा करता हूं, आपको सत्य का प्रतीक मानता हूं आप माननीय विधायक हैं । आपको जो सूचना मिली है वह सही नहीं है । मैं आपके माध्यम से मान्यवर, कहना चाहता हूं कि इसके आदेश हो चुके हैं और शिक्षा निदेशालय ने कहा है अन्य कालेज के साथ रतन सेन डिग्री कालेज का भी स्पेशल आडिट हो इसमें 3 मई, 1985 से 18 मई, 1988 तक की डेट है तथा वर्ष 1982–83 और 1987–88 तक के हिसाब का मामला है । आपने जब स्पेशल आडिट की मांग की थी तो उसमें मैंने आपसे मांग करने के लिये भी कहा था आपने वह नहीं की उसके बावजूद आपकी मंशा को देखते हुए विशेष आडिट के आदेश दिये हैं । आप कहें तो मैं संप्रेक्षकों के नाम भी बता सकता हूं ।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से एक जानकारी चाहता हूं कि यह अपने बालों की सेटिंग कहां कराते हैं । यह जनानी सेटिंग है या मर्दानी । (हंसी)

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उत्तर प्रदेश में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने एवं नया वेतनमान देने की मांग

*7—श्री रमाकान्त यादव (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को शासन द्वारा कब तक नियमित किया जायेगा उक्त कर्मचारियों में किन परिस्थितियोंवश शासन द्वारा अभी तक नया वेतनमान जो 1 जुलाई, 1983 से कर्मचारियों को देय है, नहीं दिया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उ0 प्र0 में कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित/छंटनी किये जाने एवं नया वेतनमान दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

श्रम के बदले खाद्यान्न योजनान्तर्गत बनाये कच्चे मार्गों को पक्का करने हेतु प्रोजेक्ट की स्वीकृति एवं प्रोजेक्ट की प्रक्रिया

*8—श्री विजय सिंह राणा—

विधान सभा के 1985 के द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये कच्चे मार्गों को पक्का कराने हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता के लिए भेजा गया प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ अथवा नहीं। यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो प्रोजेक्ट किस प्रक्रिया में है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं यह सवाल बिलकुल सीधा है इसका जवाब यहीं हेड आफिस से आना है कहीं जिले से या ब्लाक से एकत्र नहीं करना है इसलिये यह जवाब कि सूचना एकत्रित की जा रही है कहीं खपता नहीं है । इसके पहले भी यह पूछा जा चुका है विधान सभा में 1985 में द्वितीय सत्र के दूसरे सोमवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के माध्यम से कि खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाये गये कच्चे मार्गों को पक्का कराने हेतु भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक की सहायता के लिये भेजा गया प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ या नहीं । जिनका उन्होंने जवाब दिया था कि भारत सरकार को भेजा है। अब यह कहते हैं कि इस प्रश्न पर कि प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ या नहीं सूचना एकत्रित की जा रही है। तो यह किस तरह से प्रासंगिक है, तो यह सूचना इनके आफिस में होती है । जब पहले अतारांकित प्रश्न में पूछा जा चुका है। इसलिये पहले पूछा हुआ प्रश्न दुबारा पूछा जा रहा है और सूचना जिले से नहीं बल्कि हेड आफिस से आनी है और उत्तर दे रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। इसलिये आप इसे प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेज दें क्योंकि जो उत्तर दिया है वह ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

इसे देखूंगा ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

मान्यवर, इस समय ग्रामीण विकास विभाग में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जिन सड़कों का निर्माण होना था उनकी कोई योजना भारत सरकार को न भेजी गयी है और न भेजने के लिये विचाराधीन है। वर्ष 1983-84 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा एक योजना तैयार की गयी थी जो भारत सरकार को 1984 में भेजी गयी लेकिन वह अस्वीकृत होकर प्रदेश सरकार को वापस आ गयी। इसके बाद 1986 में यह निर्णय हुआ कि कच्ची सड़कों को पक्की बनाने की जो भी योजना बनाई जाये, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जाये, इसलिये ग्रामीण विकास विभाग में न इस तरह की कोई योजना बनायी जा रही है और न विचार ही हो रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग बना रहा है कि नहीं इस तरह की योजना, इसलिये सूचना की आवश्यकता थी जिससे उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बदन सिंह--

मान्यवर, यह प्रश्न पूरी प्रदेश की जनता से संबंध रखता है। श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जितने मार्ग बनाये गये हैं उनकी दशा कच्चे मार्ग से बदतर हो गयी है, चलने लायक नहीं है, उत्तर दिया कि योजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि जो कच्चे मार्ग हैं उनको राज्य सरकार की तरफ से पक्का क्या आप करायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

आगे यह प्रश्न पुनः आयेगा तब इन प्रश्नों का जवाब दे दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, उत्तर देखें, एक टेलीफोन से भारत सरकार से जानकारी मिल सकती थी, उत्तर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, आपकी कृपा से एक प्रश्न एवं संदर्भ समिति गठित है उसका मात्र एक कार्य है कि सरकार की तरफ से उत्तर देने में शिथिलता बरती जाये और समय पर उत्तर न दिया जाये तो उस मामले को उक्त समिति को संदर्भित करेंगे। आप देखें 5-6 महीने हो गये हैं और अभी तक सूचना ही एकत्र की जा रही है, इस प्रकार हमारे हितों की कैसे सुरक्षा होगी, इसलिये आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आप सौंप दें जिससे सही जानकारी आ जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

टेलीफोन पर तो बात जो होती है वह मौखिक होती है इसलिये लिखंत पद्धति में आ जाये जिसके लिये उन्होंने कहा है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जैसा आपने कहा कि दो बार भारत सरकार को योजना भेजी और स्वीकृत नहीं हुई तो मैं पूछना चाहता हूं कि कच्ची सड़कों को पक्की कराने की योजना पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत बताया है, तो आप क्यों पक्का कराते हैं और इसका मतलब होगा पी० डब्लू० डी० में योजना जावेगी नहीं और वह कार्य पड़े रहेंगे। तो जो कार्य आपने किये हैं क्या उन सभी को पी० डब्लू० डी० को आप हस्तानान्तरित करेंगे ताकि वह पक्के हो जायं?

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)--

मान्यवर, यह कार्य ग्रामीण रोजगार योजना के तहद किया जाता है, लोगों को रोजगार देने के लिए किया जाता है और बराबर यह प्रयास किया जाता है कि कौन से कार्य किये जायं,

जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। यदि पक्की सड़कें बनती हैं, तो उससे ज्यादा लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, यह भारत सरकार की एक नीति है, उसमें जो ज्यादा लोग हैं, गांव के लोग हैं, खेतिहर मजदूर हैं, बेकार लोग हैं, उनको मिट्टी आदि के कार्य कराने से ज्यादा रोजगार मिलता है। इसलिए वैसे ही कार्य इसमें किये जाते हैं।

(प्रश्नों का समय समाप्त)

जनपद मथुरा में सूखा राहत के अन्तर्गत वर्चावली से सुजावली मार्ग के शेष भाग बनाने की स्वीकृति एवं जांच

*9—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद में सूखा राहत के अन्तर्गत वर्चावली से सुजावली मार्ग का शेष भाग बनाने के लिए वर्ष 1986-87 में स्वीकृत किया गया था जिसको बनाने के लिए परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अभि0, मथुरा ने अपने पत्रांक 2454, दिनांक 21-10-87 द्वारा अधि0 अभि0 अभियंत्रण सेवा, मथुरा को लिखा था? यदि, हां, तो अब तक इसको पूरा न करने के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि इस विभाग द्वारा सुजावली से राजागढ़ी मार्ग को 6 माह पहले बना दिया गया था तथा इसका सूखा राहत से बरचावली से सुजावली मार्ग के स्थान पर भुगतान कर दिया गया जिसकी रिपोर्ट परगना मजिस्ट्रेट, छाता ने जांच के दौरान की कि मार्ग पहले ही बनाया जा चुका था। यदि हां, तो शासन ऐसे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है। यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फतेहपुर स्थित श्री बलदेव गिरि पाठशाला इन्टर कालेज, अमौली के प्रबन्धक के विरुद्ध छात्रों से अवैध धन वसूली की शिकायत

10—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर स्थित श्री बलदेव गिरि पाठशाला इन्टर कालेज, अमौली के तथाकथित प्रबन्धक के विरुद्ध विद्यालय के छात्रों से अवैध धन की वसूली की शिकायत पर प्रारम्भिक जांच के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा दोषी पाये जाने पर पुलिस में प्रथम सूचना रपट अंकित कराई गई है? यदि हां, तो क्या उक्त प्रबन्धक के प्रबन्धकीय कार्यों को अमान्य कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

प्रबन्धक विद्यालय की प्रशासन योजना के अनुसार कार्यरत हैं अतः उनके प्रबन्धकीय कार्यों को अमान्य करने का कोई औचित्य नहीं है।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

*11—श्री मोहम्मद मसूद खां,
,, फागू चौहान,
,, बलराम यादव
,, श्री प्रकाश
,, विष्णु देव
,, राम जनम
,, दुर्गा प्रसाद यादव
,, हफीज भारती तथा
,, इकबाल अहमद

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

बेसिक शिक्षा परिषदीय सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकों की संख्या एवं 28 जुलाई, 1987 के पेंशन पुनरीक्षित शासनादेश को कार्यान्वित करने हेतु कृत कार्यवाही

*12—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषदीय सेवा निवृत्त प्राथमिक शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है तथा उनसे सम्बन्धित 28 जुलाई, 1987 का पेंशन पुनरीक्षित शासनादेश क्या है ? क्या वह लागू और कार्यान्वित हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

बेसिक शिक्षा परिषदीय सेवा निवृत्त अध्यापकों की संख्या लगभग पच्चीस हजार है। संदर्भित शासनादेश द्वारा 1 जनवरी, 1986 से पूर्व सेवा निवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों के पेंशन ढांचे का सरलीकरण/अभिनवीकरण किया गया है तथा इसी दिनांक के एक-एक शासनादेश द्वारा पेंशन राहत में वृद्धि की गई है ।

प्रश्नगत आदेशों को लागू करने से सम्बन्धित औपचारिकतायें प्रक्रिया में हैं

*13—श्री काशी सिंह ऐरी—

(11वें बुधवार में ता0प्र0सं0 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोण्डा के जू0 हा0 स्कूल तथा प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक, अध्यापिकाओं को मंहगाई भत्ता, अन्तरिम सहायता व बोनस आदि का भुगतान

श्री अकबर हुसेन बाबर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के जू0हा0 स्कूल तथा प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं को शासन द्वारा स्वीकृत की गई जनवरी, 1986 से मंहगाई भत्ता तथा 80 रु0 व 60 रु0 अन्तरिम सहायता बोनस 86, 25 दिन की अवशेष धनराशि प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो किस-किस ब्लाक के अध्यापक व अध्यापिकाओं को तथा कब यदि नहीं, तो क्यो सरकार इस वित्तीय वर्ष में उसके भुगतान की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जनवरी, 86 से मंहगाई भत्ता तथा 80 रु0, 60 रु0 व 46.50 की अंतरिम सहायता एवं वर्ष 1986–87 के बोनस भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा के वैयक्तिक खाते में धन उपलब्ध है तथा विकास क्षेत्र तरबगंज, गैसड़ी, इटिया थोक, कटरा बाजार तथा मुजेहना को छोड़कर शेष विकास क्षेत्रों का प्रश्नगत भुगतान 30 मार्च, 1988 तक हो चुका है ।

उपरोक्त अवशेष ब्लाकों में इसी वित्तीय वर्ष में देय धनराशि के भुगतान के आदेश दे दिये गये हैं ।

शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं की सम्पत्ति सम्बन्धी लागू ऐक्ट का सनातन धर्म इण्टर कालेज मुजफ्फरनगर द्वारा कथित उल्लंघन

*15--श्री हरेन्द्र सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण संस्थाओं की सम्पत्ति सम्बन्धी कोई ऐक्ट (एजूकेशन ऐक्ट 1975) लागू किया गया था ? यदि हां, तो क्या इसका अनुपालन प्रदेश के सभी विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि जनपद मुजफ्फरनगर में सनातन धर्म इन्टर कालेज, मुजफ्फरनगर द्वारा इस ऐक्ट का उल्लंघन किया गया है ? क्या यह भी सही है कि उल्लंघन किये जाने की सूचना श्री हरीशचन्द्र अरोरा द्वारा माह जनवरी, 1988 में निदेशक शिक्षा को तथा समस्त अध्यापकों द्वारा 17 फरवरी, 1988 को जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर को दी गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार इस संस्था को भी एजूकेशन ऐक्ट, 1975 का पालन करने हेतु निर्देश देगी ?

श्री सिब्ते रजी:--

जी हां ।

उत्तर प्रदेश शैक्षिक संस्थायें (आस्तियों के अपव्यय का निवारण) अधिनियम, 1974 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1975, प्रवृत्त हुआ था ।

जी हां ।

जांच कराने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है । जांच के आदेश दिये गये हैं ।

जी हां ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

जांच में यदि शिकायतें सत्य पाई जायेंगी तो उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला आगरा, गांधी स्मारक इंटरमीडिएट कालेज, जैगारा की प्रबन्ध समिति को मान्यता देने के प्रकरण की जांच

*16--श्री बीसान सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि गांधी स्मारक इंटरमीडिएट कालेज, जंगारा तहसील किरावली, जिला आगरा की प्रबन्ध समिति को अकस्मात जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा द्वारा भंग करके दूसरी प्रबन्ध समिति को अवैधानिक तरीके से मान्यता प्रदानकर बिना प्रधानाचार्य के हस्ताक्षरों के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भुगतान कराये गये हैं जिसकी प्रथम आख्या दर्ज होने पर शान्ति व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा था ? इस प्रकरण की जांच आख्या क्या है और क्या सरकार दोषी जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो क्या ?

श्री सिब्ते रजी:--

पुरानी प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने पर तथा नवीन चुनाव की सूचना अभिलेखों सहित प्राप्त होने पर नवीन प्रबन्ध समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक ने नियमानुसार मान्यता प्रदान की ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भुगतान कराये गये हैं ।

शान्ति व्यवस्था पर जो भी प्रभाव पड़ा वह गांव की गुटबन्दी के कारण पड़ा, चुनाव को मान्यता देने के कारण नहीं। जांच आख्या से निम्न बिन्दु प्रकाश में आये हैं :—

1—भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उप प्रबन्धक के हस्ताक्षरों से हस्ताक्षरित परिपत्र द्वारा 152 साधारण सदस्यों को चुनाव की सूचना भेजी गई थी।

2—नवीन चुनाव सर्व सम्मति से सम्पन्न हुआ।

3—प्रशासन योजना अभी संशोधित नहीं पुरानी प्रशासन योजना के अनुसार चुनाव कराया गया है जिसमें चुनाव कराने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है।

4—भूतपूर्व प्रबन्धक को चुनाव कराने की सूचना नहीं दी गई थी।

5—भूतपूर्व प्रबन्धक ने माननीय उच्च न्यायालय में एक वाद योजित कर रखा है, जो अभी विचाराधीन है।

मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक ने दिनांक 21 दिसम्बर, 1987 को दोनों प्रगन्ध समितियों का चुनाव अमान्य कर दिया है और नवीन चुनाव कराये जाने के आदेश दिये हैं।

जी नहीं, क्योंकि उनका कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ है।

*17—डा० शिवानन्द नौटियाल—

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)।

जनपद बुलन्दशहर, जवाहर ज्योति इंटर कालेज, अमरगढ़ के चतुर्थ श्रेणी हरिजन कर्मचारी श्री विष्णु शंकर का वेतन भुगतान

*18—श्री सुन्दर लाल तथा श्री दीप चन्द्र सोनकर

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जवाहर ज्योति इंटर कालेज, अमरगढ़, जनपद बुलन्दशहर के चतुर्थ श्रेणी हरिजन कर्मचारी श्री विष्णु शंकर बाल्मीकि का वेतन नवम्बर, 1985 के अब तक भुगतान क्यों नहीं किया गया है? क्या इस संबंध में उप निदेशक शिक्षा-मेरठ को श्री विष्णु शंकर का कोई पत्र वाद चलाने की स्वीकृति हेतु मिला है? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री सिब्ते रजी—

श्री विष्णु शंकर बाल्मिकी की तथा कथित नियुक्ति, जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर ने वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत वेतन भुगतान हेतु स्वीकार नहीं की, क्योंकि विद्यालय में कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में उक्त कर्मचारी को वेतन भुगतान कराने का प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, पत्र मिला है।

वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत श्री विष्णु शंकर की नियुक्ति वेतन भुगतान हेतु निरीक्षक द्वारा स्वीकार न होने के कारण वाद चलाने की स्वीकृति देने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर खीरी में युवराजदत्त महाविद्यालय में कनिष्ठ प्रवक्ता के कार्यवाहक प्राचार्य पद पर कार्य के करने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*19—डा0 कृष्ण बीर सिंह कौशल—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 व 49 के अधीन कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर वरिष्ठतम् प्राध्यापक ही पद भार ग्रहण कर सकता है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में कार्यवाहक प्राचार्य के पद पर महाविद्यालय का एक कनिष्ठ प्रवक्ता गत 24 अगस्त, 1985 से लगातार कार्यरत है ? यदि हां, तो युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में वरिष्ठतम प्राध्यापक को कार्यवाहक प्राचार्य का पद भार क्यों नहीं दिया गया ? इस संबंध में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सिब्ते रजी—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है, किन्तु परिनियम में ऐसी व्यवस्था की गई है ।

महाविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार 26 अगस्त, 1985 से श्री उदय प्रकाश सिंह सेंगर कार्यवाहक प्राचार्य के रुप में कार्यरत हैं।

वरिष्ठतम प्रवक्ता ने प्राचार्य के रूप में कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*20—डा0 दिनेश जौहरी—

(6वें शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

अतारांकित प्रश्न

1—श्री सुन्दर लाल—

(संदर्भ अपूर्ण होने के कारण निरस्त)

सेवामुक्त श्री मकबूल अहमद सरवराकार जिला परिषद् बरेली की सेवामुक्त वर्ष 1979 से संशोधित वेतनमान के आधार पर पेंशन दिलाने की मांग

2—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री मकबूल अहमद सरवराकर जिला परिषद् बरेली दिनांक 31 जनवरी, 1981 को सेवामुक्त हुए थे । यदि हां, तो अभी तक उनकी पेंशन वर्ष 1979 से सरकार ने जो वेतनमान बढ़ाए थे उनके आधार पर न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी श्री मकबूल अहमद को पेंशन वर्ष 1979 के बढ़े वेतन के आधार पर दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । द्वितीय वेतन आयोग (1979–80) की संस्तुतियों के आधार पर जिला परिषद् के सरवराकार पद का वेतनमान संशोधित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । उक्त पद का वेतनमान संशोधित हो जाने पर तदनुसार उन्हें पुनरीक्षित पेंशन के भुगतानकी कार्यवाही की जायेगी ।

3—श्री विष्णुदेव—

(7वें गुरुवार में अता0प्र0सं0 105 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जिला बस्ती की तहसील नौगढ़ में ककरहवा–पिपरहवा मार्ग पर तैलार नाले पर बने पुल की मरम्मत

4—श्री धनराज यादव—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में वन विभाग ने ककरहवा-पिपरहवा मार्ग पर तेलार नाले पर लकड़ी का पुल कुछ वर्ष पहले बनाया है, जो मरम्मत के अभाव में आने-जाने लायक नहीं है जबकि ककरहवा-पिपरहवा सड़क में छोटे-छोटे सभी पुल बन गये हैं ? क्या प्रश्नकर्ता ने वन मंत्री माननीय बल्देव सिंह आर्य से पुल को अनुरक्षण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपने हेतु पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उसके मरम्मत हेतु तत्काल धन आवंटित करेंगे या सा0नि0वि0 को अनुरक्षण हेतु सौंप दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

जी हां ।

जी हां । वन सचिव को सम्बोधित पत्र प्राप्त हुआ ।

कथित पुल की मरम्मत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभागीय निदेशक बस्ती ने अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा है । सार्वजनिक निर्माण विभाग से उत्तर अपेक्षित है ।

5—श्री किशन लाल दिलेर—

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना विश्वेश्वर गंज व प्रयागपुर में जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कराने की मांग

6—श्री राम सागर राव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड इकौना विशेश्वर गंज व प्रयागपुर में वर्ष 1988 में किन-किन जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण शासन के विचाराधीन है ? यह कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

7—श्री सिब्तेरजी—

विद्यालय विशेष का निर्माण जिला स्तर पर गठित जिला सलाहकार समिति/जिला शिक्षा समिति के निर्णयानुसार कराया जाता है । जिला योजना में कराये गये प्राविधान के प्रति उक्त समितियों की संस्तुति अनुसार भवनों का निर्माण कराया जायेगा ।

7-अ—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय तथा श्री गौरी शंकर भइया—

(8वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 77 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद बहराइच, जिला परिषद् में नौ पौण्ड कीपरों की भर्ती तथा अनुसूचित जाति का कोटा

8—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के जिन नौ पौंड कीपरों की भर्ती की गई है क्या यह चयन समिति द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो क्यो ? क्या इसमें अनुसूचित जाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

1987 में अध्यक्ष जिला परिषद् बहराइच द्वारा दिनांक 11 जून, 1987, 23 जून, 1987, 2 जुलाई, 1987, 4 अगस्त, 1987 व 25 अगस्त, 1987 को कुल मिलाकर नौ पौण्ड कीपरों की तदर्थ नियुक्ति नियमित व्यवस्था होने तक के लिये की गई है । यह नियुक्ति चयन समिति की संस्तुति के आधार पर नहीं की गई है । इनमें से कोई भी अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का नहीं है । ये नियुतियां नितान्त अस्थायी हैं ।

वन विभाग में वनविद् पद पर नियुक्ति हेतु 31 मई, 1987 को हुई लिखित परीक्षा का परीक्षाफल घोषित करने की मांग

9—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वन विभाग में वनविद् (फारेस्टर) पद पर नियुक्ति हेतु 31 मई सन् 1987 को लिखित परीक्षा हुई थी जिसका परीक्षाफल आज तक घोषित नहीं हुआ ? उसका क्या कारण है ? परीक्षाफल कब तक घोषित किया जायेगा ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां ।

हजारों अभ्यर्थी होने के कारण समय लगा । अब परीक्षाफल तैयार हो गया है । सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाने की कार्यवाही की जा रही है ।

उन्नाव जिले की अकोहरी ग्राम सभा के प्राइमरी स्कूल भवन की रिपेयरिंग हेतु स्वीकृत धनराशि का प्रधान द्वारा निजी व्यय

10—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1986–87 व 1987–88 में उन्नाव जिले की अकोहरी ग्राम सभा के प्राइमरी स्कूल भवन की रिपेयरिंग हेतु ब्लाक हिलौली से 8000 रु0 स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त धनराशि माह अक्टूबर, 1987 तक प्रधान के निजी व्यय में हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के सुरीर में कन्या ज0 हाई0 स्कूल की मरम्मत का कार्य पूरा न करने वाले दोषी अधिकारियों, ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग

11—श्री कुशल पाल सिंह

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के सुरीर में कन्या जू0 हाई0 स्कूल की मरम्मत जिला परिषद्, मथुरा द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो यह मरम्मत कार्य

किस वर्ष में शुरू किया गया और कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? अब तक मरम्मत कार्य पूरा न कराने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस कार्य को पूरा न करने में दोषी पाये गये अधिकारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

वर्ष 1984 में मरम्मत कार्य प्रारम्भ हुआ था । इस संबंध में अध्यक्ष जिला परिषद्, मथुरा को अद्यावधिक स्थिति से अवगत कराया गया है । अग्रेतर कार्यवाही उक्त अधिकारी द्वारा ही किया जाना है ।

जिला आजमगढ़ के ग्राम धरनीपुर के किसानों को एकीकृत योजनान्तर्गत दिया ऋण एवं छूट

12--श्री दीप नारायण--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम धरनीपुर, रानीपुर, ब्लाक मेहनगर, तहसील लालगंज, जिला आजमगढ़ के कितने किसानों को वर्ष 1979 से 1983 तक एकीकृत योजना के अन्तर्गत ऋण दिया गया था ? क्या उन किसानों को उनके ऋणों पर छूट दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन किसानों को जिन्होंने छूट के न मिलने पर ऋण भुगतान नहीं किया है और ब्याज बढ़ता चला गया उनका ब्याज माफ करके तथा छूट की सुविधा देकर आसान किश्तों में ऋण भुगतान कराने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत 3 लाभार्थियों को वर्ष 1979-83 के बीच ऋण दिलाया गया था। उनके खातों में उनको देय अनुदान की धनराशि उसी वित्तीय वर्ष में समायोजित कर दी गई थी ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किसी भी लाभार्थी का ऐसा कोई मामला, अभी तक उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रकाश में नहीं आया है ।

जनपद इटावा, ग्राम सभा सींग पुर्वा मागा के हरिजन खड़ंजा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की जांच

13--श्री औसान सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा सींगपुर्वा मागा, जनपद इटावा का हरिजन खड़ंजा निर्माण हेतु विकास खण्ड सहार, इटावा द्वारा वर्ष 1984-85 में चैक संख्या 33/1163, दिनांक 20 मार्च, 1985 मुबलिग 9000 रु0 दिया गया था और इस धन के दुरुपयोग की जांच आख्या सहायक विकास अधि0 पंचायत वि0 खण्ड सहार इटावा ने दिनांक 5 सितम्बर, 1986 को ही खण्ड वि0 अधिकारी, सहार को प्रस्तुत कर दी थी ? यदि हां, तो वह जांच आख्या क्या है और अब तक दोषी प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

जांच आख्या में प्रधान को कतिपय अनियमितता हेतु प्रथम दृष्टा दोषी पाया था, किन्तु इस जांच आख्या तथा उस पर खण्ड विकास अधिकारी की टिप्पणी एवं तदन्तर परगनाधिकारी द्वारा

यू0 पी0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(जी) के अंतर्गत की गई विधिक कार्यवाही में प्रधान को अन्ततः दोषी नहीं पाया गया। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

14—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

(७ वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड, बस्ती द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्गों के निर्माण पर व्यय की जांच

15—श्री मलिक मो0 कमाल युसूफ—

प्रथम सत्र 86 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समिति में कौन-कौन से सदस्य थे और कब-कब किन-किन तारीखों में समिति के सदस्य जांच करते सड़कों पर गये? क्या संयुक्त रिपोर्ट जांच के उपरान्त प्रेषित की गयी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर के मृतक हरद्वारी लाल, सहायक प्रा0 पा0, रालामऊ के परिवार को पेंशन बीमा व अन्य देय भुगतान की मांग

16—श्री राम कृष्ण—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरद्वारी लाल, सहायक प्रा0 पा0, रालामऊ सीतापुर की मृत्यु क्या हुई? क्या मृतक के परिवार को मिलने वाली सरकारी पेंशन बीमा व अन्य देय अभी तक भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों और कब तक भुगतान करा दिया जायेगा?

श्री सिज्जे रजी—

दिनांक 26 अक्तूबर, 1985 को मृत्यु हुयी थी।

प्रावीडेण्ट फण्ड का भुगतान किया जा चुका है। पेंशन देय नहीं है। बीमा का भुगतान शाखा प्रबन्धक, भारतीय जीवन बीमा निगम, कानपुर द्वारा स्वीकृत होने पर भुगतान कर दिया जायगा।

जनपद मुजफ्फरनगर के एस0 बी0 इन्टर कालेज, सीतापुर के अनु0 जा0 के अध्यापक श्री दयाचन्द की प्रोन्नति

17—श्री दीपक कुमार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 डी0 इन्टर कालेज, मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत अनु0 जा0 के अध्यापक श्री दयाचन्द की प्रोन्नति तदर्थ रूप से दिनांक 16 जुलाई, 1987 को सी0 टी0 से एल0 टी0 वेतन क्रम में आरक्षण कोटे के अन्तर्गत की गयी थी? यदि हां, तो प्रोन्नति किस आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने निरस्त की जबकि उक्त कालेज में आरक्षण कोटा भी पूरा नहीं है? क्या उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां,

तदर्थ पदोन्नति दिनांक 1 जुलाई, 1987 से की गई थी।

दिनांक 1-7-87 से पूर्व सी0 टी0 से एल0 टी0 में पदोन्नति का 40 प्रतिशत का कोटा पूर्ण हो चुका था परन्तु प्रबन्धतंत्र ने उक्त तथ्य को छिपा लिया था। पदोन्नति के 40 प्रतिशत के कोटे के अन्तर्गत ही अनुसूचित जाति का कोटा पूरा किया जाना था अतः जिला विद्यालय निरीक्षक मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दिनांक 28 जुलाई, 1987 द्वारा उनकी उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निरस्त कर दी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

18—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

(11 वें सोमवार के लिए स्थगित)

गोरखपुर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की, की गई नियुक्तियों की जांच हेतु शिकायती -पत्र

19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 25 व 26 जुलाई, 1984 को तृतीय श्रेणी कर्मचारियों (लिपिकीय वर्ग) की नियुक्ति गोरखपुर के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी ने की थी जिसकी शिकायत होने पर आयुक्त कर गोरखपुर ने 9-8-84, 18-10-84, 20-1-87, 4-5-87, 16-7-87, 6-11-87, 11-1-88 व 22-2-88 को शिकायतों की जांच हेतु लिखा है? यदि हां, तो क्या जिलाधिकारी ने जांच कराई? यदि नहीं, त क्यों?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं।

आयुक्त गोरखपुर मन्डल गोरखपुर के पत्र संख्या -7594/23-56, दिनांक 9-8-84 द्वारा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ी अनुसूचित एवं उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक जाति सुधार समिति, लखनऊ का दिनांक 17 अप्रैल, 1984 का केवल एक शिकायती पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ।

जी हां। जांचोपरान्त शिकायतें निराधार पायी गयीं।

जिला गोरखपुर के ग्राम नौव्वा अब्वल (विनहा) तप्पा के श्री भागीरथी को आई0 आर0 डी0 योजनान्तर्गत बोरिंग पम्प सेट हेतु स्वीकृत ऋण एवं छूट

20—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री भागीरथी पुत्र श्री बेनी, ग्राम-नौव्वा अब्वल (विनहा) तप्पा परगना-हवेली, विकास खन्ड खोराबार, तहसील सदर, जिला गोरखपुर को स्थानीय विकास खण्ड के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालज, गोरखपुर से दिनांक 28-9-83 को बोरिंग पंपिंग सेट के लिये 8500 रुपय का

ऋण वितरित किया गया था ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के अनुसार इन्हें छूट सुविधा प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां, आई0 आर0 डी0 योजना अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के बी0के0टी0 ब्लाक के प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या व अध्यापकों की तैनाती की नीति :

21--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ बी0के0टी0 ब्लाक के प्राइमरी स्कूलों में कितने बच्चों पर एक अध्यापक की तैनाती की गयी ? प्रत्येक स्कूल की छात्र संख्या क्या है तथा कितने-कितने अध्यापक तैनात किये गये ? शासन की नीति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

सूची संलग्न है ।

जनपद में अध्यापकों की स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 40 :1 छात्र अध्यापक के मानक के अनुसार अध्यापकों के तैनाती की नीति है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 139 पर)

भू-गर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में माइक्रो कम्प्यूटर खरीदने का प्रस्ताव तथा स्वीकृत धनराशि

22--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग में भू जल आंकड़े रखने एवं गणना हेतु माइक्रो कम्प्यूटर क्रय करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने कम्प्यूटर खरीदे जायेंगे एवं कितनी धनराशि व्यय करने का प्राविधान किया गया है । कम्प्यूटर कब तक क्रय कर लिये जायेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

विभाग में दो माइक्रो कम्प्यूटर क्रय किये जाने का प्राविधान है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा 3.00 लाख रु0 की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

उक्त दोनों माइक्रो कम्प्यूटर को क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है ।

उन्नाव जिले के ब्लाक हिलौली के ग्राम मवई में प्राइमरी स्कूल का भवन निर्माण :

23--श्री हृदय नरायन दीक्षित--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के हिलौली ब्लाक के ग्राम मवई के प्राइमरी स्कूल भवन का निर्माण वर्ष 1986-87 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो अब तक न बन पाने का कारण क्या है ?

श्री सित्ते रजी—

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले की ग्राम सभा अकोहरी के बाजार के सुन्दरीकरण/चबूतरा निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत पर जांच :

24—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 में उन्नाव जिले की ग्राम सभा अकोहरी के बाजार के सुन्दरीकरण/चबूतरा निर्माण हेतु कितनी धनराशि किस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत हुयी थी ? क्या यह सच है कि उक्त धनराशि का सदुपयोग नहीं हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या यह सच है कि अकोहरी निवासी राजेन्द्र बाजपेई आदि नागरिकों ने अतिरिक्त जिलाधिकारी, उन्नाव को माह सितम्बर-अक्तूबर, 1987 में धनराशि के दुरुपयोग की शिकायत की थी ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त शिकायत की जांच दबा दी गयी है ? यदि नहीं, तो जांच निष्कर्ष क्या है और दोषी जनों पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1987-88 में प्रश्नगत योजना हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई । वर्ष 1984-85 में अयोजनागत जिला सेक्टर की हाट बाजार नामक योजना के अन्तर्गत ग्राम सभा अकोहरी को चबूतरा निर्माण हेतु 2,500 रुपये का शासकीय अनुदान स्वीकृत किया गया था ।

प्रसंगगत निर्माण कार्य वर्ष 1987-88 में कराया गया है । कार्य की जांच कराई गई, धनराशि का दुरुपयोग नहीं हुआ है ।

श्री राजेन्द्र बाजपेयी आदि द्वारा अपर जिलाधिकारी (परियोजना) को माह सितम्बर/अक्तूबर, 1987 में उक्त धनराशि के दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र पर जांच करायी जा रही है ।

उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड के सूखा राहत कार्यों की निरीक्षण रिपोर्ट :

25—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा विकास खंड के सूखा राहत कार्यों का असोहा विकास खंड के बी० डी० ओ० असोहा ने कितनी बार निरीक्षण किया है तथा किन-किन कार्यों का निरीक्षण किया है और क्या निरीक्षण रिपोर्ट जिले के संबंधित अधिकारियों को भेजी है ? यदि नहीं, तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या यह भी सच है कि फर्जी मस्टर रोल पर मजदूरी का फर्जी भुगतान दिखाया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बहराइच के विकास खंड पयागपुर के ताल बघेल गांव में कृष्णानगर, सुभाष नगर व सत्संगनगर के विस्थापितों का राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करने की मांग :

26—श्री रामसागर राव—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खंड पयागपुर में कृष्णनगर, सुभाषनगर तथा सत्संगनगर कालोनी के विस्थापित के पचीस वर्ष पूर्व वन विभाग ने तीन सौ एकड़ भूमि आवंटित कर उक्त भूमि में विस्थापितों को कब्जा दे दिया गया है परन्तु उस भूमि के आवंटियों के नाम सरकारी कागजात में अंकित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो नाम अंकित कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वन विभाग के शासकीय आदेश संख्या 8437/ए-503-चौदह-61, दिनांक 5 फरवरी, 1962 के आदेशानुसार जनपद बहराइच के विकास खंड पयागपुर के ताल बघेल गांव में कृष्णानगर, सुभाषनगर सत्संगनगर के विस्थापितों को बसाने हेतु 300 एकड़ वन भूमि सहायता एवं पुनर्वास विभाग को हस्तान्तरित की गयी थी। उपरोक्त शासनादेश के प्रतिबन्धों के अनुसार पुनर्वास विभाग को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण व कर्मचारियों पर किए गए व्यय की पूर्ति हेतु रु0 40,000 वन विभाग को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया। इसके कारण राजस्व अभिलेखों में अभी तक विस्थापितों का नाम दर्ज नहीं हो पाया है।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में दस वर्ष से कार्यरत अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण :

27—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में कुल कितने अवर अभियन्ता ऐसे कार्यरत हैं जिनको उस जनपद में 10 वर्ष के लगभग सेवा करते हुए हो गया ? क्या यह सत्य है कि उसमें से अधिकांश अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण चार वर्ष से लगातार मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण द्वारा किया जाता है और फिर निरस्त कर दिया जाता है? यदि हां, तो क्यों तथा पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में केवल 2 ऐसे अवर अभियन्ता कार्यरत हैं, जिनको उक्त जनपद में लगभग 10 वर्ष हो गये हैं।

जी नहीं।

मुख्य अभियन्ता द्वारा केवल वर्ष 1987 में उक्त दोनों अवर अभियंताओं का स्थानान्तरण किया गया था जो बाद में जनहित में निरस्त किया दिया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

नगर क्षेत्र एटा के क्रमोत्तर पाठशाला बापू विद्या मंदिर में संस्कृत अध्यापकों द्वारा अनियमित वेतन लिया जाना :

श्री अतर सिंह यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र एटा में श्री राम प्रकाश भारद्वाज संस्कृत विषय न होते हुए भी उस विषय के अध्यापक हैं तथा उनको अनियमित वेतन दिया जा रहा है ? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का आदेश संख्या 1015-16/83-84, दिनांक 6 मई,

1983 का पालन शिक्षा अधीक्षक में क्यों नहीं किया ? उक्त क्रमोत्तर पाठशाला बापू विद्या मंदिर, नगर क्षेत्र एटा में प्रधानाध्यापक राम प्रकाश उपाध्याय के होते हुए भी भारद्वाज इंचार्ज प्रधानाध्यापक क्यों हैं तथा इस स्कूल में तीन के स्थान पर छः अध्यापक अध्यापिकाओं का वेतन क्यों दिया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के उक्त आदेश का पालन किया गया था ।

श्री रामप्रकाश उपाध्याय प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापक हैं जो वेतनक्रम 400–620 में कार्यरत हैं जब कि श्री राम प्रकाश भारद्वाज वेतनक्रम 450–720 में क्रमोत्तर जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत हैं । जिसके अनुसार वरिष्ठ हैं । क्रमोत्तर कक्षाओं (6, 7, 8) के सुचारू संचालन हेतु इंचार्ज बनाया गया है जिसका श्री भारद्वाज को कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जा रहा है । जांच के आदेश जारी कर दिये हैं ।

29—श्री अतर सिंह यादव—

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

सर्वोदय इन्टर कालेज, रामगंज (फैजाबाद) में आरक्षित समूह स्नातक वेतनक्रम के अध्यापक श्री श्रीकृष्ण प्रसाद की नियुक्ति व 40 प्रतिशत कोटा पूर्ण न होने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

30—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद के पत्र संख्या शि0 सं0 1/5672-73/83–86, दिनांक 19 अक्टूबर, 1985 द्वारा प्रेषित आदेश आरक्षित समूह स्नातक वेतनक्रम के अध्यापक श्री श्रीकृष्ण प्रसाद सिंह की नियुक्ति सर्वोदय इन्टर कालेज, रामगंज में हुई है । यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्ति के समय विद्यालय में 40 प्रतिशत पदोन्नति का कोटा विभागीय नियमानुसार पूर्ण किया जा चुका था ? यदि नहीं, तो इस संबंध में विभागीय स्तर से क्या कार्यवाही की गई ।

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

जी नहीं ।

मामले की जानकारी होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश [illegible]ध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्राविधानों के अनुस[illegible] सिंह का आमेलन किसी अन्य संस्था में दिनांक 12 जून, 1985 के उपरान्त होने वाली ऐसी [illegible] रिक्ति में कर दें जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्ति की जानी हो ।

जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इण्टर कालेज, देवलथल का भवन निर्माण

31—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में राजकीय इण्टर कालेज, देवलथल के भवन निर्माण के लिये आगणन किस वर्ष तैयार किये गये थे । इस विद्यालय के भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर पूरा करा लिया जायेगा ? इस भवन के मूल आगणन से अब तक लगातार

हो रही मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार इसे तुरन्त पूरा करवाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1979 में आगणन तैयार किये गये थे। निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा पूर्ण होने की निश्चित तिथि विदित नहीं है। निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से अनुरोध किया जा चुका है।

जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेजों में वानिकी एवं पर्वतीय कृषि विषयों को पढ़ाने हेतु भूमि की व्यवस्था

32—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय इण्टर कालेजों में वानिकी एवं पर्वतीय कृषि विषयों को पढ़ाने हेतु आवश्यक भूमि की पूछताछ व्यवस्था करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, पिथौरागढ़ ने अपने अधीनस्थ सभी रा0 इ0 कालेजों को अपने कार्यालय से भेजे पत्रांक सा0 नि0 वि0/3135-3215/तीन-11/86-87, दिनांक 8 मई, 1986 द्वारा सूचना संकलित कराकर सरकार के पास भेजी थी ? यदि हां, तो जनपद पिथौरागढ़ में कौन-कौन से इण्टर कालेज उपरोक्त विषयों के अध्यापन हेतु किन-किन कारणों से उपयुक्त माने गये ? इस हेतु क्या-क्या न्यूनतम मानक माने गये। चयनित विद्यालयों में कब से उपरोक्त विषयक पढ़ाई प्रारम्भ हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ग्राम अलुआ स्थित जूनियर हाई स्कूल का भवन निर्माण

33—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद में विकास क्षेत्र, औराई अन्तर्गत ग्राम अलुआ स्थित जूनियर हाई स्कूल (अलुवा) सन् 1972 से बिना भवन के चल रहा है ? यदि हां, तो इस विद्यालय के लिए भवन निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जिला सलाहकार समिति/जिला शिक्षा समिति द्वारा विद्यालयों का भवन निर्माण हेतु चयन करने एवं जनपद स्तर पर जिला योजना में धन का प्राविधान होने पर विद्यालय भवन निर्माण कराने की व्यवस्था है।

34—श्री सुखपाल पाण्डे—

(11वें सोमवार के लिए स्थगित)

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, हमीरपुर के अधिशासी अभियन्ता की प्रतिनियुक्ति एवं उनके पैतृक विभाग में वापसी की मांग

35—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

प्रथम सत्र 1986 के दूसरे सोमवार दिनांक 17 फरवरी, 1986 के अतारांकित प्रश्न स0 13 (कुंवर मानवेन्द्र सिंह) के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन

द्वारा 13 सितम्बर, 1984 को याचिका संख्या 1766 सन् 1983 में प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने के बाद दो वर्षों से कितनी तारीखें लगीं एवं उक्त तिथियों में क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी (पिटीशनर) का संविलीनीकरण प्रस्ताव क्षेत्रीय विकास अनुभाग 2 के अर्धशासकीय गोपनीय पत्र संख्या 5706/पी0एस0पी0एस0/87, दिनांक 17 जनवरी, 1987 द्वारा अंतिम रूप से निरस्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो स्थगन आदेश के बावजूद संविलियन हेतु विचार करने के क्या सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच करा कर कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

शासन द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 1984 को याचिका संख्या 1766 सन् 1983 में माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु प्रति शपथ-पत्र दाखिल करने के बाद उपलब्ध जानकारी के अनुसार 9 तारीखें सुनवाई हेतु लगी थीं एवं उक्त तिथियों में स्थगन आदेश निरस्त कराने हेतु पैरवी की गई ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के संविलीनीकरण के प्रश्न पर शासन द्वारा विचार किया गया तथा डा0 पाण्डेय का संगठन में संविलीनीकरण का कोई औचित्य नहीं पाया गया । तदनुसार ही दिनांक 24 जुलाई, 1987 को माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त होने के उपरान्त ही डा0 पाण्डेय को उनके पैतृक विभाग में वापस जाने हेतु दिनांक 28 अगस्त, 1987 को कार्यमुक्त किया गया है । अतः इस प्रकरण पर अब जांच एवं कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

भारत सरकार के टेक्नालाजी मिशन आफ ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज एण्ड रिलेटेड वाटर मैनेजमेंट द्वारा भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को सहायता एवं सम्मिलित किये गये जनपदों की संख्या

36—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को भारत सरकार के टेक्नोलाजी मिशन आफ ड्रिंकिंग वाटर इन विलेज एण्ड रिलेटेड वाटर मैनेजमेण्ट के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करायी जायेगी । यदि हां, तो उक्त मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के किन-किन जनपदों के कितने-कितने ग्रामों को वर्ष 1987–88 में सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भारत सरकार के टेक्नालाजी मिशन आफ ड्रिंकिंग वाटर के अन्तर्गत भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद तथा केन्द्रीय भूजल परिषद् द्वारा संयुक्त रूप से मिर्जापुर जनपद के बेलन नदी सब-बेसिन में सर्वेक्षण करने हेतु एक प्रस्ताव जल निगम की ओर से मार्च, 1988 में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया है । टेक्नालाजी मिशन भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन को कितनी सहायता देगा, यह अभी तय नहीं है ।

उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त जानकारी के आधार पर टेक्नालाजी मिशन के अन्तर्गत 4 जनपदों का मिनी-मिशन एरिया के रूप में चयन हुआ है, जो क्रमशः मिर्जापुर, आगरा, उन्नाव एवं सुल्तानपुर हैं । ग्रामों की संख्या की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

बस्ती के किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय के एल0टी0 के छात्रों का परीक्षाफल घोषित करने की मांग

37—श्री राकेश धर त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती में एल0टी0 के छात्रों का परीक्षाफल अभी तक घोषित क्यों नहीं किया गया ? क्या माननीय मंत्री अविलम्ब परीक्षाफल घोषित करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती में वर्ष 1987 में एल0टी0 परीक्षा के लिये 78 छात्र पंजीकृत हुये थे जिनमें से 60 छात्रों का परीक्षाफल 19 फरवरी, 1988 को ही घोषित किया जा चुका है। एक छात्र का अभ्यर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित अंक पत्र आदि फर्जी पाये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया है, 3 छात्रों द्वारा शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने तथा परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण उनका अभ्यर्थन भी निरस्त कर दिया गया।

इस प्रकार 78 पंजीकृत छात्रों में से 64 के परीक्षाफल का निस्तारण हो चुका है। शेष 14 छात्रों में से 8 छात्रों का परीक्षाफल शैक्षिक योग्यता का सत्यापन अभी न हो पाने के कारण घोषित नहीं किया जा सका है और सम्प्रति रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के विचाराधीन है। शेष 6 छात्रों के माध्यमिक शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय से अंक-पत्रों के सत्यापन में प्राप्तांकों तथा श्रेणी में भिन्नता पाये जाने के कारण उन्हें "कारण बताओ नोटिस" दी गयी है जिसका उत्तर प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन मामलों में भी गुणावगुण के आधार पर रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के कृष्ण चन्द्र रामचन्द्र इन्टर कालेज के सहायक अध्यापक श्री तेज प्रताप पाठक का वेतन निर्धारण

38—श्री बीरेन्द्र सिंह सोलंकी (एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री तेज प्रताप पाठक, सहायक अध्यापक (एल0 टी0 ग्रेड), कृष्ण चन्द्र रामचन्द्र इन्टर कालेज, शुकुल बाजार, जनपद सुल्तानपुर का द्वितीय वेतन आयोग के आधार पर गलत वेतन निर्धारण किया गया था? क्या यह भी सही है कि शासनादेश के विपरीत इनका मूल वेतन अपने कनिष्ठ अध्यापक से कम निर्धारित किया गया है, जिसके विपरीत इन्होंने वर्ष 1985 में अनेक बार आवेदन पत्र दिया है किन्तु आज तक कोई निर्णय नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों? इसके लिये कौन उत्तरदायी है?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सुल्तानपुर का पत्रांक बे0 नि0/8161-62-87-88, दिनांक 25-7-87, जो प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, कृ0 रा0 इं0 कालेज, शुकुल बाजार, सुलतानपुर को संबोधित है, द्वारा श्री तेज प्रताप पाठक, सहायक अध्यापक, एल0 टी0 के वेतन निर्धारण के संबंध में निर्णय लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर की तरह विकास खण्ड सुमेरपुर को शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित न किये जाने पर आपत्ति

39—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्रीय विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना विविध सं0 -6776/54-2-9(166)83 लखनऊ, दिनांक 31 सितम्बर, 1986 जारी करके जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बीघापुर को शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो इसी जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सुमेरपुर को उक्त समादेश के अन्तर्गत उक्त अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

नहरों द्वारा उपलब्ध सिंचाई जल के समुचित उपयोग की आवश्यकतानुसार विकास खण्ड समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी में सिंचाई विभाग की सहमति प्राप्त कर सम्मिलित किये जाते हैं। उन्नाव जनपद के बीघापुर विकास खण्ड को समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी में सम्मिलित करने हेतु सिंचाई विभाग की सहमति प्राप्त होने पर उसे अधिसूचना सं0 -6876/54-1-9 (166)83, दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 द्वारा शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी में सम्मिलित किया गया है। चूंकि उन्नाव जनपद के सुमेरपुर विकास खण्ड को समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी में सींच क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए सम्मिलित करने की आवश्यकता सिंचाई विभाग द्वारा नहीं पाई गई, अतएव इस विकास खण्ड को सम्मिलित नहीं किया गया है।

गोरखपुर मण्डल में उप विकास आयुक्त मण्डल के रिक्त पद पर नियुक्ति की मांग

40—श्री विष्णु देव तथा श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मण्डल में उप विकास आयुक्त का पद विगत जून, 1987 से ही रिक्त है तथा उक्त महत्वपूर्ण पद पर अभी तक किसी डी0 डी0 सी0 /जे0 डी0 सी0 की नियुक्ति नहीं की गयी है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त पद का चार्ज वर्तमान समय में एक ऐसे अधिकारी को दिया गया है जो उसी मण्डल में सी0 डी0 ओ0 के पद पर पदासीन है। यदि हां, तो क्या उक्त पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति अविलम्ब की जायेगी अथवा उक्त पद का चार्ज किसी मण्डलीय अधिकारी को दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

दिनांक 30 जून, 1987 को तत्कालीन उप विकास आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर की सेवा निवृत्ति के फलस्वरुप उक्त पद रिक्त होने पर श्री रोहित नन्दन, मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर को इस पद पर भी नियुक्त किया गया है।

जी हां।

वर्तमान वार्षिक स्थानान्तरण सत्र के समय इस पद का पूर्णकालिक संयुक्त विकास आयुक्त/उप विकास आयुक्त नियुक्त किया जायेगा।

ग्राम सभा गौरा जनपद जौनपुर में लिंक रोड के निर्माण की मांग

41—श्री रायलक्ष्मी नारायण सिंह तथा श्री राज बहादुर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 12 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काफी अर्से से उपेक्षित उक्त गांव के त्वरित विकास के लिये शासन ग्राम विकास अभिकरण को समुचित निर्देश जारी करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

42—श्री राम विशुन आजाद—

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)

हरिजनों एवं गरीबों को आई0आर0डी0 नकद योजना ऋण के सन्दर्भ में केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग ।

43—श्री त्रिभुवन प्रसाद—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के पहले सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री ने हरिजनों एवं गरीबों को आई0आर0डी0 नकद योजना ऋण के संदर्भ में केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ? यदि नहीं, भेजा, तो क्या भेजने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

आई0आर0डी0 योजना केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना है और इसका कार्यान्वयन केन्द्र सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा आई0 आर0डी0 योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को नकद ऋण/अनुदान उपलब्ध कराने की योजना परीक्षण के तौर पर जनपद सुल्तानपुर केन विकास खण्ड, अमेठी एवं जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बक्शा में वर्ष 1986–87 से कार्यान्वित की जा रही है । नकद ऋण/अनुदान योजना के परीक्षणोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

44–45—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

(9वें मंगलवार में अता0प्र0सं0 79–80 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मैनपुरी में कटरा समान से रूपपुर जाने वाली सड़क पर पत्थर की गिट्टी के स्वीकृत श्री बृजेन्द्र सिंह यादव के टेण्डर को निरस्त करना

46—श्री शिवबख्श सिंह राठौर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक किशनी, जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत कटरा समान से रूपपुर जाने वाली सड़क पर श्री बृजेन्द्र सिंह यादव का पत्थर की गिट्टी का टेण्डर स्वीकृति हो गया था ? यदि हां, तो उस स्वीकृत टेण्डर को निरस्त करने का औचित्य है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

47--श्री अकबर हुसैन बावर--

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)

48--भगवती सिंह विशारद--

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद मुरादाबाद में रझेड़ा नाले पर बनी पुलिया की मरम्मत

49--कुंवर रेवती रमण सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर "सक्टूनगला" मार्ग ब्लाक भगतपुर टांडा, जनपद मुरादाबाद पर "रेझेड़ा" के ऊपर बनायी गयी पुलिया कई बार मरम्मत होने के बावजूद पिछले तीन वर्ष से टूटी पड़ी है ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत कब तक कराई जायेगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

हमीरपुर सक्टूनगला मार्ग, विकास खण्ड भगतपुर टांडा, जनपद मुरादाबाद में रेझेड़ा नाले के ऊपर बनायी गयी पुलिया यथा स्थिति है परन्तु नाले के बहाव से किनारों की मिट्टी क्षतिग्रस्त हो गई है। पुलिया के विस्तार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के संचालक मण्डल की आगामी बैठक में स्वीकृति हेतु रखा जायेगा ।

प्रदेश की जिला परिषदों में कार्य अधिकारी के सृजित पदों की संख्या व रिक्त पदों को भरने हेतु कृत कार्यवाही ।

50--श्री औसान सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान में प्रदेश की विभिन्न जिला परिषदों में कार्य अधिकारी के कुल कितने पद सृजित हैं, कितने पद अधिकारियों के अभाव में कब से रिक्त चल रहे हैं । उनके भरे जाने की क्या कार्यवाही चल रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

प्रदेश की विभिन्न जिला परिषदों में कुल 56 कार्य अधिकारी के पद सृजित हैं । वर्तमान समय में सीधी भर्ती के 28 पद के विरुद्ध 14 पद तथा पदोन्नति के 28 पद के विरुद्ध 8 पद कार्य अधिकारी के वर्ष 1987 से रिक्त चल रहे हैं । रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है :

जिल परिषद् इटावा के कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति से पूर्व गठित चयन समिति के सदस्यों का विवरण एवं चयन की कार्यवाही

51--श्री औसान सिंह--

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिलापरिषद्, इटावा के कार्यालय अधीक्षक पद पर प्रोन्नति करने से पूर्व कोई चयन समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या वह जिला परिषद् एवं क्षेत्र समिति अधिनियम के अनुरूप थी ? उस समिति के सदस्य

कौन-कौन थे और उक्त गठित चयन समिति के समक्ष कितने अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में भाग लिया ? क्या उक्त समिति का निर्णय नियम और न्याय संगत न होने कारण निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में बरती गई अनियमितता के प्रति संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, इटावा की अध्यक्षता में कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु चयन समिति का गठन किया गया था। जिसमें मुख्य अधिकारी जिला परिषद् सचिव/सदस्य तथा वित्तीय परामर्शदाता सदस्य थे। उत्तर प्रदेश जिला परिषद्, सेवा नियमावली 1970 के नियम 24 में निहित प्राविधानों के तहत कार्यालय अधीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु चुनाव वरिष्ठता व उपयुक्तता के आधार पर किया गया है। अतएव समिति के समक्ष किसी भी अन्य अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नगत पद पर चयन की कार्यवाही नियमावली के अनुरूप की गयी है। अतएव चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यालय अधीक्षक के पद पर की गई नियुक्ति को न तो निरस्त करने का और न ही किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उठता है।

रा0इ0का0रा0उ0मा0वि0 में सी0टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों की प्रति उप जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नत करने की मांग

52--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रा0इ0का0रा0उ0मा0वि0 में सी0टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों को प्रति उप जिला विद्यालय निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नत क्यों नहीं किया जाता है जबकि राजकीय दीक्षा विद्यालय से संबंधित आदर्श विद्यालयों के जे0टी0 सी0 वेतनक्रम के अध्यापकों को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक पदों पर प्रोन्नति किया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

नियमों में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

राजकीय दीक्षा विद्यालयों से सम्बद्ध आदर्श विद्यालयों के जे0टी0सी0 वेतनक्रम के अध्यापकों को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नत नहीं किया जा रहा है।

राजकीय दीक्षा विद्यालय से सम्बन्धित आदर्श विद्यालय के जे0टी0सी0 के अध्यापकों की प्रोन्नति

53--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या राजकीय दीक्षा विद्यालय से संबंधित आदर्श विद्यालय के जे0टी0सी0 के अध्यापकों को सी0टी0 ग्रेड में रा0इ0का0/रा0उ0मा0वि0 तथा आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के पदों पर प्रोन्नत किया जाता था ? यदि हां, तो अब इन अध्यापकों को सीधे प्रति उप निरीक्षक के पदों पर क्यों प्रोन्नत किया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां।

इन अध्यापकों को प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पदों पर प्रोन्नत नहीं किया जा रहा है।

आजमगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मगरावां में पद सृजन के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

54—श्री मोहम्मद मसूद खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेन्डरी स्कूल, मगरावां, आजमगढ़ के पद सृजन के संबंध में प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को कब दिया गया और उसपर कोई अंतिम आदेश हुए थे ? यदि हां, तो कब और क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरावां, आजमगढ़ के पद पर सृजन का प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ कार्यालय में दिनांक 15 जून, 1986 को प्राप्त हुआ।

प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता की दृष्टि से आयोजनेत्तर पक्ष में पदों के सृजन पर रोक लगी होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के उच्च शिक्षा आयोग द्वारा फरवरी, 1987 में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची घोषित करने की मांग

55—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के उच्च शिक्षा आयोग ने फरवरी 1987 में अभ्यर्थियों का जो चयन किया था, उसकी चयन सूची कब तक प्रकाशित कर दी जायेगी ? क्या चयन सूची को अब तक प्रकाशित न होने का कारण आयोग के अध्यक्ष की सेवा-निवृत्ति है ? यदि हां, तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर चयन सूची कब तक घोषित कर दी जायेगी।

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत अवधि में मनोविज्ञान व भूगोल के लिये चयन किया गया। भूगोल की चयन सूची 23 मार्च, 1987 को प्रकाशित की गई। मनोविज्ञान की चयन सूची पहले उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश और उसके समाप्त होने के उपरान्त अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्य के नियुक्त न होने से आयोग का गठन अपूर्ण होने के कारण प्रकाशित नहीं की जा सकी। अब अध्यक्ष एवं एक अन्य सदस्य की नियुक्ति कर दी गई है और मनोविज्ञान की चयन सूची भी आयोग द्वारा शीघ्र घोषित कर दी जाने की आशा है।

जनपद जौनपुर के ग्राम रामपुर में प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण

56—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम रामपुर सबाई विकास खण्ड मछलीशहर, जनपद जौनपुर में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण इसी वर्ष ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जौनपुर द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस गाटा संख्या पर और किसकी भूमि पर क्या मंत्री जी को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला के भवन निर्माण हेतु गाटा संख्या 849 आरक्षित था यदि हां, तो उक्त नम्बर पर भवन निर्माण न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या ग्राम प्रधान ने दिनांक 7 मार्च, 1988 को जिलाधिकारी

(परियोजना) जौनपुर का शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

जी हां । गाटा संख्या 758 ग्राम सभा की भूमि पर प्रश्नगत प्राइमरी पाठशाला का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जी हां ।

ग्राम सभा के उप प्रधान व ग्रामवासियों के निवेदन पर निर्माण कार्य गाटा संख्या 758 में प्रारम्भ कराया गया ।

जी हां ।

अपर जिलाधिकारी (परियोजना), जौनपुर के निर्देशानुसार गाटा नं0 758 पर निर्माण कार्य स्थगित करा दिया गया था जो बाद में जिलाधिकारी के आदेशों से पुनः प्रारम्भ किया गया ।

जनपद गोरखपुर में सहायताप्राप्त हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग अनुदान सहित मान्यता एवं कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करना

57---श्रीमती शारदा देवी---

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88 के लिए शासन द्वारा गोरखपुर जनपद में कितने सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग की मान्यता अनुदान सहित दी गई तथा इनमें से कितने विद्यालयों को कक्षा संचालन की अनुमति दी गई तथा किन विद्यालयों को नहीं दी गई और क्यों ?

श्री सिब्ते रजी---

वित्तीय वर्ष 1987-88 में शासन द्वारा गोरखपुर जनपद के किसी भी सहायता प्राप्त विद्यालयों को हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग की मान्यता अनुदान सहित नहीं दी गई है । अतः कक्षा संचालन की अनुमति देने या न देने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर की क्षेत्र समिति द्वारा ग्रामों में सामुदायिक विकास केन्द्रों का निर्माण

58---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 तथा 87-88 में क्षेत्र समिति, खैराबाद, जनपद सीतापुर द्वारा किन-किन ग्रामों में सामुदायिक विकास केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया तथा अब तक किन-किन ग्रामों में सामुदायिक विकास केन्द्र बनना प्रारम्भ हो गया है ? यदि कहीं बनना प्रारम्भ नहीं हुआ तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय---

क्षेत्र समिति, खैराबाद की कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार वर्ष 86-87 तथा 87-88 में कहीं भी सामुदायिक विकास केन्द्र बनाने का निर्णय नहीं लिया गया है ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सीतापुर द्वारा अब तक ग्राम सभा बद्रीपुर मंसूरपुर के ग्राम पंडित पुरवा में एक सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण प्रारम्भ हुआ है।

जिला सीतापुर के विकास खन्ड खैराबाद में वर्ष 1987-88 में बायोगैस संयंत्र पूर्ण करने व सब्सिडी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की सूची

59--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खन्ड खैराबाद, जिला सीतापुर में वर्ष 1987-88 में किस-किस व्यक्ति के बायोगैस संयंत्र पूर्ण हो गये हैं तथा सब्सिडी मिल गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 1987-88 में प्रश्नगत विकास खन्ड के सर्वश्री अनिल कुमार, बालक राम, राजेन्द्र कुमार, श्रीमती कुल्सुम व मेडई लाल के बायोगैस संयंत्र पूर्ण हो गये हैं और इन सभी लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा चुकी है।

जिला सीतापुर, ब्लाक खैराबाद द्वारा ग्रामों में इन्दिरा आवास बनाने हेतु निर्गत धन

60--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1987-88 में ब्लाक खैराबाद, जिला सीतापुर द्वारा किन-किन ग्रामों में इन्दिरा आवास बनाने का निर्णय प्रस्ताव पास करके लिया गया है ? किस-किस ग्राम में इन्दिरा आवास बनाने हेतु बी0 डी0 ओ0 द्वारा धन निर्गत किया गया है ? क्षेत्र समिति द्वारा स्वीकृत ग्राम के अतिरिक्त ग्राम के लिये बी0 डी0 ओ0 द्वारा धन निर्गत किए जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सीतापुर जनपद के विकास खन्ड खैराबाद के ग्राम परसेहरा खुर्द परसेहरा कलां मुलायमपुर, मखुआपुर और करियामऊ में नियमानुसार पारित ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पास करके इन्दिरा आवास प्रस्तावित किए गए हैं।

खन्ड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम परसेहरा खुर्द, परसेहरा कलां, मुलायमपुर और करियामऊ में इन्दिरा आवास बनाने हेतु धन निर्गत किया गया है।

वर्ष 87-88 में क्षेत्र समिति ने इन्दिरा आवास के संबंध में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। भारत सरकार के निर्देशानुसार आवास निर्माण के लिये लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा स्तर से किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार धन निर्गत किया गया।

61--श्री अब्दुल वहीद कुरैशी--

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)।

जनपद मुरादाबाद की संस्थाओं को ट्रायसेम योजना के अन्तर्गत दिए गये कच्चे माल के अवशेष रुपये का भुगतान

62—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "ट्रायसेम" योजना के अन्तर्गत संस्था को कच्चे माल का रुपया देने का प्राविधान है ? यदि हां, तो वर्ष 1986–87 का जनपद मुरादाबाद की सभी संस्थाओं का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन संस्थाओं का भुगतान होना शेष है और क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

जी नहीं। दस संस्थाओं को कच्चे माल का भुगतान अवशेष है।

निम्नांकित प्रशिक्षण संस्था को कच्चे माल का भुगतान अवशेष है—

1—अमरपुर काशी ग्रामीण पालीटेक्निक, बिलारी।

2—रजनी शिल्प कला केन्द्र, बछरायूं।

3—ग्रामीण विकास तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, गोविन्दपुर खुर्द।

4—कमल रेडियो केन्द्र, नूरपुर।

5—उमारानी गुप्ता, बिलारी।

6—मे0 गुप्ता इलेक्ट्रानिक, धनौरा।

7—सिलाई, बुनाई कटाई, प्रशिक्षण केन्द्र, खेड़ा।

8—ग्रामीण उद्योग सेवा नियोजन केन्द्र, सम्भल।

9—जनता टाइप स्कूल, सम्भल।

10—प्रतिभा फोटो स्टूडियो, धनौरा।

उपरोक्त संस्थाओं ने कच्चे माल क्रय के वाउचर स्टाक बुक एवं कच्चे माल से तैयार सामान का रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण उक्त संस्थाओं का कच्चे माल का भुगतान अवशेष है।

परियोजना निदेशक, मुरादाबाद द्वारा (आजमगढ़) ग्रामीण विकास तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र गोविन्दपुर द्वारा क्रय किये कच्चे माल का भुगतान न करने के दोषी अधिकारी

63—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "ग्रामीण विकास तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, गोविन्दपुर खुर्द" का कच्चा माल का वर्ष 1986–87 का भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ है और वह परियोजना निदेशक, मुरादाबाद के कार्यालय में क्यों रुका हुआ है ? इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण विकास तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र "गोविन्दपुर खुर्द" द्वारा वर्ष 1986–87 में क्रय किये गये कच्चे माल के वाउचर, स्टाक बुक एवं कच्चे माल से निर्मित सामानों के रजिस्टर जिला ग्राम्य

विकास अभिकरण, मुरादाबाद को न प्रस्तुत किये जाने के कारण इस संस्था को अभी तक कच्चे माल का भुगतान नहीं किया गया है और परिणामस्वरूप प्रश्नगत भुगतान परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मुरादाबाद के कार्यालय में रुका हुआ है। इसके लिये प्रश्नगत संस्था ही दोषी है।

बाराबंकी के अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के विरुद्ध शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच एवं जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की मांग

64--श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी के अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के विरुद्ध श्री सत्येन्द्र पाण्डेय, महामंत्री एन0 एस0 यू0 आई0 उ0 प्र0 ने शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था और उस पर दिनांक 4 जनवरी, 1988 को टी0 ए0 सी0 द्वारा जांच किये जाने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ? यदि जांच पूर्ण नहीं हुई है, तो शासन कब तक जांच को पूर्ण करवा देगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग बाराबंकी के विरुद्ध श्री सत्येन्द्र पाण्डेय, महामंत्री, एन0 एस0 यू0 आई0, उ0 प्र0 के शिकायती पत्र पर दिनांक 3 फरवरी, 1988 को टी0 ए0 सी0 से जांच कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। जांच कार्यवाही प्रगति पर है, से शीघ्र ही पूर्ण करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद उन्नाव के विकास खण्ड, हिलौली की ग्राम सभा गुलरिहा में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासों में लाभार्थियों का निवास

65--श्री देव कुमार यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड, हिलौली की ग्राम सभा गुलरिहा में वर्ष 85-86 में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत कितने आवासों का निर्माण कराया गया है ? क्या इन आवासों में कोई लाभार्थी निवास कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इन आवासों के निर्माण में निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप धन न लगाकर धपला किया गया है ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी, हिलौली के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

वर्ष 85-86 में विकास खण्ड, हिलौली के ग्राम सभा गुलरिहा में इन्दिरा आवास के तहत आठ आवासों का निर्माण कराया गया है। सभी आवासों में लाभार्थी निवास कर रहे हैं तथा इन आवासों के निर्माण निर्धारित माप दण्ड के अनुरूप कराया गया है। अतः खण्ड विकास अधिकारी, हिलौली के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता

जनपद मथुरा के मांट विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1986-87 में निःशुल्क बोरिंग पर लगाये पम्पसेटों के सापेक्ष अनुदान का समायोजन

66--श्री कुशल पाल सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 में जनपद मथुरा के मांट विधान सभा क्षेत्र में कितने निःशुल्क बोरिंग करवाये गये हैं उन पर कितने पम्प सेट लग चुके हैं ? क्या उनके सापेक्ष अनुदान का समायोजन हो गया है ? यदि हां, तो कितनों का ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1986-87 में जनपद मथुरा के मांट विधान सभा क्षेत्र में कुल 253 निःशुल्क बोरिंग किये गये हैं ।

समस्त निःशुल्क बोरिंग पर पम्प सेट लग चुके हैं तथा सभी मामलों में उनके सापेक्ष अनुदान का समायोजन किया जा चुका है ।

फैजाबाद के सर्वोदय इण्टर कालेज, रामगंज के सहायक अध्यापक श्री कृष्ण प्रसाद सिंह की नियुक्ति निरस्त करने की मांग

67—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री कृष्ण प्रसाद सिंह, सहायक अध्यापक, सर्वोदय इण्टर कालेज, रामगंज, फैजाबाद की माह सितम्बर, 85 (पूल) अध्यापक के रूप में, शिक्षा संहिता के अनुसार विद्यालय में 40 प्रतिशत आरक्षित प्रोन्नति कोटा पूर्ण किये जाने के पूर्व ही नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो इस नियुक्ति का औचित्य क्या है ? क्या उक्त अवैध नियुक्ति को निरस्त करने पर विचार करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रबंधतंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद को पदोन्नति कोटे के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना न देने के कारण ही आरक्षित अध्यापक का आमेलन किया गया ।

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद को निर्देश दे दिये गये हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्राविधानों के अनुसार श्री कृष्ण प्रसाद सिंह का आमेलन किसी अन्य संस्था में दिनांक 12 जून, 1985 के उपरान्त होने वाली ऐसी मौलिक रिक्ति में कर दें, जिसमें सीधी भर्ती से नियुक्ति की जानी हो ।

जनपद बाराबंकी में जू0 हा0 स्कूल तथा प्राइमरी स्कूलों में स्वीकृत पदों पर उर्दू अध्यापकों की नियुक्तियों हेतु कृत कार्यवाही

68—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में वर्ष 1973-74 व 1984 में जू0 हा0 स्कूल तथा प्राइमरी स्कूलों के लिए कितने उर्दू अध्यापकों के पद स्वीकृत हुए थे और इनमें से कितने पदों पर नियुक्तियां हुई ? जरीना आब्दी, जमशेद अख्तर व आयशा खातून की नियुक्तियां उन पदों पर क्यों नहीं हो सकी ? जनपद बाराबंकी में इस समय कितने उर्दू अध्यापकों के पद रिक्त हैं ? इन रिक्तियों की पूर्ति हेतु अब तक कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष 1973-74 में प्रा0 पा0 के वेतनक्रम में जूनियर हाई स्कूलों में 50 अध्यापक सम्बद्ध तथा प्राइमरी के लिए 23 पद स्वीकृत हुये थे । वर्ष 1984 में 1973-74 के जूनियर हाई स्कूल से सम्बद्ध 50 सहायक अध्यापक को जूनियर हाई स्कूल में समायोजित करते हुये 90 पद स्वीकृत थे तथा प्राइमरी के लिए 50 सभी पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं ।

जरीना आब्दी तथा जमशेद अख्तर साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हुये । नियमानुसार आयशा खातून का नाम योग्यता क्रम में बहुत पीछे होने के कारण चयन नहीं हो सका । कोई पद रिक्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर के खण्ड विकास अधिकारी, सरदारनगर को कन्ट्रोल रेट पर प्राप्त सीमेण्ट का वितरण

69—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में अगस्त 1985 से 31 मार्च, सन् 1986 तक तथा वर्ष 1986-87 में माह अप्रैल, 1986 से मार्च 1987 तक तथा वर्ष 1987-88 में माह अप्रैल से जून 1987 तक कुल कितने बोरे कन्ट्रोल रेट की सीमेण्ट खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर, जिला गोरखपुर को प्राप्त हुई तथा उसे किन-किन लोगों में वितरित किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

वर्ष 1985-86 में (अगस्त, 1985 से 31 मार्च, 1986 तक) 2491 बोरी, वर्ष 1986-87 में (अप्रैल, 1986 से मार्च, 1987 तक) 1900 बोरी तथा वर्ष 1987-88 में माह-अप्रैल से जून 1987 तक 250 बोरी (कुल 4641 बोरी) कन्ट्रोल रेट की सीमेण्ट खण्ड विकास अधिकारी, सरदारनगर गोरखपुर को उपलब्ध करायी गयी । इसे 266 व्यक्तियों को वितरित किया गया जिसकी सूची रे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

जिला गोरखपुर के विकासखण्ड, सरदारनगर में 1986-87 में एन0 आर0 ई0 पी0 योजनान्तर्गत हरे पेड़ लगाने हेतु स्वीकृत धन एवं गबन के मामले

70—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड, सरदारनगर, जिला गोरखपुर में वर्ष 1986-87 में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना में लगभग 26 हजार रुपये व्यय करके 20 हजार पेड़ों को लगाया जाना रेलवे स्टेशन चौरी-चौरा व नये निर्माणाधीन शहीद स्मारक चौरी-चौरा के बीच की खाली भूमि में वेस्ट लैण्ड प्लांट योजना के अन्तर्गत दिखाया गया है जबकि बागवानी स्थल पर एक भी पेड़ नहीं है तथा इस वित्तीय वर्ष 1987-88 में उक्त भूमि पर कोई वृक्ष न होने के कारण ही रेलवे द्वारा अपने खर्च से 150 या 200 वृक्ष लगाये गये हैं ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त बागवानी में फर्जी मस्टर रोल व उस पर फर्जी हस्ताक्षर व बिना अंगूठा लगाकर तथा उसे प्रमाणित करके तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी व उनके एक अधीनस्थ लेखा निरीक्षक द्वारा धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो मामले में कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं । वर्ष 1986-87 में जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, सरदारनगर में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन, चौरी-चौरा के बीच रेलवे की भूमि में 20648 रु0 का व्यय करके 20 हजार वृक्ष लगवाए गये थे, जो यथावत् हैं । कोई वृक्ष न रहने के कारण उस स्थान पर रेलवे द्वारा 150 या 200 वृक्ष लगाये जाने की पुष्टि नहीं होती, उक्त कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी है ?

जिला गोरखपुर के विकास खण्ड, सरदारनगर में एन0आर0ई0पी0 तथा एल0आर0आई0ई0 जी0पी0 योजनान्तर्गत ह्यूम पाइपों की खरीद

71—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् 1985 से लेकर जून सन् 1987 तक विकास खण्ड, सरदार नगर, जिला गोरखपुर में एन0आर0ई0पी0 तथा एल0आर0आई0ई0जी0

पी0 योजना के अन्तर्गत वृहद् पैमाने पर ह्यूम पाइपों की खरीददारी जनपद बस्ती के फर्म से महंगे रेट पर की गयी तथा उस पर परिवहन व्यय भी अलग से खर्च किया गया जबकि नियमानुसार उक्त ह्यूम पाइपों की खरीददारी रेट कान्ट्रैक्ट की स्थानीय फर्मों से किया जाना था ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

विकास खण्ड सरदार नगर में माह अगस्त, 1985 से जून, 1987 के मध्य कुल 36 ह्यूम पाइपों का क्रय रेट कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत निर्धारित दर पर स्थानीय फर्म से किया गया है तथा पाइप को सरदार नगर तक लाने का अलग से कोई परिवहन व्यय नहीं दिया गया है ।

जनपद सुल्तानपर की ग्राम सभा महारानी पश्चिम के अभिलेखों में श्रीमती देवरानी को मृतक अंकित करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही ।

72--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर, तहसील कादीपुर ब्लाक प्रतापपुर कमैचा ग्राम सभा महारानी पश्चिम के जन्म मृत्यु पंजिका में बेवा श्रीमती देवरानी पत्नी अवध बिहारी को मृतक किस सन् में अंकित किया गया है तथा किसके द्वारा ? क्या यह सत्य है कि श्रीमती देवरानी अभी जिन्दा हैं और उनकी सम्पत्ति जो कई लाख की है को हड़प करने के लिये उसे मृतक घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद सुल्तानपुर की तहसील कादीपुर विकास खण्ड प्रतापपुर-कमैचा, ग्राम सभा महारानी पश्चिम के अभिलेखों में श्रीमती देवरानी बेवा स्व0 अवध बिहारी को सन् 1985 में श्री दया शंकर दुबे तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा मृतक दिखाया गया, जो अभी जिन्दा हैं तथ्य प्रकाश में आने पर उक्त ग्राम पंचायत अधिकारी को निलम्बित करके विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है

जनपद सुल्तानपुर, श्री महन्त सिंह, भू0पू0 प्रधानाध्यापक, जू0हा0 स्कूल, कोपरिया द्वारा सेवा निवृत्ति पर चार्ज न देने के विरुद्ध कृत कार्यवाही ।

73--श्री शिव नारायण मिश्र--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री महन्त सिंह, भू0पू0 प्रधान अध्यापक, जू0हा0 स्कूल, कोपरिया, जनपद सुल्तानपर जो विद्यालय से सारा सामान सेवानिवृत्त होते समय चार्ज न देकर स्वयं उठा ले गये, के सम्बन्ध में 4 मार्च, 1986 के प्रश्नकर्ता के पत्र के सम्बन्ध में, जो आपके संयुक्त सचिव श्री बी0एस0 पाण्डेय अपने पत्रांक सी0एम0बी0को0/एम0-2/25-25-गो0-86, दिनांक 12 मार्च, 1986 में अवगत कराये थे कि सचिव शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है, पर आज तक सचिव शिक्षा विभाग ने क्या कार्यवाही की ? क्या दोषी व्यक्ति के विरुद्ध जनहित एवं प्रशासन के हित में कार्यवाही की जायगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां, उनको देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों को संस्कृत विद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी दिये गये अधिकार

74--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों को संस्कृत विद्यालयों के प्रशासन एवं वित्त सम्बन्धी क्या-क्या अधिकार प्राप्त हैं -- क्या यह सत्य है कि उपरोक्त अधिकारियों को वेतन बिल पारित करने तथा सहायक निरीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अनुदान स्वीकृत करने के अधिकार के अतिरिक्त और कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो संस्कृत विद्यालयों के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षकों तथा उपशिक्षा निदेशकों (मण्डलीय) से अख्यायें शिक्षा निदेशालय किस आधार पर मांगते हैं ।

श्री सिब्ते रजी--

जिला विद्यालय निरीक्षकों/सह जिला विद्यालय निरीक्षकों को संस्कृत विद्यालयों को स्वीकृत अनुदान बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करने तथा मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों को संस्कृत विद्यालयों का अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है वर्तमान में सहायता-प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के मासिक वेतन भुगतान हेतु जिला विद्यालय निरीक्षकों को अधिकृत किया गया है ।

वर्तमान में सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को संस्था में प्रबन्धकीय विवाद की दशा में निर्णय कर प्रबन्ध तंत्र गठित होने की मान्यता देने का अधिकार है तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में स्थित किसी संस्कृत महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु आवेदन पत्र पर आख्या देने की व्यवस्था है ।

मण्डल स्तर पर उप शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी है । सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें उसके प्रशासकीय नियंत्रण में हैं जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता है । अतः स्थिति को देखते हुये आवश्यकतानुसार उक्त अधिकारियों से शिक्षा निदेशालय द्वारा आख्यायें मांगी जाती हैं ।

75--श्री राम बदन एडवोकेट--

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)

जिला देवरिया के अशोक इन्टर कालेज, रामपुर कारखाना के श्री मून्नर यादव, चपरासी की सेवा पंजिका में अंकित जन्मतिथि की जांच कराने की मांग

76--राम बदन एडवोकेट तथा डाक्टर बंगाली सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 90 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री मून्नर यादव की सेवा पंजिका में उनकी जन्म तिथि 6 जुलाई, 1926 अंकित की गयी है तो उक्त संस्था में जब श्री यादव चपरासी के पद पर नियुक्त किये गये थे तो उनकी उस वर्ष क्या आयु थी ? क्या उक्त आयु चपरासी के पद पर भर्ती के लिये निर्धारित सीमा के अन्दर थी ? क्या श्री यादव की काटी गयी जन्म तिथि व लिखा गयी जन्म तिथि पर किस प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर/इनीशियल हैं इसकी जांच करेंगे ? यदि नहीं, क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

श्री मून्नर यादव की सेवा पंजिका में अंकित जन्म तिथि 6 जुलाई, 1926 के अनुसार नियुक्ति तिथि दिनांक 4 जुलाई, 1970 को उनकी आयु 43 वर्ष 11 माह 29 दिन थी ।

अशासकीय विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचनानुसार श्री जगन्नाथ सिंह तत्कालीन प्रधानाचार्य के लघु हस्ताक्षर हैं ।

शिक्षा निदेशक को जांच करवाने के आदेश दिये गये हैं ?

जिला ललितपुर ग्राम ककड़ारी के तालाब का पानी निकालने के कार्य को रुकवाने हेतु कार्यवाही करने की मांग

77--श्री राम सजीवन--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ललितपुर जिले के विकास खण्ड बार के अन्तर्गत ग्राम ककड़ारी के नौजवान सभा के अध्यक्ष श्री राज बहादुर सिंह व मंत्री सुख साहब सिंह आदि ने कुछ ही दिनों पूर्व अधिकारियों एवं जनता के नाम एक खुला पत्र जारी करके मांग की है कि उनके ग्राम ककड़ारी के तालाब के पानी को बांध तोड़कर निकाला जा रहा है जिससे गर्मी के दिनों में पानी का गंभीर संकट पैदा होने का खतरा पैदा हो गया है ? ग्राम्य विकास अभिकरण ललितपुर ने तालाब के बांध पर मिट्टी डालने के लिए कितना धन आबंटित किया है? क्या विगत 8 फरवरी को सुखा राहत संबंधी एक बैठक के दौरान किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की थी कि तालाब पर काम रुकवा दें क्योंकि तालाब में पानी भरा है और उसमें सरकारी धन को अनावश्यक तौर पर बरबाद किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ? पानी को बहा देने की कार्यवाही रोकी गई अथवा नहीं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद पिथौरागढ़ की विघटित की गयी ग्राम सभा खिमलिंग को बनाने एवं उचित लोकतांत्रिक अधिकार तथा विकास कार्य हेतु अनुदान देने की मांग

78--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या पंचायती राज मंत्री को ज्ञात है कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत तहसील धारचुला में तिब्बत से लगी सीमा पर राजस्व रिकार्डों के अनुसार 1929 से 1972 तक खिमलिंग नामक ग्राम सभा लगातार बनी रही थी ? 1972 में इस ग्राम सभा को विघटित कर दूसरी ग्राम सभा में मिला दिया गया था जब कि खिमलिंग ग्राम सभा की जनसंख्या 175 से अधिक थी? क्या सरकार आने वाले ग्राम सभा चुनावों से पूर्व सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के परिवेश में एक मात्र बौद्धमतावलम्बियों के इस ग्राम को, जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 331/23 दिनांक 9 जुलाई, 1987 तथा 1017 दिनांक 6 जनवरी, 1988 द्वारा निदेशक पंचायत राज को प्रेषित संस्तुतियों के आधार पर शीघ्र ग्राम सभा बनाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो विगत तेरह वर्ष से इस ग्राम सभा को उचित लोकतांत्रिक अधिकार व ग्राम स्तरीय विकास कार्य हेतु अनुदान न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुजफ्फरनगर को एन0आर0ई0पी0 व आर0एल0जी0पी0 योजनाओं में वर्ष 1987-88 में आवंटित धन में जानसठ विधान सभा क्षेत्र में कराये गये कार्य

79--श्री दीपक कुमार--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर को वित्तीय वर्ष 1987-88 में एन0आर0ई0पी0 एवं आर0एल0जी0पी0 योजनाओं में कितने धन का आबटन हुआ ? आवंटित धनराशि से जानसठ विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से कार्य कराये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 141.19 लाख रुपये तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम में 14.07 लाख रुपये की नगद धनराशि आवंटित हुई ।

आवंटित संसाधनों से विधान सभा क्षेत्र जानसठ में वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत नाला पुनरोद्धार, पुल निर्माण, संपर्क मार्ग, सामूदायिक विकास केन्द्र, वृक्षारोपण जल संचय, तालाब, नाला निर्माण, चक मार्ग, प्रक्षेत्र विकास, एवं प्राइमरी पाठशाला भवन निर्माण कार्यक्रम संपादित किये गये ।

जनपद अल्मोड़ा के लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज सनेही को वर्ष 84 में इंटर व हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग की मान्यता एवं सृजित पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति हेतु मांग

80--श्री काशी सिंह ऐरी--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद अल्मोड़ा में क्षेत्र समिति कपकोट के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त श्री लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज सनेही (अल्मोड़ा) को वर्ष 1984 में कला वर्ग में इन्टर व हाई स्कूल में विज्ञान वर्ग की मान्यता दी गयी थी ? यदि हां, तो इस विद्यालय में छात्र विषय-अध्यापकों के अनुपातों के मानको के अनुसार कुल कितने अध्यापकों के पदों का सृजन होना आवश्यक था ? उसमें से दिनांक 15 फरवरी, 1988 तक कितने अध्यापकों के पद सृजित व नियुक्ति हो चुकी थी ? कितने पद सृजित किये जाने का प्रकरण सरकार के अधीन लम्बित है ? इन पदों का सृजन कर इनमें नियुक्तियां कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

प्रश्नगत संस्था को इण्टर साहित्यिक वर्ग की नवीन मान्यता वर्ष 1984 में वर्ष 1986 की परीक्षा से एवं हाई स्कूल वैज्ञानिक अतिरिक्त वर्ग (जीव विज्ञान सहित) की मान्यता वर्ष 1985 में वर्ष 1987 की परीक्षा से माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त की गयी ।

प्राप्त आख्यानुसार प्रधानाचार्य सहित कुल 8 अध्यापकों के पदों का सृजन होना है ।

इण्टर स्तर की मान्यता आयोजनेतर पक्ष के अन्तर्गत है । आयोजनेतर पक्ष में पद सृजन पर सम्प्रति रोक लगी हुई है ।

हाईस्कूल विज्ञान वर्ग की मान्यता आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत है । इससे सम्बन्धित पद सृजन के प्रस्ताव शिक्षा निदेशालय में प्राप्त हुए । प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण होने के कारण उसके निवारण के लिये सम्बन्धित मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित किया गया है । पद सृजन के अभाव में 15 फरवरी, 1988 तक अध्यापकों की नियुक्ति होने का प्रश्न नहीं उठता ।

उक्तवत् ।

त्रुटियों का निवारण होने पर नियमानुसार देय पदों के सृजन की कार्यवाही सम्भव होगी और तत्पश्चात् विहित प्रक्रियानुसार नियुक्तियां सम्भव हो सकेगी ।

जनपद पिथौरागढ़ में विकास खण्ड चम्पावत् अन्तर्गत निर्माण हेतु स्वीकृत नरसिंह डांडा गुरौली मोटर मार्ग के शीघ्र निर्माण की मांग

81—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड चम्पावत् (पिथौरागढ़) के अन्तर्गत नरसिंह डांडा गुरौली मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश सं0 43/28-5-57 सा0-8 दिनांक 7 जुलाई, 1982 द्वारा दी गई थी ? क्या क्षेत्र की जनता मोटर मार्ग को सघन बन क्षेत्र में न बनाकर, विभिन्न ग्रामों को जोड़ते हुए बनाये जाने की मांग को लेकर, मार्ग के मूल संरेखण में परिवर्तन की मांग की थी और इस बाबत उपाध्यक्ष पर्वतीय विकास (द्वितीय) ने अपना पत्र दिनांक 11 मार्च, 1983, सचिव पर्वतीय विकास को तथा पत्रांक 343/यू0 पी0 5/83 दिनांक 22 फरवरी, 1983 मंत्री पर्व0 विकास को, निजी सचिव, पर्व0 विकास मंत्री ने अपना पत्र दिनांक 23 फरवरी, 1983 सं0 सचिव पर्व0 विकास को, श्री नरेन्द्र सिंह विधायक पिथौरागढ़, ने अपना पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1983 पर्व0 विकास मंत्री को तथा श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत, सांसद अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ ने अपना पत्रांक एम0पी0 1981/83 दिनांक 18 जनवरी, 1983 पर्व0 विकास मंत्री को लिखा था ? यदि हां, तो 1982 में स्वीकृत उक्त मार्ग का मूल संरेखण में आवश्यक संशोधन के साथ, आज तक निर्माण कार्य आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसे शीर्ष प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब आरम्भ करा देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद मथुरा के मांट क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था की मांग

82—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि मांट क्षेत्र जनपद मथुरा में अनेकों प्राइमरी स्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में कम अध्यापक हैं ? यदि हां, तो कितने स्कूलों में ? क्या यह भी सही है कि अनेकों स्कूलों में अध्यापक ज्यादा हैं और छात्र कम हैं ? यदि हां, तो ऐसी दुर्व्यवस्था कितने स्कूलों में कहां-कहां पर हैं ? क्या सरकार शिक्षा के हित में अविलम्ब सही व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विद्यालय पर कम अध्यापकों तथा ज्यादा अध्यापकों की स्थिति संलग्न सूची में अंकित है ।

जी हां ।

वार्षिक प्रबन्ध में नियमानुसार संख्या के अन्तर्गत 40:1 छात्र अध्यापक अनुपात में समायोजन निर्देश दे दिये गये हैं तथा वाजिब प्रबन्ध में सही व्यवस्था हो जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 141 पर)

83—श्री कुशल पाल सिंह—

(11वें सोमवार के लिये स्थगित)

जनपद लखनऊ के ब्लाक बी0के0टी0 के प्राइमरी स्कूलों के छात्रों की संख्या एवं अध्यापकों की तैनाती तथा स्थानान्तरण की नीति

84—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ बी0के0टी0 ब्लाक के प्राइमरी स्कूलों में कितने बच्चों पर एक अध्यापक की तैनाती की गई है ? प्रत्येक स्कूल की छात्र संख्या क्या है तथा कितने-कितने अध्यापक तैनात किये गये ? शासन की नीति क्या है ? क्या शासन द्वारा अध्यापकों की स्थानान्तरण नीति निर्धारित की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन नीति निर्धारण पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूची संलग्न है ।

जनपद में स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत 40:1 के छात्र अध्यापक के मानक अनुसार अध्यापकों के तैनाती की नीति है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 142 पर)

85—श्री राम आसरे वर्मा—

(दिनांक 29 फरवरी, 1888 को अता0 प्र0 सं0 83 द्वारा उत्तरित)

जिला हरदोई के ग्राम देईचोर अंटवा में निशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत कराई बोरिंगों की जांच

86—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देईचोर अंटवा, विकास खण्ड सान्डी, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत की गयी बोरिंगों की जांच के संबंध में अवर अभियन्ता (ल0 सि0) के अतिरिक्त किसी अन्य दोषी कर्मचारी व अधिकारी को सजा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

किसी अन्य का दोष अब तक सिद्ध नहीं हुआ है ।

जिला हरदोई की तहसील बिलग्राम में कार्यरत श्री राम लड़ते अग्नि होत्री बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा निःशुल्क बोरिंग में अवरोध पैदा करने के विरुद्ध कार्यवाही

87—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सान्डी, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में कार्यरत श्री राम लड़ते अग्निहोत्री बोरिंग टेक्नीशियन को बोरिंग कार्य में अवरोध पैदा करने के कारण अवर अभियन्ता (ल0 सि0) व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध लिखने के बावजूद कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

88—श्री काशी सिंह ऐरी—

(दिनांक 30-6-87 तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित)।

पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त जनपदों के कतिपय विभागों में पर्वतीय उपसंवर्ग का गठन तथा कार्यरत कर्मचारियों की सुविधायें

89—श्री काशी सिंह ऐरी—

प्रथम सत्र 1985 के प्रथम मंगलवार के अता0 प्रश्न सं0 139 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित विभागों में पर्वतीय संवर्ग किन-किन तिथियों से लागू किया गया है, इनमें से दिनांक 1 जून, 87 तक किन-किन विभागों में इसे समाप्त किया गया तथा किन-किन अन्य विभाग में इसे लागू किया गया ? पर्वतीय संवर्ग में चयनित कर्मचारियों की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, उनको वहां सुचारु रूप से कार्य करने के लिये आकर्षित करने हेतु क्या-क्या विशेष सुविधायें दी जा रही हैं।

श्री बीर बहादुर सिंह—

पर्वतीय उप संवर्ग निम्नलिखित विभागों द्वारा उनके संमुख अंकित तिथियों में लागू किया गया :—

क्रमसं0	सेवा का नाम	संबंधित विभाग का नाम	उप संवर्ग के गठन के विषयक आदेश जारी करने की तिथि
1	2	3	4
1	शिक्षा	शिक्षा विभाग	25-11-1980
2	चिकित्सा	चिकित्सा विभाग	16-3-1981
3	सार्वजनिक निर्माण	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8-4-1981
4	लघु सिंचाई	ग्राम्य विकास विभाग	30-11-1981
5	कृषि एवं भूमि संरक्षण	कृषि विभाग	23-3-1982
6	सामुदायिक विकास	ग्राम्य विकास विभाग	29-4-1982
7	पशुपालन	पशुधन विभाग	8-8-1982
8	सिंचाई	सिंचाई विभाग	30-10-1982
9	प्राविधिक शिक्षा	प्राविधिक शिक्षा विभाग	29-6-1984

2--कतिपय प्रशासनिक कारणों से चिकित्सा विभाग में मई, 1987 में उप-संवर्ग समाप्त करने के आदेश जारी किये हैं तथा उद्यान एवं फलोपयोग विभाग ने उपरोक्त विभागों के अतिरिक्त 21 जून, 1984 को उप संवर्ग के गठन के आदेश जारी किये हैं जहां तक उप संवर्ग में चयनित अभ्यर्थियों को आकर्षित करने का प्रश्न है इस संबंध में द्वारा पदोन्नति के अधिक अवसर उपलब्ध कराने हेतु तदर्थ नियुक्ति को शिथलीकरण की नीति को वर्ष 1982 से एक-एक वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है तथा अन्तिम बार मई, 1988 तक शिथलीकरण की नीति को बढ़ाया गया है। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के सीमान्त जनपदों के कर्मचारियों को शासन द्वारा सीमान्त विशेष वेतन (पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तथा चमोली) तथा शेष जनपदों के कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ता (नैनीताल), अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी व देहरादून स्वीकृत किया जा रहा है। सीमान्त विशेष वेतन को सेवा निवृत्ति के उपरान्त कर्मचारियों की पेंशन में भी शामिल किया जाता है।

90--श्री काशी सिंह ऐरी--

(10 वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

91--डा0 दिनेश जौहरी--

(11 वें सोमवार के लिये स्थगित)।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1986-87 में जिला ग्राम्य विकास अधिकरण द्वारा ह्यूम पाइप की खरीद एवं प्रयोग

92--श्री बलराम यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1986-87 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा सीधे कितने धनराशि के ह्यूम पाइप खरीदी गई थी ? क्या यह सही है कि एन0 पी0 तृतीय ह्यूम पाइपों को ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर प्रयोग पर लगे प्रतिबन्ध के बावजूद भी उपरोक्त पाइपों की आपूर्ति हेतु आदेश किये गये तथा एन0 पी0 द्वितीय ह्यूम पाइपों की आपूर्ति ही ली गई है ? क्या इस धपले की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1986-87 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा मु0 2,74,771.23 की धनराशि के ह्यूम पाइप खरीदे गये। क्रय के समय ग्राम्य विकास विभाग की ओर से ह्यूम पाइप के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। अतः धपले का प्रश्न नहीं उठता।

93--श्री इम्तियाज मोहम्मद खां--

(11वें सोमवार के लिए स्थगित)।

94--श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी--

(6ठें शुक्र में अता0 प्र0 सं0 93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)।

अनपद उन्नाव के सुभाष इण्टर कालेज, रावतपुर के एकीकृत छात्र वृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र श्री शम्भू शरण को छात्रवृत्ति दिया जाना

95—श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि छात्र श्री शम्भू शरण, कक्षा 10 सुभाष इण्टर कालेज, रावतपुर उन्नाव ने वर्ष 1986 में एकीकृत छात्र वृत्ति परीक्षा "ख" श्रेणी में उत्तीर्ण की थी ? यदि हां, तो क्या उसे छात्रवृत्ति दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक प्रदान की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के बी0 एड0 विभाग में प्राध्यापकों की संख्या व उनकी शैक्षिक योग्यता

96—श्री अमर नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि युवराज दत्त महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी के बी0 एड0 विभाग में कुल कितने प्राध्यापक हैं तथा उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है और स्नातक स्तर पर उनके स्कूल विषय क्या हैं ? कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर द्वारा उनकी नियुक्ति के अनुमोदन कब दिये गये हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत महाविद्यालय में बी0 एड0 विभाग में छः प्रवक्ता हैं।

इन प्रवक्ताओं के बारे में प्रश्न में वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट में दी गई है (देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 144 पर)।

जिला परिषद फर्रुखाबाद के श्री विजय सिंह अन्य चपरासियों की सेवाकाल में मृत्यु के फलस्वरूप मृतकों के पारिवारिक व्यक्तियों को सेवा देने हेतु कार्यवाही

97—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद, फर्रुखाबाद के कर्मचारियों सर्वश्री विजय सिंह भास्कर, उमा शंकर व नत्थू लाल की अपने सेवाकाल में ही मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो कब ? क्या शासनादेश का पालन करते हुए मृतकों के परिवारों में से उनके स्थान पर एक-एक व्यक्ति को सेवा में लिया गया है ? यदि हां, तो कब और किसे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला परिषद फर्रुखाबाद के सर्व श्री विजय भास्कर सिंह राठौर वैद्य की मृत्यु दिनांक 1 सितम्बर, 1986 को, श्री उमाशंकर पांडे कीपर की मृत्यु दिनांक 7 अक्तूबर, 1986 को व श्री नत्थू राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 9 मई, 1987 को उनके सेवा काल में हुई। जिला परिषद के कर्मचारियों की सेवा काल में मृत्यु हो जाने की अवस्था में उनके परिवार के सदस्यों को सेवा में लिए जाने संबंधी शासनादेश सं0 यू0 अ0 113 डी/33-2-32 बी (1)-84, दिनांक 19 जून, 1984 ई0

के तहत स्व0 श्री उमाशंकर के पुत्र श्री श्रीकान्त द्विवेदी को नियुक्ति दिनांक 19 दिसम्बर, 1987 कर समाहर्ता के पद पर तथा स्व0 नत्थू राम के पुत्र श्री शोषराम को नियुक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दिनांक 21 अक्टूबर, 1987 को की गयी है । स्व0 श्री विजय भास्कर राठौर के पुत्र श्री देवेश सिंह की नियुक्ति लिपिक के पद पर नहीं की जा सकी है क्योंकि वे लिपिक के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते हैं । ये अन्य किसी पद पर नियुक्ति नहीं चाहते हैं ।

98—श्री यदुनाथ सिंह—

(दिनांक 25 अप्रैल, 1988 को अता0 प्र0 सं0 43 द्वारा उत्तरित) ।

जिला गोरखपुर विकासखन्ड सरदार नगर के ग्राम डुमरी खास में सामुदायिक विकासकेन्द्र के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने वाले बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही की मांग

99—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खन्ड सरदार नगर जिला गोरखपुर के ग्राम डुमरी खास में लगभग 1 लाख रुपये की लागत में वर्ष 1985-86 में सामुदायिक विकासकेन्द्र का निर्माण कराया जा रहा था ? क्या उक्त निर्माण कार्य हेतु खन्ड विकास अधिकारी द्वारा स्वयं घटिया स्तर की निर्माण सामग्री क्रय की गयी थी जिसके कारण भवन निर्माण कार्य पूरा होने के पहले ही बीम व छत सहित गिर गया । क्या उक्त मामले की शिकायतें उत्तर प्रदेश शासन विकास आयुक्त तथा जिला प्रशासन गोरखपुर को क्षेत्रीय जनता व जन प्रतिनिधियों द्वारा की गयी थी ? क्या शिकायतों को प्राप्त होने के पश्चात मात्र कागजी कोरम पूरा करने के उद्देश्य से एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (पंचायत सेक्रेटरी) को सी0 डी0 ओ0 गोरखपुर द्वारा निलम्बित करा दिया गया और खन्ड विकास अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी जब कि उक्त मामले में खन्ड विकास अधिकारी घटिया निर्माण सामग्री क्रय करने वह अपने पर्यवेक्षीय दायित्वों को न निभाने के लिये उक्त मामले में पूर्णतया जिम्मेदार है ? यदि हां, तो उक्त बी0 डी0 ओ0 के खिलाफ अभी तक प्रशासनिक कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गोरखपुर, विकासखन्ड सरदारनगर में एन0 आर0 ई0 पी0 तथा एल0 आर0 आई0 जी0 पी0 योजनान्तर्गत भ्रष्टाचार के मामले की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराने की मांग

100—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खन्ड सरदार नगर जिला गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 86-87 व 85-86 में खन्ड विकास अधिकारी द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 तथा एल0 आर0 आई0 ई0 जी0 पी0 योजना में जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत दर मुबलिग 450 रुपया प्रति हजार के विपरीत 480 रुपया प्रति हजार की दर से ईंट क्रय किया गया जब कि उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा उसी अवधि में ईंट 450 रुपया प्रति हजार की दर से क्रय किया गया ? यदि हां, तो उपरोक्त भिन्नता का कारण क्या है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त मंहगे दर से खरीदा गया ईंट भी घटिया स्तर का था जिसे प्रयोग करने से अनेक भवन व सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी जैसे ग्राम डुमरी खास का विकास भवन ? क्या यह सत्य है कि खन्ड विकास अधिकारी ने मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड डुमरी खुर्द

मोपा बाजार के नाम मुबलिग 480 रुपया प्रति हजार की दर से ईंट का भुगतान करना दिखाया है जब कि उक्त कम्पनी ने अपना बिक्री दर 300 रुपया व 350 रुपये प्रति हजार का दिखाकर बिक्री कर विभाग को बिक्री कर अदा किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त गंभीर भ्रष्टाचार के मामले की जांच सतर्कता विभाग अथवा सी0 आई0 डी0 को सौंपने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद गोरखपुर के विकास खन्ड सरदार नगर में वर्ष 85-86 के लिए ईंटों की कोई दर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं की गयी थी वर्ष 86-87 में तात्कालीन खन्ड विकास अधिकारी ने इन0 आर0 ई0 पी0 एवं आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 कार्यों में प्रार्थी के लिये 450 प्रति हजार एवं 480 प्रति हजार की दर से ईंटें क्रय किया तथा उनके अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा उक्त अवधि में ईंटों का क्रय नहीं किया गया। खरीदी गई ईंट प्रथम श्रेणी की थी तथा ईंट की गुणवत्ता के कारण भवन एवं सड़क के क्षतिग्रस्त होने की बात सत्यापित नहीं हुई । ईंटों का क्रय वस्तुतः जिस दर से किया गया उसी दर की रसीद प्राप्त हुई है । मेसर्स विजय ब्रिक फील्ड डुमरी खुद मोपा-बाजार द्वारा बिक्रीकर का भुगतान कम दर पर किए जाने के संबंध में ग्राम विकास विभाग द्वारा उत्तर देना संभव नहीं है ।

वाराणसी के बाबा इन्टरकालेज, सिन्धौरा के अनुदान सूची में आने से पूर्व कार्यरत अध्यापक एवं अंग्रेजी प्रवक्ता का वेतनमान

101--श्री राज किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राम बाबा इन्टर कालेज, सिन्धौरा वाराणसी किस वर्ष से अनुदान सूची पर है और अनुदान सूची पर आने के पूर्व से कौन कौन अध्यापक अब तक कालेज में कार्यरत हैं और उनकी अलग-अलग हर एक की योग्यतायें व अर्हतायें क्या हैं ? क्या इन अध्यापकों में से कोई ऐसा भी अध्यापक है जो, लम्बे समय से अंग्रेजी प्रवक्ता पद पर कार्यरत है किन्तु उसे प्रवक्ता पद का वेतनमान नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?.

श्री सिद्धे रजी--

विद्यालय वर्ष 1962 से अनुदान सूची पर है ।
अनुदान सूची पर आने के पूर्व से निम्नांकित अध्यापक कार्यरत हैं--

1--श्री हरिहर प्रसाद, प्रवक्ता (अर्थ0शा0) एम0 ए0 बी0 एड0 ।
2--श्री छविनाथ सिंह, प्रवक्ता (राज0 शा0) एम0 ए0 बी0 एड0 ।
3--श्री हृदय नारायण सिंह, प्रवक्ता (संस्कृत) एम0 ए0 बी0 एड0 ।
4--श्री शिव शंकर सिंह, स0 अ0 इन्टर, जे0 टी0 सी0, (सी0 टी0 ग्रेड) ।

इन अध्यापकों में से कोई ऐसा अध्यापक अनुमोदित नहीं है, जो अंग्रेजी के प्रवक्ता पद पर कार्यरत हो किन्तु उसे प्रवक्ता पद का वेतन मान न दिया जा रहा हो।

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी में निलम्बित लिपिक के पद पर दफ्तरी की पदोन्नति करने की शिकायत पर जांच कार्यवाही

102--श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी में इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के उपबन्धों का उल्लंघन करके निलम्बित

लिपिक के स्थान पर निलम्बन तिथि 24-11-1983 से दफ्तरी पद से तथा कथित लिपिक पद पर कोई पदोन्नति की गयी है और वह अब भी कार्यरत है तथा इस संबंध में माध्यमिक शिक्षण कर्मचारी कल्याण परिषद बाराबंकी की दिनांक 20 दिसम्बर, 1987 को कोई शिकायत भी शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो कब तक की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी में लिपिक के पद पर दफ्तरी की पदोन्नति अस्थायी रूप से दिनांक 24 नवम्बर, 1983 से हुई है और पदोन्नत दफ्तरी अभी कार्यरत है ।

जी हां ।

मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, फैजाबाद को प्रकरण की जांच करने का निर्देश दिया गया है ।

नेशनल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में सी0 टी0 से एल0 टी0 वेतनक्रम में अध्यापिका की प्रोन्नति करने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका

103—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल बाराबंकी में सी0 टी0 से एल0 टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति करने के संबंध में कोई अध्यापिका की रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में वर्ष 1984 में विचाराधीन है तथा इसके बाद इसी पद पर किसी अन्य अध्यापिका की नियुक्ति भी की गयी है और वह अब भी कार्यरत है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

मण्डलीय बालिका विद्यालय, निरीक्षिका, फैजाबाद को मामले की जांच करने के निर्देश दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के इण्टर बी0 टी0 सी0 अध्यापकों का 1979 के वेतनमान पुनरीक्षित किया जाना

104—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के इण्टर बी0 टी0 सी0 अध्यापकों का वेतनमान 1979 से पुनरीक्षित नहीं किया गया है जबकि अशासकीय विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद् के बी0 टी0 सी0 (कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले) अध्यापकों को जुलाई 1979 से पुनरीक्षित वेतनमान मिल रहे हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त संदर्भ में शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा जिलाधिकारी अल्मोड़ा को भेजे गये रेडियोग्राम सं0 2526/15-2-85, दिनांक 2 मई, 1985 के द्वारा इस संबंध में दिये गये स्पष्ट आश्वासन पर सरकार ने दिनांक 15 फरवरी, 1988 व उसके बाद क्या-क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, प्रश्नगत अध्यापकों का वेतनमान 30 अक्तूबर, 1987 के शासनादेश द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1979 से पुनरीक्षित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी के राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज अर्दली बाजार की जमीन पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा

105—श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राजकीय बेसिक ट्रेनिंग कालेज अर्दली बाजार, वाराणसी की कीमती जमीन पर कालेज के प्राचार्य की लापरवाही व उपेक्षा से कतिपय असामाजिक तत्व कब्जा कर लिये हैं और कालेज के प्रांगण में फूल, पत्तियों के नष्ट हो जाने से शोभा विहीन हो गया है ? यदि हां, तो अवैध कब्जे को हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

कालेज प्रांगण में फूल, पत्तियों की रक्षा का पूरा प्रबन्ध है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106—श्री काशी सिंह ऐरी—

(11वें सोमवार के लिए स्थगित) ।

जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड बेरीनाग के भटीगांव की पेयजल योजना निर्माण में व्यय धनराशि, जलकर के रूप में धनराशि की वसूली एवं तकनीकी वित्तीय जांच कराने की मांग

107—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री प्रश्न कर्त्ता के द्वितीय सत्र 1986 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0 193 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उल्लिखित भटीगांव (कोड सं0 61) पेयजल योजना के निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी ? निर्मित वर्ष 1982-83 से संबंधित गांव से जलकर के रूप में किस दर से वर्षवार कितनी धनराशि वसूल की गयी, प्रश्नकर्ता के इस तथ्य को कि भटीगांव में पेयजल योजना पूरी तरह असफल रही है और लाभान्वित होने वाले गांव को एक बिन भी पानी दिनांक 1 जून, 1987 तक नहीं दिया गया, सत्य मानते हुए क्या सरकार इस योजना की वृहत्तर पूर्ण तकनीकी, वित्तीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्नगत पेयजल योजना के निर्माण पर 2.795 लाख रुपया व्यय किये गये । इस योजना के लाभान्वित ग्रामवासियों से शुल्क देयक प्रति परिवार 2.00 रुपया प्रति माह की दर से भेजे जाते हैं किन्तु वसूली अभी तक शून्य है । इस योजना के स्रोत तथा टंकी का स्तर लगभग बराबर होने के कारण टंकी में पानी नहीं चढ़ पाता था जिससे जून, 1987 तक योजना आंशिक रुप से बन्द थी। 9 जुलाई, 1987 को योजना को मुख्य पाइप लाइन का सम्बन्ध टंकी से काटकर सीधे वितरण पाइप लाइन से करके चालू कर दिया गया है उपरोक्त स्थिति में योजना की वृहत्तर पूर्ण तकनीकी, वित्तीय जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

रामपुर रजा डिग्री कालेज में कानून शिक्षा की व्यवस्था करने की मांग ।

108—श्री निसार हुसैन—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर रजा डिग्री कालेज में वहां के नागरिकों की मांग के अनुसार कानून की शिक्षा की कक्षाओं की व्यवस्था करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ।

श्री सिब्ते रजी—

सम्प्रति नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

109—श्री सुखपाल पाण्डे—

(6 वें शुक्र में अता0प्र0सं0 91 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद मथुरा के प्रौढ़ शिक्षा परियोजना अधिकारी की शिकायतों की जांच

110—श्री कुशल पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिनांक 20 जून, 1987 को एक शिकायती पत्र मय समाज सुधार संघ शेरगढ़ (मथुरा) के शिकायती पत्र दिनांक 20 मई, 1987 के साथ प्रौढ़ शिक्षा परियोजना अधिकारी छाता जनपद मथुरा के शिकायतों के बारे में दिया था ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और शिकायत पत्र की कौन-कौन सी शिकायत सही पाई गई ? अब तक सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नकर्ता विधायक का दिनांक 20 जून, 1987 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । उनका दिनांक 22 जून, 1987 का एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ था जिसके साथ समाज सुधार संघ, शेरगढ़ (मथुरा) का दिनांक 20 मई, 1987 का शिकायती पत्र तथा कतिपय अन्य लोगों का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा, छाता, जनपद-मथुरा के विरुद्ध शिकायतों का भी उल्लेख था । उक्त दो शिकायती-पत्रों में जो शिकायतें की गयी थीं उनके सम्बन्ध में सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जांच कराई गयी । उनकी जांच आख्या के अनुसार शिकायतों के प्रत्येक बिन्दु के सम्बन्ध में पाई गई स्थिति का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 145 पर)

111—श्री कुशल पाल सिंह—

(8वें बुधवार में अता0 प्र0सं0 134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

विकास खण्ड सरदार नगर (गोरखपुर) में बड़े कृषकों को लघु व सीमान्त कृषक की श्रेणी में रखकर ऋण एवं अनुदान देने की शिकायत की जांच

112—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड पत्र माह अप्रैल 87 व सितम्बर, 1987 में अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना) गोरखपुर को प्रेषित करते हुये विकास खण्ड सरदार नगर में वर्ष 1985–86 व 86–87 में बड़े कृषकों को लघु व सीमान्त कृषक की श्रेणी में रखकर ऋण देने तथा अनुदान देने की शिकायत की गयी है तथा वर्ष 85–86 व 86–87 के लाभार्थियों की सूची प्रश्नकर्ता द्वारा मांगी गयी थी ? यदि हां, तो अभी तक मामले में जांच न करने व लाभार्थियों

की सूची जो नियमतः प्रश्नकर्ता को दी जानी चाहिये, को उसके मांगने के बावजूद भी न दिये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच निर्धारित अवधि के अन्दर कराने की कृपा करेंगे यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जी हां ।

मामले की जांच कराई गई, शिकायतों का प्रमाणित होना नहीं पाया गया । प्रश्नकर्ता को वर्ष 1985–86 में आई0आर0डी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा वर्ष 1986–87 की निःशुल्क बोरिंग के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

खण्ड विकास अधिकारी सरदार नगर (गोरखपुर) द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 तथा एल0 आर0 आई0जी0पी0 योजना में कराये गलत निर्माण व निर्माण कार्यों के नाम गबन की तकनीकी जांच

113—श्रीमती शारदा देवी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पत्रांक 4794/ग्रा0अ0सं0-कार्य-2/शि0-गोरखपुर 23/86-87 दिनांक 3 मार्च, 1987 द्वारा प्रश्नकर्ता का मूल शिकायती पत्र दिनांक 6 जनवरी, 1987 मूल रूप में संयुक्त सचिव ग्राम्य विकास अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को प्रेषित करते हुये खण्ड विकास अधिकारी, सरदार नगर (गोरखपुर) द्वारा एन0आर0ई0पी0 तथा एल0आर0आई0जी0पी0 योजना में कराये गये गलत निर्माण व निर्माण कार्यों के नाम पर किये गये गबन की तकनीकी जांच शासन के अधीनस्थ टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास अनुभाग से कराने की संस्तुति की गयी है । क्या उक्त संदर्भ में प्रश्नकर्ता का भी टेलीग्राम व पत्र उक्त जांच शीघ्र प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में माह मार्च, 87 व सितम्बर 87 में संयुक्त सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग-4 को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक तकनीकी जांच टी0ए0सी0 द्वारा न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी उक्त तकनीकी जांच निर्धारित समय के अन्दर कराकर दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत प्रार्थनापत्र दिनांक 6 जनवरी, 1987 व तार दिनांक मार्च, 1987 प्राप्त हुआ जिस पर प्राविधिक सम्प्रेक्षण कोष्ठ द्वारा शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 1987 के अन्तर्गत जांच प्रारम्भ कर दी गयी है । अतः अभी किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

भू गर्भ जल संगठन के खन्डों में रिक्तियां एवं पदोन्नति की नीति

114—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को यह जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में 6 खन्ड वर्ष 1983 से रिक्त चल रहे है ? क्या यह सही है कि पुनर्गठन कमेटी ने सिविल इंजीनियर एवं हाइड्रोजियोजिस्टों का एक संवर्ग बनाने की अनुशंसा की थी तथा क्या लोक सेवा अभिकरण ने क्लेम पिटीशन सं0 669 (पी) 111-81 द्वारा भी 10-6-81 को उपरोक्त निर्णय दिया था ? यदि हां, तो क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी विभाग में पदोन्नति हेतु उक्त नीति का पालन सुनिश्चित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में वर्ष 1983 से केवल 4 खन्डों में प्रथम श्रेणी के पद रिक्त होने के कारण दोहरा चार्ज देकर कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है

जी हां

लोक सेवा अभिकरण द्वारा 10 जून, 1987 को दिया गया निर्णय सैयद औराद हुसैन रिजवी, सहायक भूगर्भ शास्त्री/हाइड्रोलाजिस्ट की पदोन्नति के संबंध में ही है।

अग्रिम संवर्गकार पदोन्नति किये जाने का कारण शासन के विचाराधीन है

विकास खन्ड अमीनगंज फैजाबाद में 82–83 में हरिजन पेयजल कूपों हेतु स्वीकृति धनराशि

115—श्री मित्रसेन—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खन्ड अमीनगंज, फैजाबाद में वर्ष 1982–83 में हरिजन पेयजल कूपों में से कितने पेय जलकूप ग्राम दुर्गन, खेवापुर, सेमापुर व अन्य ग्राम सभाओं को स्वीकृत थे और उनमें से अब तक कितने का निर्माण कार्य अधूरा है? स्वीकृत हरिजन पेयजल कूपों को समय से निर्मित न किये जाने का कौन–कौन दोषी है और उनपर स्वीकृत धनराशि का आहरण कब–कब किसने किया है? उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है

जनपद बस्ती के जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरा प्रथम तहसील बांसी में शिक्षण एवं शिक्षेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र

116—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरा प्रथम तहसील बांसी जनपद बस्ती में शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समस्याओं के संबंध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा कोई पत्र दिनांक 23–7–85 शिक्षा निदेशक को लिखा गया था, जिस पर सहायक निदेशक शिक्षा (बेसिक) गोरखपुर को शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 5–12–85 को उठाये गये बिन्दुओं पर अविलम्ब स्वयं जांच करके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था? यदि हां, तो क्या सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर ने स्वयं मामले की जांच की? यदि हां, तो कब और जांच आख्या क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

जी हां, (संबंधित पत्र दिनांक 9–12–85 का है) जी नहीं, मामले में जांच विशेष कार्याधिकारी अनौपचारिक शिक्षा से कराई गयी।

जांच दिनांक 25–8–86 को की गयी विद्यालय में प्रबन्धकीय विवाद के कारण अध्यापकों का विभाजन हो गया है और फलस्वरुप विद्यालय का वातावरण अत्यन्त ही तनावपूर्ण पाया गया। विद्यालय के अनुमोदित अध्यापकों को आतंकित कर विद्यालय जाने

से रोका गया । प्रबन्धकीय विवाद के अन्तर्गत श्री जटा शंकर सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया । उक्त स्थगन आदेश के अनुसार श्री जटा शंकर सिंह संस्था के विधि मान्य प्रबन्धक बताये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर की श्रीमती विद्यावती उपाध्याय पत्नी श्री सुलखे लाल सहायक अध्यापक, उ0 मा0 विद्यालय, चकझाऊ की नियुक्ति के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र

117—नवाब सिकन्दर अली खां—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर शिक्षा निदेशक (महिला), इलाहाबाद को प्रश्नकर्त्ता का कोई पंजीकृत पत्र दिनांक 5 –10–87 जो श्रीमती विद्यावती उपाध्याय पत्नी स्व0 श्री सुलखे लाल, सहायक अध्यापक उ0 मा0 विद्यालय, चकझाऊ, शाहजहांपुर की नियुक्ति के संबंध में है, प्राप्त हुआ है, ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के संबंध में क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां। मन्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका तथा जिला विद्यालय निरीक्षक शाहजहांपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरदोई, ग्राम गिरन्ट रहीमाबाद लिंक मार्ग बनाने हेतु ज्ञापन

118—श्री शारदा प्रताप तथा श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गिरन्ट रहीमाबाद, तहसील सण्डीला, जिला हरदोई का एक प्रतिनिधि मण्डल ने 22 फरवरी, 1988 को उनसे मिल कर ग्राम-गिरन्ट रहीमाबाद लिंक मार्ग को बनाये जाने हेतु कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि इस लिंक मार्ग को बनाये जाने हेतु कई वर्षों से मांग की जा रही है किन्तु जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया ? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्राम गिरन्ट रहीमाबाद लिंक मार्ग को बना जाने के सम्बन्ध में श्री बाबू लाल त्रिपाठी का एक पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1988 शासन को प्राप्त हुआ है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

इस लिंक मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर में पल्हनी–शाहगंज मार्ग में महमूदपुर हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग पर खडंजा कराने हेतु आवंटित धन का विवरण

119—श्री भीखा राम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर में पल्हनी–शाहगंज मार्ग में ग्राम महमूदपुर हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग पर 600 मीटर खडंजा कराने

हेतु वर्ष 87–88 में किस योजना से कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी ? क्या स्वीकृत सम्पर्क मार्ग पर स्वीकृति पूरी तक कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा कराया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आजमगढ़ जनपद के फूलपुर विकास खण्ड में पल्हनी–शाहगंज मार्ग से ग्राम महमूदपुर हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग पर 600 मीटर खड़न्जा कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 86–87 में रु0 64,398 आवंटित किया गया । स्वीकृत सम्पर्क मार्ग पर 426 मीटर तक खड़न्जा का कार्य कराया जा चुका है । शेष 174 मीटर खड़न्जा शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा संग्रामपुर में प्रा0 पा0 संग्रामपुर के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धन व कार्य की प्रगति

120—श्री मीखा राम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर के ग्राम सभा संग्रामपुर में प्रा0पा0 संग्रामपुर के भवन का निर्माण हेतु वर्ष 87–88 में किस योजना द्वारा रुपया स्वीकृत था ? क्या भवन निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भवन निर्माण कार्य पूरा कराया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रश्नगत भवन का निर्माण वर्ष 1987–88 के बजाय वर्ष 1986–87 में आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 की सामान्य योजना में जिला स्तर से स्वीकृत किया गया था ।

जी नहीं, कार्य प्रगति पर है ।

जून, 1988 तक निर्माण कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर की ग्राम सभा खरसन कला में कन्या जू0हा0 स्कूल खोलने की मांग

121—श्री मीखा राम—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 87–88 में जिला योजना द्वारा जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर के ग्राम सभा खरसन कला (दीदार गंज बाजार) में कन्या हाई स्कूल खोलने हेतु प्रस्ताव उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है ? यदि हां, तो कन्या हाई स्कूल खोलने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय धनराशि तथा कार्य की प्रगति

122—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़ में बेसिक शिक्षा अधिकारी के अन्तर्गत कार्यरत विकास खण्ड वार कितने प्राथमिक विद्यालय के भवनों के निर्माण होने 1

फरवरी, 1988 को शेष थे तथा कितने विद्यालय भवन ऐसे थे जिनकी मरम्मत करनी आवश्यक थी ? इन दोनों मदों में क्रमशः कुल कितनी-कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ? सरकार इन कार्यों को कब तक पूरा करा लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

विवरण निम्नवत् है :—

विकास खण्ड	भवन निर्माण हेतु विद्यालय की संख्या	मरम्मत हेतु विद्यालयों की संख्या
1	2	3
बिण	12	10
मनाकोट	10	12
डीनालीछीना	21	8
डीडीहाट	16	9
पारचूला	28	10
मुनस्यारी	15	6
बेरीनाग	7	8
गंगोलीहाट	16	10
बाराकोट	6	6
पाटी	14	9
लोहाघाट	12	8
चम्पावत	10	6
योग ..	167	102

खर्च—निर्माण पर रु0 1,55,81,200.00

मरम्मत पर रु0 20,70,000.00

पूर्व स्वीकृत 108 प्रा0 स्कूल भवनों का निर्माण प्रगति पर है जो शीघ्र पूर्ण हो जायेंगे इनके अतिरिक्त मार्च 1988 में रु0 28,92,000 की लागत से स्वीकृत 31 प्रा0 स्कूल भवनों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है । शेष 28 भवनों के लिये जिला योजना में धन उपलब्ध होने पर भवनों का निर्माण कराया जायेगा ।

मरम्मत कार्यों के लिये नई प्रक्रियानुसार ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से आंकलन सहित, प्रस्ताव प्राप्त होने पर वांछित धनावंटन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा यथा-समय किया जा सकेगा ।

123—श्री काशी सिंह ऐरी—

(10वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 68 के—अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला पूरे कलहंस, मौजा बरावां के अध्यापकों का स्थानान्तरण कार्यभार ग्रहण तथा श्री श्री राम कुमार सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर कृत कार्यवाही

124--श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के अंतर्गत प्राइमरी पाठशाला पुरे कलहंस मौजा बरावां के अध्यापकों का स्थानान्तरण वर्ष 1987-88 में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने स्थानान्तरित स्थानों पर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ? क्या यह सही है कि अध्यापक श्री राम कुमार सिंह ने अभी तक स्थानान्तरित स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया है ; यदि हां, तो क्यों ? उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापकों की नई नियुक्तियां न किये जाने पर आपत्ति

125--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापकों की नई नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण है ? यह नियुक्तियां कब तक कर दी जायगी ।

श्री सिब्ते रजी--

ग्रीष्मावकाश संनिकट है ।

ग्रीष्मावकाश के पश्चात नियमानुसार नियुक्ति के लिये आदेश दिये गये है ।

126--श्री बलबीर सिंह यादव--

(11 वें सोमवार के लिये स्थगित) ।

जनपद मैनपुरी में वर्ष 86-87 तथा 87-88 में लगे व चालू गोबर गैस प्लान्ट का विवरण

127--श्री बलबीर सिंह यादव--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में विकास क्षेत्र वार में 86-87 तथा 87-88 में कितने-कितने गोबर गैस प्लान्ट लगे है? इस समय उनमें से कितने चालू है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जनपद मैनपुरी में विकास क्षेत्र वार प्रश्नगत वर्षों में लगे व चालू बायोगैस संयंत्रों के विवरण सलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ--147 पर)

जिला बाराबंकी, श्री गुरुबचन दास, व्यवस्थापक, बीजक अध्ययन कबीर संस्थान, शेखपुर, रामनगर का संत कबीर के संबंध में दिया गया प्रार्थना-पत्र

128--श्री महेन्द्र भाटी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रमेश सिंह मंत्री देश प्रेमी सेवासमिति उत्तर प्रदेश द्वारा संस्तुति सहित श्री गुरुबचन दास, व्यवस्थापक, बीजक अध्ययन कबीर

संस्थान, शेखपुर, पोस्ट सुढियामऊ, ब्लाक राम नगर, जिला–बराबंकी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 24–6–87 ई0 को प्राप्त हुआ है जिसमें संत कबीर जी को शिक्षा विभाग की पाठ्य पुस्तकों में अपढ़ एवं गृहस्थ बताया है जब कि वे महान विद्वान एवं विरक्त संत थे ? यदि हां, तो इसके संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, केवल श्री गुरुबचन दास, व्यवस्थापक बीजक अध्ययन कबीर संस्थान शेखपुर, पोस्ट सुढ़ियामऊ, ब्लाक रामनगर, बाराबंकी का दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है

शिक्षा विभाग की पाठ्य पुस्तकों में कबीर जी का अपढ़ एवं गृहस्थ उनकी रचनाओं के आधार पर यथास्थिति प्रस्तुत किया गया है, साथ ही उन्हें विद्वान समाज सुधारक एवं सन्त स्वीकार किया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

जिला बस्ती, ग्राम खैरी, शीतल प्रसाद, तप्पा देवरूवा में अवैध रूप से काटे गये शीशम के पेड़ों की संख्या, लकड़ी का मूल्य तथा अभियुक्तों से शुल्क वसूली

129—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़, ग्राम खैरी शीतल प्रसाद, तप्पा देवरूवा में हाकिम परगना ने शीशम का कटा हुआ पेड़ शिकायती पत्र के आधार पर पकड़ा था ? यदि हां, तो क्या कोई मुकदमा कायम किया गया ? कितना पेड़ कटा तथा कितना कोटा पकड़ा गया ? क्या रेन्जर नौगढ़ ने उक्त विवादित पेड़ पर जुर्माना करके पेड़ तोड़ दिया है ? यदि हां, तो उक्त लकड़ी की कीमत क्या थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जी नहीं।

दो सौ पेड़।

तीस पेड़ों के बोटे।

रेंज अधिकारी नौगढ़ ने उक्त अवैध रूप से कटे हुये पेड़ों के लिये उ0प्र0 ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 के अन्तर्गत विभागीय मामला दिनांक 24 दिसम्बर, 1987 को तिथि में कायम कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्भावित अधिकतम प्रशमन शुल्क वसूल करके लकड़ी अभियुक्त के पक्ष में छोड़ दिया है।

कटी हुयी लकड़ी की अनुमानित कीमत रु0 2000 थीं।

जिला बस्ती के ग्राम खैरी शीतल प्रसाद तथा ढेवरूवा में शीशम के पेड़ों को काटने हेतु जारी परमिट तथा पेड़ काटने वालों से जुर्म में प्रशमन शुल्क की वसूली

130 श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, तहसील नौगढ़, ग्राम खैरी शीतल प्रसाद तथा ढेवरूवा में विगत दिनों शीशम के पेड़ों को काटने के लिये विभाग ने परमिट जारी किया है ? यदि हां, तो परमिट किसके नाम व कितने पेड़ काटने के लिये जारी हुआ था ? क्या यह सच है कि इस ग्राम में

पेड़ काटने के जुर्म में विगत दिनों कुछ जुर्माना भी किया गया ? यदि हां, तो किसके नाम से कितने पेड़ों पर ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

श्री मानिक चांद पुत्र श्री बुद्धू, निवासी ग्राम खेरी शीतल प्रसाद थाना देवरुवा, जिला बस्ती से 200 शीशम के पेड़ों के अनियमित पातन के जुर्म में प्रशमन शुल्क वसूल किया गया ।

वाराणसी के प्रेम शंकर सिंह, व्यायामाचार्य, कृषक इण्टर कालेज, हरहुआ को एल0 टी0 ग्रेड का वेतनमान देने की मांग

131 श्री राज किशोर सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रेम शंकर सिंह, व्यायामाचार्य, काशी कृषक इन्टर कालेज, हरहुआ, वाराणसी को अर्हता व योग्यता के आधार पर सी0 टी0 ग्रेड से एल0 टी0 ग्रेड का वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 3 जनवरी, 1988 के उत्तर में उनके पत्र एम एल–135 ईएम–88 दिनांक 18 जनवरी, 1988 के संदर्भ में शिक्षा विभाग की ओर से समुचित निर्देश दिये गये हैं । यदि हां, तो क्या उक्त अध्यापक को एल0 टी0 ग्रेड का वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

सम्बन्धित अध्यापक को एक एल0टी0 वेतनमान नियमानुसार देय नहीं है ।

थाना महाराज गंज (गोरखपुर) में शिकार खेलते थाना श्याम देउरवा के सब–इन्सपेक्टर व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का वाइल्ड लाइफ वार्डन द्वारा पकड़ा जाना

132 श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 18/19 जनवरी, 1988 की रात में वीर-चौराहा (पकड़ीरेंज) थाना महराजगंज (गोरखपुर) में शिकार खेलते दो नाली बंदूक जिस पर सर्च लाईट थी के साथ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने दौड़कर थाना श्याम देउरवा के सब इन्सपेक्टर सहित जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पकड़ा ? यदि हां, तो इन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवारी न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन की पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

वस्तुस्थिति यह है कि वन जीव प्रतिपालक, पूर्वी, अंचल गोण्डा ने दिनांक 18/19 जनवरी, 1988 को रात में लगभग 11.30 बजे वीट चौकी टांगिया चौराहा, पकड़ी रेंज, थाना महराजगंज, (गोरखपुर) में श्याम देउरवा के सब-इन्सपेक्टर इन्चार्ज श्याम देउरवा थाना को प्राइवेट जीप में एक कान्सटेबल एवं तीन अन्य लोगों के साथ दो दुनाली बन्दूकों तथा टार्च सहित घूमते हुये पकड़ा ।

इन सभी व्यक्तियों को जीप एवं दो दुनाली कारतूसी बन्दूकों के साथ पूछताछ हेतु पकड़ी वन विश्राम भवन पर लाया गया।

मामले की जांच चल रही है जिसमें समय लगाना स्वाभाविक है। जांच पूरी होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद पिथौरागढ़ में ननफा स्थान पर विश्राम गृह बनाने हेतु प्रश्न कर्ता का पत्र

133—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता पत्रांक 1263/86, दिनांक 29-8-86 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की तहसील धारचूला के अन्तर्गत ग्राम नावी व ग्राम कूटी के बीच ननफा नामक स्थान पर एक विश्राम गृह अतिशीघ्र बनाये जाने की आवश्यकता संबंधी पत्र प्राप्त हुआ? यदि हां, तो इस विषय पर दिनांक 11 जून 87 तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों;

श्री बीर बहादुर सिंह—

सूचना—एकत्रित की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ के तवाघाट-लिप्ती तवाघाट-नारायण आश्रम मोटर मार्ग को ग्रीफ संस्था को हस्तान्तरित करने हेतु प्रतिवेदन

134—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता के पत्रांक 668/86 दिनांक 11-2-86 द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत महत्वपूर्ण तवाघाट लिप्ती, तवाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग को ग्रीफ संस्था को हस्तान्तरित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ यदि हां, तो इस विषय में क्या कदम उठाये गये हैं? कब तक उपरोक्त मोटर मार्ग पूर्णतया तैयार हो जायेगा?

श्री बीर बहादुर सिंह—

प्रश्नकर्त्ता महोदय का दिनांक 11-2-86, का कथित संख्या का पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क, पूल बनाने में स्वयं सक्षम होने के कारण उक्त मार्ग निर्माण का कार्य ग्रीफ या किसी अन्य संस्था को देने का प्रश्न नहीं उठता। तवाघाट-नारायण आश्रम मार्ग का प्रथम 25 कि0 मी0 लम्बा भाग जून, 1988 तक यातायात हेतु खोला जाना प्रस्तावित है 25 वें कि0मी0 से आगे नारायण आश्रम तक मार्ग के भाग में पड़ने वाली वन भूमि के हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने पर मार्ग का उक्त शेष भाग बन पायेगा।

जनपद बरेली में कृषकों के निजी प्रयोग हेतु 300 फुट से गहरे बोरिंग मशीन द्वारा करने की योजना हेतु अन्तर्गत कृषकों का पंजीकरण व बोरिंग कार्य की जांच

135—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में लघु सिंचाई विभाग विभाग द्वारा कृषकों के निजी प्रयोग हेतु 300 फुट से गहरे बोरिंग मशीन द्वारा करने की कोई योजना चलाई जा रही है जिसमें सबसिडी भी दी जाती है? यदि हां तो अभी

तक किन किन कृषकों ने किस-किस तिथि को उक्त योजना के अन्तर्गत कुछ एडवांस देकर पंजीकरण कराया है तथा उनके यहां बोरिंग का कार्य किस-किस तिथि को प्रारम्भ किया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जिन कृषकों ने बाद में पंजीकरण कराया था उनके यहां बोरिंग का कार्य पहले पंजीकरण कराने वालों से पहले कराया गया है ? नियम के विरुद्ध ऐसा कार्य करने वाले जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी अब कार्यवाही करके स्पष्ट निदेश देंगे कि पंजीकरण के क्रम में ही बोरिंग करायें जाय ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय--

जी हां ।

इस योजना में जिन कृषकों ने बोरिंग कराने हेतु पंजीकरण कराया है उनके नाम तथा कार्य आरम्भ करने की तिथि सलग्न सूची में दर्शाये गये हैं ।

इस संबंध में जांच कराई जा रही है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ--148 पर) ।

हरदोई के प्रेम कुमार सिंह, प्रबन्धक, अब्दुल्ला नगर आदर्श कृषक विद्यालय के प्रार्थना-पत्र पर जांच एवं कृत कार्यवाही

136--श्री बालेश्वर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रेम कुमार सिंह, प्रबन्धक, अब्दुल्ला नगर आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्लानगर, हरदोई का प्रार्थना-पत्र 5-7-86, जो श्री सत्यपाल सिंह, विधायक (वर्तमान नेता विरोधी दल) के पत्र दिनांक 9-7-85 के साथ मूलरूप में संलग्न कर मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव के पत्रांक सी0 एम0 बी0 को 4/25-7 ब-86, दिनांक 21-7-1986 के अनुसार कार्यवाही हेतु सचिव, शिक्षा विभाग को भेजा जा चुका है, की जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री सिब्ते रजी--

जी हां ।

जांच रिपोर्ट स्पष्ट न होने के कारण, इस प्रकरण में पुनः जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री बालेश्वर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रेम कुमार सिंह, प्रबन्धक अब्दुल्ला नगर, आदर्श कृषक विद्यालय, अब्दुल्ला नगर, हरदोई का प्रार्थना-पत्र 4 जून, 1986 उनके कार्यालय के डिस्पैच नं0 पी0 एस0/6338 सी0एम0/86, दिनांक 13 जुलाई, 1986 द्वारा जिला अधिकारी, हरदोई को भेजा गया ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र में वर्णित अपराधों से सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि व्यक्तियों के विरुद्ध किस अधिकारी ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी--

जिलाधिकारी हरदोई ने सूचित किया है कि उक्त पत्र काफी तलाश कराने के पश्चात् भी उनके कार्यालय में अप्राप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामों की पटाई योजना की स्वीकृति, ग्रामों की संख्या तथा व्यय धन

138—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में घाघरा नदी के किनारे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामों की पटाई की योजना शासन ने स्वीकृत किया है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों के कितने मकानों की घर पटाई की योजना है और उस पर कितना धन व्यय होने जा रहा है ? क्या मंत्री जी घर पटाई वाले ग्रामों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 40 के अन्तर्गत माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित प्रश्न] ।

सूखा राहत योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को प्रत्येक सप्ताह मजदूरी भुगतान के निर्देशों का पालन

*18—श्री गौरी शंकर भइया—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि "सूखा राहत योजना" एवं "राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" के अन्तर्गत मजदूरों को प्रत्येक सप्ताह में उनको मजदूरी के भुगतान का निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जनपद बलिया में इन निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । सूखा राहत योजना एवं राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरों को प्रत्येक सप्ताह में उनकी मजदूरी के भुगतान के निर्देश दिये गये हैं । सामान्यतः इस निर्देश का पालन बलिया जनपद में हो रहा है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जाहिद हसन तथा श्री गिरिजा किशोर मिश्र के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जाहिद हसन का निधन दिनांक 27 मार्च, 1988 को जिला अस्पताल, सहारनपुर में करीब 9 बजे रात्रि हो गया । वह लगभग 70 वर्ष के थे । श्री जाहिद हसन का जन्म वर्ष 1918 में ग्राम इब्राहीमी, परगना सरसावा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में हुआ था । उन्होंने आलिम फाजिल की डिग्री दारूल उलूम देवबन्द से प्राप्त की थी । श्री जाहिद हसन वर्ष 1946 से 1952 तक सहारनपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे । श्री हसन लम्बे समय तक एक अध्यापक रहे । वह जीवन पर्यन्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से सम्बद्ध रहे । वह हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और इसके लिये आजीवन कार्य करते रहे । श्री जाहिद हसन के निधन से जनपद सहारनपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी और मेरे दल तथा सदन की शोक संवेदनायें कृपया उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, श्री गिरजा किशोर मिश्र जी का निधन 14 अप्रैल, 1988 को लखनऊ में हो गया। श्री मिश्र जी वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में जनपद शाहजहांपुर के ददरौल निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। भारत सेवक समाज की स्थापना के बाद श्री मिश्र लगातार 1974 तक उसके जिलाध्यक्ष रहे। वह जिला कांग्रेस कमेटी के कुछ समय तक सेक्रेटरी तथा 'रुहेला' साप्ताहिक अखबार के सम्पादक भी रहे थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगाया और उनके निधन से जनपद शाहजहांपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी खो दिया। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे दल की, मेरी और सदन की ओर से संवेदनायें शोकसंतप्त परिवार तक आप पंहुचाने का कष्ट करें।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, नेता सदन ने स्वर्गीय जाहिद हसन और स्वर्गीय गिरजा किशोर मिश्र जी के सम्बन्ध में जो संवेदनायें व्यक्त की हैं, उनसे मैं और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। जाहिद हसन के बारे में सहारनपुर में जाना जाता है कि वह हिन्दू और मुस्लिम एकता के बहुत बड़े पक्षधर थे और धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में वह सहारनपुर में जाने जाते थे। वह 1946 से 1952 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम और अन्तिम बार सदस्य रहे। माननीय जाहिद हसन के निधन से जिला सहारनपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और एक कुशल समाजसेवी को अपने बीच से खो दिया है। जहां तक पंडित गिरजा किशोर मिश्र का सवाल है, वह मेरे जनपद शाहजहांपुर के निवासी थे और जनवरी, 1974 के सामान्य निर्वाचन में वह निर्दलीय विधायक के रूप में चुनकर इस विधान सभा में आये थे। वह अपनी ही लोकप्रियता के बल पर इस विधान सभा में जीत कर आये थे। वह भारत सेवक समाज के जन्म से 1974 तक उससे घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे और उसके माध्यम से बराबर समाज की सेवा करते रहे। मैंने स्वयं उनको देखा है। वह अनेकानेक अवसरों पर बड़े-बड़े समारोहों के सफल आयोजनों के द्वारा जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। वह हमेशा सामाजिक कार्य करते रहे और समाज के किसी भी वर्ग का यदि कोई दुखी और परेशान व्यक्ति उनके पास आया तो वह सदैव उसके आंसू पोंछने का कार्य करते रहे। उनका निधन हमारे लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल में हुआ। उनके निधन से शाहजहांपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को अपने बीच से खो दिया है। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया मेरी और मेरे दल की शोक संवेदनाएं उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने जो निधन के संबंध में हमारे दो भूतपूर्व सदस्यों के लिए कहा उससे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं। मौलवी जाहिद हसन साहब हमारे जिले के थे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था वह सन् 1946 में, मुझे याद है उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मुस्लिम लीग को हराया था। वह हमारी बिरादरी के भी थे मुझे इस बात का भी गौरव है कि वह हमारे परिवार के थे जितना प्यार वह मुस्लिम को करते उससे ज्यादा हिन्दुओं को प्यार करते। वह गूजर बिरादरी के सरदार थे। मुझे याद है पिछले दो चुनाव में कांग्रेस ने उनको लड़ाया था। इत्तफाक से जब उनकी मृत्यु हुई, तब मैं उसी जिले में था, वह घोड़े से गिरे, उनका सिर फट गया और उनका हार्टफेल हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। वह बहुत स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे। उनके वहां न रहने से पूरे समाज की क्षति हुई है। आप उनके परिवार को हमारी पार्टी की तरफ से तथा हमारी तरफ से शोक संवेदनायें भिजवाने की कृपा करें। मान्यवर, श्री गिरिजा किशोर मिश्र जी के बारे में जैसा माननीय नेता विरोधी दल ने बताया, मेरा उनसे परिचय नहीं रहा वह एक अच्छे समाज सेवी रहे हैं, कृपया उनके परिवार को भी मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें भिजवाने की कृपा करें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, स्वर्गीय जाहिद हसन साहब तथा गिरिजा किशोर मिश्र जी के संबंध में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल, लोक दल ने व्यक्त किए हैं उससे मैं अपने को सबद्ध करता हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि आजादी दिलाने वाले लोग धीरे-धीरे हमारे बीच से उठते जा रहे हैं। मान्यवर, इन्होंने अपने क्षेत्र में, इस आदरणीय सदन में, प्रदेश को एक नयी दिशा दी थी। यह दोनों आजादी के सिपाही थे। जाहिद हसन हिन्दु-मुस्लिम एकता के प्रहरी थे। जब यह प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा था, तो इन्होंने मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को हराया था। श्री जाहिद हसन साहब कई मुस्लिम संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। मान्यवर, मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनाय इनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कल्याण सिंह—

मान्यवर, जाहिद हसन साहब तथा गिरिजा किशोर मिश्र जी के बारे में जो विचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं न व्यक्त किए हैं उनसे म अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। हमारी तथा हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुचाने की कृपा करें।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर स्वर्गीय जाहिद हसन साहब तथा गिरिजा किशोर मिश्र जी के संबंध में जो वचार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं ने व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। हमारी शोक संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री कौशिक रमा शकर—

मान्यवर, स्वर्गीय जाहिद हसन साहब और गिरिजा किशोर मिश्र जी के बारे में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दल के नेताओं व्यक्त किए हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे नवेदन करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी शोक संवेदनायें पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, इस विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री जाहिद हसन और गिरिजा किशोर मिश्र जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उनके निधन से हमें और हमारी पार्टी को दुख है। यह दोनों हस्तियां राजनीति में और समाज सेवाओं में अपना प्रमुख स्थान रखती थीं। इनके निधन से उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपूरणीय क्षति हुई है। माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को संबद्ध करता हूं और इन दोनों दिवंगत नेताओं के प्रति अपनी तथा अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी तथा मेरी पार्टी की ओर से संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, स्वर्गीय श्री जाहिद हसन और स्वर्गीय गिरिजा किशोर मिश्र जी के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उससे मैं अपने को तथा निदलीय विधायक समुदाय को सम्बद्ध

करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमारी ओर से श्रद्धा के पुष्प उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री फजलुल बारी--

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने मौलवी जाहिद हसन और श्री गिरजा किशोर मिश्र के इंतकाल के सिलसिले में जो ताजियत के अल्फाज कहे हैं उससे मैं अपने को संबद्ध करता हूं। मेरा निवेदन है कि हमारी संवेदनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

दुखद सूचना है कि हमारे बीच से दो हमारे साथी उठ गये। माननीय जाहिद हसन का निधन 27-3-88 को हुआ। उनका जन्म जिला सहारनपुर में सन् 1918 में हुआ था। वह सन् 1946 से 1952 तक सहारनपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। उन्होंने आलिम फाजिल की डिग्री दारूल उलूम देवबन्द से हासिल किया था। लंबे अर्से तक वह अध्यापक रहे। सारी उम्र वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबद्ध रहे और हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिये काम करते रहे।

स्वर्गीय गिरजा किशोर मिश्र जी का निधन 14-4-88 को हुआ। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वह सन् 1974 में जिला शाहजहांपुर से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुने गये। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगाया। इसी के साथ, माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने उनके निधन के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को संबद्ध करता हूं। आपकी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचायी जायंगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दो मिनट मौन खड़े होकर स्वर्गीय आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े होकर स्वर्गीय आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की)

पाल नौका 'तृष्णा' से विश्व भ्रमण के प्रथम भारतीय विश्वपाल नौका अभियान की सफलता पर बधाई का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 110 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं :--

यह सदन पाल नौका "तृष्णा" से विश्व भ्रमण के प्रथम भारतीय विश्वपाल नौका अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करता है। इस अभियान के सभी सदस्य भारतीय सेना के अधिकारी थे जिनके अदम्य साहस और उत्साह के कारण ही अभियान पूरा हो सका। इस अभियान के एक सदस्य मेजर अशोक कुमार सिंह विकलांग हैं जो उत्तर प्रदेश निवासी हैं। अभियान के सदस्यों में से दो और सदस्य कैप्टेन संजीव शेखर तथा मेजर ए० पी० सिंह भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अभियान के सदस्यों के इस साहसिक कार्य से हमारा देश गौरवान्वित हुआ है।

(इस समय 12 बजकर 34 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठ सीन हुए)।

अतः यह सदन प्रथम भारतीय विश्वपाल नौका अभियान के समस्त सदस्यों को अभियान की सफलता द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई देता है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन इस प्रस्ताव से सहमत है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उससे अपनी सहमति प्रकट करते हुए एक निवेदन करना चाहता हूं। पी0 टी0 उषा जो केरल की हैं तथा ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी सरकारों ने विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित किया है। मेजर अशोक कुमार सिंह, जिनका नाम संसदीय कार्यमंत्री जी ने लिया है उनके पिता हम लोगों के साथ इस आदरणीय विधान सभा के सदस्य हैं और दूसरी बात यह है कि श्री अशोक कुमार सिंह का कैरियर एक अत्यन्त उज्जवल और सेना में श्रेष्ठ कैरियर है। इसके पहले एक बार साहसिक कार्य में उनकी एक टांग चली गई थी उसके बाद भी उन्होंने विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जैसे और राज्यों में राज्य सरकार ने प्रोत्साहन दिया है, हमारी राज्य सरकार ने केवल 20 हजार रुपये की सहायता उन्हें दी है, तो मैं चाहता हूं कि जैसे पी0 टी0 उषा को डिपार्टमेन्ट में इन्क्रीमेन्ट भी दिये गये, उन्हें अच्छी जमीन का प्लाट भी दिया गया। उसी तरह से इन साहसिक नौजवानों को जो हमारे प्रदेश के थे, इनके बारे में भी विचार किया जाय। मैं समझता हूं कि तभी सच्ची [illegible] उनके साथ होगा। इसके साथ ही जो प्रस्ताव संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है मैं, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मैं भी इन्हीं विचारों का हूं कि इस तरह के लोगों को हमारी तरफ से अच्छा प्रोत्साहन मिलना चाहिए और हमारी सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। मान्यवर, अशोक कुमार सिंह जिनको दो-दो दफे सम्मानित किया गया है, उनके पिता जी तो हमारे साथी हैं (व्यवधान) मान्यवर, आप इनको निर्देशित कीजिए कि जरा खुलकर ऐसे नौजवानों का प्रोत्साहन बढ़ावें।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर यह हमारे जिले के हैं....

श्री शत्रुघ्न प्रकाश—

मान्यवर, परम्परा तो यह है कि बधाई के बाद नेता विरोधी दल बोलते हैं।

श्री फजलुल बारी—

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री को उसमें कुछ और भी जोड़ देना चाहिए। यह लोग सेना के हैं, सेना में जो काम कर रहे हैं वहां तो इसमें कुछ नहीं मिलता है वही जो चक्र वगैरा मिलता है, वह दे दिया है। लेकिन खेल की इस तरह के कार्य की तरक्की तभी मुमकिन है जब खिलाड़ियों का प्रोत्साहन पूरे तौर पर हो दूसरे प्रदेशों में जो खिलाड़ी कीर्तिमान स्थापित करते हैं उनको कुछ और दिया जाता है इसमें हमारा प्रदेश बहुत पीछे है। नतीजे के तौर पर जो खेल में जीतते थे अब उसमें भी पिछड़ने लगे हैं। इन खिलाड़ियों को 20 हजार रुपये देकर उन्होंने खेल को बदनाम किया और उनको बदनाम किया। करना यह चाहिए था कि उनको उनके मुताबिक सम्मानित करें। हमारी गुजारिश है कि एम0 आई0 जी0 का प्लाट इन तीनों को एलाट करा दें ताकि वह कम से कम इस बात को याद रखें और इन खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ सके।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है वह काबिले तारीफ है लेकिन उनकी जो संकुचित भावना है उससे बड़ा खेद है । यह प्रसन्नता की बात है कि हम लोगों के बीच में बैठने वाले कर्नल केशरी सिंह जी के लड़के और वह भी विकलांग होते हुए यह गौरव प्राप्त किया है । यह इस प्रदेश का गौरव है इस आदरणीय सदन का गौरव है । हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे लोगों का प्रोत्साहन बढ़े । अगर मन से कुछ करना चाहते हैं कि वह प्रेरणा के स्रोत बने तो निश्चित रूप से जो 20 हजार रुपये सरकार ने दिये यह न के बराबर है मैं चाहता हूं कि कुछ और इनके सम्मान के लिए दिया जाय जिससे दूसरे लोगों को इनसे प्रेरणा मिल सके और देश का गौरव बढ़ सके ।

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, अन्य प्रदेशों ने अपने-अपने यहां के खिलाड़ियों के साथ क्या किया है, उसको देखें, हमारा प्रदेश तो बहुत बड़ा है । हमारे जो यह 4 जवानों ने साहसिक कार्य किया है, वह प्रशंसा के पात्र हैं और जो उन्हें दिया गया है वह बहुत ही कम है । मैं चाहूंगा कि उन्हें कुछ और देकर प्रोत्साहित किया जाय ताकि आने वाले समय में वह और अधिक साहसिक कार्य करें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

मान्यवर, यह जो प्रथम भारतीय विश्व पाल नौका अभियान के माध्यम से विश्व परिक्रमा करने वाले सेना के नौजवानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से बधाई का संदेश यहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं । मान्यवर, यह प्रस्ताव काफी देर से यहां लाया गया है, जब विश्व भ्रमण इन नौजवानों ने किया था, उसी वक्त यह प्रस्ताव लाया जाना चाहिए था । आज जब सदन के सत्र का अंतिम दिन है, तब यह प्रस्ताव लाया गया है ।

मान्यवर, इसमें जो मेजर अशोक सिंह का नाम लिया गया, यह जनपद बस्ती के निवासी हैं और वर्तमान विधायक कर्नल केशरी सिंह के सुपुत्र हैं । मान्यवर, इस अभियान के दौरान निश्चय ही एक रिकार्ड कायम किया गया है । यह जो सरकार ने उनके इस गौरवशाली और अदम्य साहसपूर्ण अभियान में सफलता पर 20-20 हजार रु0 की धनराशि दी है, इतनी कम धनराशि देकर उनके सम्मान के बजाय उनका अपमान किया है । जब पी0 टी0 ऊषा को केरल सरकार उसकी सफलता पर 5 लाख रु0 दे सकती है, रेलवे में उसे विशेष सुविधायें मिल सकती हैं, उसे आवासीय सुविधा दी जाती है, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यह जो हमारे मेजर अशोक सिंह हैं, कैप्टन संजीव शेखर हैं और मेजर ए0 पी0 सिंह, जो उ0 प्र0 के हैं, इनके लिये भी सरकार पुनर्विचार करे । इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर इस अभियान को सफल किया और विश्व में एक रिकार्ड स्थापित किया है और इस प्रदेश का नाम नाम ऊंचा उठाया है । जो यह 20 हजार रुपये की धनराशी दी गयी है, नगण्य है, अपमानसूचक है इसमें सरकार पुनर्विचार करें । इनके लिये आवासीय सुविधा के साथ-साथ, जो यह धनराशि दी गयी है 20 हजार की, उसे भी बढ़ाने पर विचार करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, उसके संबंध में प्रश्न उपस्थित कर दूं.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करने से पहले मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो विचार यहां पर अभी रखें, उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री या माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहें ।

कर्नल केशरी सिंह—

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, भारतवर्ष का यह प्रथम अभियान था और एशिया का दूसरे नम्बर का था । इस अभियान के दौरान इन युवकों ने जो साहस दिखाया है, वह अपने आप में अद्वितीय है, अदम्य है । मान्यवर, इस अदम्य साहस को विशेष प्रोत्साहन देना हमारे देश और प्रदेश के हित में होगा । इन युवकों ने संसार में देश और इस प्रदेश का नाम ऊंचा किया है । न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने, आस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने और हमारे देश में महामान्य राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी ने, सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने और अन्य लोगों ने इनका अभिनन्दन करके, इनके साहस को बढ़ाने का प्रयास किया है । अतः यदि हमारे प्रदेश में खेलकूद को प्रोत्साहन देना है, युवकों को प्रेरणा देनी है, तो यह बहुत आवश्यक है कि इस तरह के साहसिक कार्य करने वाले युवकों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय, अधिक से अधिक सम्मान दिया जाय, ताकि दूसरों को इसकी प्रेरणा मिल सके । क्योंकि हमारा प्रदेश खेलकूद में इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी, इतना आगे अभी नहीं बढ़ पाया है, इसका कारण एक यह भी है कि हम पूरा प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं । सरकार को चाहिये कि इन युवकों को पूरा-पूरा सम्मान और प्रोत्साहन दें ।

श्री सत्यपाल सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी जो विधान परिषद् में आपको 12 लोगों को मनोनीत करवाना है उसमें इन युवकों को भी करा दें ।

श्री राम शरण दास—

विधान परिषद् में मनोनीत करा दें, बहुत बड़ा सम्मान हो जायेगा ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, सरकार की यह हमेशा नीति रही है कि जो लोग इस तरह के खेलकूद की चीजों या अन्य चीजों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनको जितना प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसे करने का प्रयास करते हैं । जो माननीय सदस्यों की भावना है, इसको देखते हुए और भी प्रयास करेंगे । खेलकूद या इस तरह के कार्य करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे ।

(मेजों की थपथपाहट) ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ) ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उन पर शासन विचार करे ।

जिला हरदोई के सार्वजनिक निर्माण विभाग के डिवीजन डी0 सी0 यू0-2 में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(श्री शतरुद्र प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी अभी आप आसन ग्रहण करें। मैं नियम 301 को अब ले रहा हूं। आज सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 73 सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 62 सूचनायें स्वीकार की गयीं। इसमें से पहली सूचना श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की है। दूसरी सूचना श्री माता प्रसाद पान्डेय की है तीसरी सूचना श्री मयंकर सिंह की है। चौथी सूचना श्री नरेश पाल सिंह यादव की है। पांचवी सूचना श्री विक्रमादित्य पान्डेय की है। छठी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) की है। सातवीं सूचना श्री राम बदन एडवोकेट की है। आठवीं सूचना श्री बालेश्वर यादव की है। नवीं सूचना श्री राजेन्द्र शर्मा की है। दसवीं सूचना श्री मूल चन्द की है। ग्यारहवीं सूचना श्री राम गोविन्द चौधरी की है। बारहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की है। तेरहवीं सूचना श्री मनोहर लाल की है। चौदहवीं सूचना श्री देवतादीन की है। पन्द्रहवीं सूचना श्रीमती विजय लक्ष्मी की है। सोलहवीं सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की है। सत्रहवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की है। अठारहवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की है। उन्नीसवीं सूचना श्री किशन लाल की है। बीसवीं सूचना डा0 दिनेश जौहरी की है। इक्कीसवीं सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह की है। बाइसवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की है। तेईसवीं सूचना श्री अकबर हुसन बाबर की है। चौबीसवीं सूचना श्री रामचन्द्र बक्श सिंह की है। पच्चीसवीं सूचना श्री राजित प्रसाद यादव की है। छब्बीसवीं सूचना श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की है। सत्ताईसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल की है। अठ्ठाईसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है। उन्तीसवीं सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की है। तीसवीं सूचना श्री गौरी शंकर भइया की है। इकतीसवीं सूचना श्री विष्णु देव की है। बत्तीसवीं सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क की है। तैंतीसवीं सूचना श्री श्याम बिहारी सिंह की है। चौंतीसवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की है। पैंतीसवीं सूचना श्री औसान सिंह की है। छत्तीसवीं सूचना श्री किशन लाल दिलेर की है। सैंतीसवीं सूचना श्री बदन सिंह की है। अड़तीसवीं सूचना श्री राम शरण दास की है। उन्तालिसवीं सूचना श्री सुखपाल पान्डेय की है। चालीसवीं सूचना श्री महेन्द्र भाटी की है। इकतालीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है। बयालिसवीं सूचना श्री हरिश चन्द्र, हरीश जी की है। तैंतालिसवीं सूचना श्री महमूदुल हसन अंसारी की है। चवालिसवीं सूचना श्री जौहरी लाल त्रिवेदी की है। पैंतालिसवीं सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की है। छियालिसवीं सूचना श्री कौशिक रमाशंकर की है। सैंतालिसवीं सूचना श्री गजराज राम की है। अड़तालिसवीं सूचना श्री गया प्रसाद वर्मा की है। उन्चासिवीं सूचना श्री धनराज यादव की है। पचासवीं सूचना श्री राकेश धर त्रिपाठी की है। इक्यावनवीं सूचना श्री अशोक बाजपेयी की है। बावनवीं सूचना श्री देव कुमार यादव की है। तिरेपनवीं सूचना श्री राम कृष्ण की है। चौवनवीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है। पचपनवीं सूचना श्री विजय सिंह राणा की है। छप्पनवीं सूचना श्री बुनियाद हुसैन अंसारी की है। सत्तावनवीं सूचना श्री सरदार सिंह की है। अठ्ठावनवीं सूचना श्री रमाकान्त की है। उन्सठवीं सूचना श्री मुहम्मद आजम खां की है। साठवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार सिंह की है। इकसठवीं सूचना श्री राम सागर की है। बासठवीं सूचना श्री मोहम्मद रिजवानुल हक की है। बाकी सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

श्री राम शरण दास—

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न था।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अभी लेता हूं। पहले जो सूचनायें हैं, उनको बता दूं।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जो सूचनायें अस्वीकार की गयीं, उनको अस्वीकार करने का मानदण्ड क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कक्ष में आ जाइयेगा, आपको बता दिया जायेगा।

अगर आप लोगों की सहमति हो तो यह पढ़ी हुई मान ली जाये।

(सदन की सहमति से सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

[महोदय, मैं आपकी संज्ञान में सार्वजनिक निर्माण विभाग बस्ती के डिवजन डी0 सी0 यू0-2 में व्याप्त भ्रष्टाचार नियम 301 के अन्तर्गत 6 मार्च 1987 को इसी आदरणीय सदन में सूचना दे चुका हूं। मुझे दुःख है कि प्रश्नगत मामलों की जांच सा0 नि0 विभाग के प्राविधिक सम्प्रेक्षा कोष्ठक, द्वारा जांच भी करायी गयी परन्तु एक भी अधिकारी और कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और संपूर्ण तथ्यों को दबा दिया गया। मैंने पुनः दिनांक 26-2-88 को उपरोक्त विभाग के भ्रष्टाचार के संबंध में जो मेरे क्षेत्र से संबंधित है पुनः नियम 301 के अन्तर्गत सूचना दे चुका हूं। दुख है आज तक इसकी कोई जांच नहीं करायी गयी और जांच आख्या भी मांगी गयी तो उन्हीं अधिकारियों से जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं दिनांक 29-2-88 को मैंने एक विस्तृत पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिख के दिया जिसपर उन्होंने सचिव पी0 डब्लू0 डी0 को टी0 ए0 सी0 से जांच कराने का निर्देशित किया। लेकिन मेरे पत्र जो मुख्य मंत्री के कार्यालय से दिनांक 29-2-88 को सचिव महोदय के पास भेजा गया था वह भी दबा दिया गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त तमाम पत्रों को तलाश करके और किसी उच्च अधिकारी को भेजने का कष्ट करें जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके तथा जांच के समय की सूचना मुझे भी दी जाय ताकि मैं भी उपस्थित रह सकूं]।

जनपद बस्ती के डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी व्यवस्था वंचकों की पैमाइश ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री माता प्रसाद पान्डेय—

[महोदय, बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत संपूर्ण ग्रामों का चक बनवाया जाना प्रस्तावित है। अब तक लगभग 500 गांवों की चकबन्दी का कार्य पूरा हो चुका है। कुछ गांवों के धारा 52 का प्रकाशन भी हो चुका है। परन्तु पैमाइश के तत्काल बाद जो पत्र 35 'क' देने का प्राविधान है वह अब तक संपूर्ण

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील में एक प्रतिशत चकदारों को नहीं दिया गया जिसके कारण चकों की निशानदेही का विवाद उत्पन्न हो जाता है। कृषक इससे काफी परेशान हो रहे हैं। आने वाले दिनों में नक्शा दुरुस्ती का विवाद उत्पन्न होगा। जोत पत्र-5 के वितरण के पूर्व सी0 ओ0 सर्किल पिटवा, सोहना, सिकटा, कठेला, व डुमरियागंज में रकबों की पैमाइश भी नहीं की जाती है जिसके कारण किसानों को अनावश्यक विवादों में उलझना पड़ता है अतएव आप के माध्यम से मांग करता हूं कि डुमरियागंज संपूर्ण तहसील में जो पत्र 35 'क' का वितरण एवं जोत-पत्र-5 के वितरण के पूर्व रकबों की पैमाइश करायी जावे]।

सरयू नहर परियोजना बहराइच, जनपद में करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मयंकर सिंह—

[महोदय, जनपद बहराइच में सरयू नहर, कि0 मी0 40.00 से 42.00 एवं 46.00 से 50.00 का 1 मीटर ऊपर अंतिम करके 50 लाख रुपया का फर्जी भुगतान किया गया है। अधीक्षण अभियन्ता नवम् मन्डल सिंचाई कार्य बहराइच दबाव डाल करके अपने कार्यकाल में 5 करोड़ रुपये का डिवाटरिंग मटेरियल एवं एक करोड़ रुपये का अन्य मटेरियल जैसे बल्ली, पटरा, रबर सील, वायब्रेटर लीड्स आदि सहायक अभियन्ता स्तर के अनुबन्धों के माध्यम से रेट कान्ट्रैक्ट के नियमों का भी पालन न करके बाजार मूल्य से पांच गुना तक ऊंची दरों में क्रय करवाया है। देखा जाय तो यह सब सामान स्टोर्स में उपलब्ध नहीं है। पंचानवें लाख रुपया मशीनरी की रिपेयरिंग व रिबाईंडिंग पर फर्जी भुगतान किया गया है। इस प्रकार से कार्यों पर 50 प्रतिशत तक डिवाटरिंग की मदों पर खर्च आया है। इनके अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा कार्यशाला मण्डल बहराइच के खण्ड -8 का 18 लाख रुपया का भुगतान नियमों के विपरीत 40 प्रतिशत कमीशन के लालच में किया गया है। इस मण्डल में सूखा राहत के अन्तर्गत कुल अड़तालिस लाख रुपया खर्च किया गया है। कार्य स्थल देखा जाय तो 90 प्रतिशत फर्जी मिलेगा। अधीक्षण अभियन्ता अपने इच्छित ठेकेदारों को कार्य देने एवं उनसे मोटी रकम वसूल करने के कारण बड़े कार्यों के टेन्डर खुली नीलामी के अन्तर्गत नहीं बिकने देते हैं। इनकी इच्छा के विरुद्ध निविदा खरीदने व डालने वाले ठेकेदारों को गहरे उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में सरयू नहर के कि0 मी0 38.100 सुपर पैसेज पर निविदा देने वाली फर्म का नाना प्रकार से साजिशें करके भुगतान रोकना तथा अनुबन्ध भी न करना विशेष उल्लेखनीय है। अधीक्षण अभियन्ता 6 वर्ष से उक्त मन्डल में कार्यरत हैं इनकी स्वार्थलिप्सा एवं भ्रष्ट कारनामों से जनाक्रोष व्याप्त है।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर प्रभावी कार्यवाही हेतु सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं]।

श्री एस0 के0 गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रुड़की द्वारा

भ्रष्टाचार एवं अनियमितता किये जाने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेश पाल सिंह यादव—

[होदय माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्न सूचना की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

नोट—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।]

*वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्य विद्युत् परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संचालक श्री एस0 के0 गुप्ता अधिशासी अभियन्ता (67075) विद्युत् वितरण खण्ड, रुड़की सहारनपुर जिसके विरूद्ध राज्य सर्तकता अधि0 12—बेनी प्रसाद रोड लखनऊ द्वारा जांच संख्या–97/83 एवं संख्या –302/83 तथा जांच संख्या–191/86 द्वारा खली जांच चल रही है मगर विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष श्री ए0 के0 शाह द्वारा अपनायी गयी भेद–भाव व जातिवाद की नीति के अनुसार परिषद आदेश संख्या–965–कार्मिक (द्वितीय रा0 वि0 प0/86/18 ए/73, दिनांक 15 मार्च, 1986 के द्वारा क्रम संख्या 39 पर अंकित अभियन्ता को विशेष श्रेणी के वेतन मान में स्थानापन्न नियुक्त किया गया है । जो कि नियमानुसार अवैधानिक है । क्योंकि उपरोक्त परिषद् आदेश में निहित अंतिम पैरा में 39 अधिशासी अभियन्ताओं को उपरोक्त विशेष श्रेणी में मामूली कारणों वश प्रोन्नति नहीं की गयी है ।

अतः मैं सदन के माध्यम से परिषद् द्वारा की जा रही उक्त धांधलेबाजी की खुली जांच कराने तथा अनियमित रूप से विशेष श्रेणी में प्रोन्नति अधिशासी अभियन्ता को अविलम्ब पदावनत कराने की मांग करता हूं ।]

सचिवालय डिस्पेन्सरी के कर्मचारियों द्वारा धांधली व मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

[मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत मैं यह महत्वपूर्ण तथ्य आपके तथा आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में ला रहा हूं । सचिवालय कर्मचारियों की चिकित्सीय सुविधा के लिये सचिवालय प्रांगण में एक डिस्पेंसरी की व्यवस्था की गयी है । उक्त डिस्पेंसरी में कार्यरत अधिकारी बहुधा समय से डिस्पेंसरी न आकर अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता बरतते हैं यही नहीं विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा में लगे रह कर उक्त अधिकारियों ने सचिवालय कर्मचारियों को उनकी चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा एवं आवश्यकता से वंचित कर दिया है । कर्मचारियों को दवायें समय से उपलब्ध नहीं करायी जाती है तथा अनेक बार लाइन में लगने के बाद भी कर्मचारियों को दवायें नहीं मिल पाती है । उक्त डिस्पेंसरी में एक तो स्टाफ कम है, दूसरे वहां के अधिकारी उक्त स्टाफ को विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा में लगाये रहते हैं जिससे सचिवालय कर्मचारियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है । फलस्वरूप कर्मचारियों म बहुत रोष एवं असंतोष व्याप्त है ।

अतः उक्त जनहित में जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न को मैं नियम 301 के अन्तर्गत उठाये जाने की माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं]

जिला कोषागार गाजीपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर के कोषागार की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की ओर ले जाना चाहता हूं । कोषागार से पेंशन पाने वाले पेंशनरों को वित्तीय वर्ष 1987–88 में मुद्रांक 75/– रुपया का एक बार मानदेय देने का शासना-

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

देश हुआ था, जिसे नियमित बढ़ोत्तरी की तरह कई माह तक भुगतान किया गया जिससे 6.5 लाख से अधिक धनराशि शासकीय कोष से गलत आहरित होकर वितरित हुई है और उसकी जानकारी होने पर जिला प्रशासन कोई कार्यवाही न कर उसे रफा-दफा कर दिया । जनता में इस भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने से काफी क्षोभ व्याप्त है । आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि इस भारी वित्तीय अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी जिला प्रशासनिक अधिकारियों एवं कोषागार के अधिकारियों/सम्बन्धित कर्मचारियों को दण्डित किया जाय और दुरुपयोग हुई धनराशि को अब तक यदि कोषागार में जमा न कराया गया हो तो उसे तत्काल जमा कराया जाय] ।

गाजीपुर जिलान्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम बदन एडवोकेट—

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की जनपद गाजीपुर की वर्तमान समय में उत्पन्न भीषण पेयजल समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं । वैसे तो यह समस्या समस्त जनपद में व्याप्त है किन्तु विशेष तौर से विकास खण्ड विरनों, मरदह, कासिमाबाद एवं वाराचवर जो गंगा एवं टमसा नदी के बीच में स्थित है, वहां की नदियों का जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण कुएं सूखते जा रहे हैं और अभी से पानी के लिये लाले पड़े हुये हैं । पेयजल की समस्या अपरिहार्य समस्या है । इसके निदान करने में भी काफी समय लगता है जिससे तत्काल विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । जो हैण्डपाइप पूर्व में लगे थे उनमें से कुछ खराब होते जा रहे हैं जिसकी मरम्मत नहीं कराई जा रही है । बहादुर गंज टाउन एरिया में भी जल कल विभाग द्वारा पाईप लाइन बिछाई गयी है । किन्तु नियमित जलापूर्ति व्यवस्था नहीं है । कृपया सरकार को निर्देशित करें कि वह जनपद गाजीपुर के उन गांवों में जहां पानी पीने के साधन नहीं हैं वहां तत्काल हैण्ड पम्प लगवायें तथा जहां की आबादी अधिक है और साधन कम हैं उन गांवों को जल आपूर्ति साधनों से सेचुरेट करें ।]

राज्य सम्पत्ति विभाग की कालोनी एल0के0एस0 अलीगंज सीतापुर रोड लखनऊ में अंधकार, गन्दगी, मच्छरों के भयंकर प्रकोप होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बालेश्वर—

[मान्यवर, राज्य सम्पत्ति विभाग ने अलीगंज सीतापुर रोड पुरनियां में एल0डी0ए0 द्वारा निर्मित एक कालोनी को लेकर राजकीय कर्मचारियों को आवंटित तो कर दिया है लेकिन वहां पर खुले नाले से भयंकर गन्दगी के बदबू तथा मच्छरों के प्रकोप से रात में लोगों को नींद नहीं आती है तथा बीमारी भी फैलने की आशंका है । इस कालोनी में बिजली भी अभी तक मकानों में नहीं दी गयी है जिससे वहां घनघोर अंधकार रहता है और चोरी वगैरह का भी हरवक्त खतरा बना हुआ है । जिससे राजकीय कर्मचारियों में क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि नालों की गन्दगी साफ करके उसे ढकने का प्रबन्ध करने तथा मच्छरों एवं कीट नाशक दवाइयों के छिड़काव के साथ ही विद्युत् का भी समुचित शीघ्र प्रबन्ध कराया जाय ।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जिला मेरठ के विकास खण्ड, छपरौली के यमुना घाट के ठेके के कर्मचारियों के साथ हरियाणा पुलिस द्वारा अत्याचार करने तथा उन्हें जबरन गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र शर्मा—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं। ग्राम टांडा विकास खण्ड, छपरौली में जिला परिषद्, मेरठ द्वारा यमुना के घाट का ठेका छोड़ा गया था इस ठेके को चलाने हेतु ग्राम तुगाना व आस-पास के लोग जो इस पर कार्यरत थे पिछले सप्ताह इस ठेके पर कार्य करने वालों व रात्रि में गांव तुगाना में सो रहे लोगों को हरियाणा की पुलिस जबरन उठाकर ले गयी, हरियाणा पुलिस ने थाना छपरौली को इसकी कोई सूचना नहीं दी, गिरफ्तार किये गये किसानों को करनाल ले जाकर के बन्द कर दिया गया। इस गैर कानूनी गिरफ्तारी से वहां के किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है किसी समय भी गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि गिरफ्तार किसानों को अविलम्ब हरियाणा सरकार से रिहा कराया जाये और हरियाणा सरकार से यह अनुरोध किया जाय कि इस प्रकार की गिरफ्तारियां व उ0प्र0 के ग्रामों में गैर कानूनी रूप से पुलिस का प्रयोग व उसके द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही रोकी जाये।]

प्रदेश के राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग एवं पी0पी0एम0 सेल में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मूल चन्द—

[महोदय, प्रदेश के राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग एवं पी0पी0 एम0 सेल में इस समय वहां के कर्मचारी (पुरुष व महिला) दोनों बहुत पीड़ित हैं। जातिवाद के आधार पर सचिव नियोजन ने दस निदेशालय एवं उक्त विभाग का पूरा अधिष्ठान एक सचिवालय स्तर के उप सचिव (श्री राय) को आवंटित किया है, जबकि इनके विरुद्ध सूचना विभाग में सतर्कता जांच व विभागीय जांच की जा रही है और इस अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारी, कु0 बन्दना श्रीवास्तव, स0 परियोजना अधिकारी, कु0 अनिता खरे, कु0 निकहत सुल्ताना, गिरजा देवी गौड़, अवर/प्रवर वर्ग सहायक, श्रीमती माथुर को कई मामले में व्यक्तिगत रूप से नुकसान पंहुचाया और इसकी भ्रष्ट नियत से महिला एवं पुरूष कर्मचारी परेशान हैं। इसमें अनुभाग अधिकारी, नियोजन–2 जिसके विरुद्ध मुख्य सचिव स्तर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच चल रही है, का भी सहयोग है और इसको इस वर्ष बोनस का भुगतान कर दिया गया है। उक्त विभागों में सीधी भर्ती/प्रोन्नति/स्थानापन्न प्रोन्नति व भवन स्कूटर अग्रिम में उस सचिव द्वारा मनमानी की जा रही है। इस विभाग के कर्मचारियों व दक्षता रोक, वेतन वृद्धि, जी0पी0एफ0 व छुट्टी सैन्कशन के कई मामले में वर्षों से पत्रावली लम्बित चला रहे हैं। उक्त विभागों में मकर जातिवाद, भ्रष्टाचार व महिलाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है।

मान्यवर, मैं इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दैनिक जागरण समाचार-पत्र कार्यालय, गोरखपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा हमला एवं तोड़फोड़ करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

[मान्यवर, गत 31 मार्च, 1988 को प्रातः गोरखपुर के दैनिक जागरण समाचार-पत्र कार्यालय में बेढ़ दर्जन हथियार बन्द बदमाशों ने जबरन घुसकर वहां के कर्मचारियों को मारा पीटा तथा लाखों रुपये की सम्पत्ति तोड फोड़ डाली। परिणामस्वरूप समाचार-पत्र का प्रकाशन गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ।

बदमाशों ने गेट पर खड़े चौकीदारों/कर्मचारियों को कट्टे दिखाकर दीवार की ओर मुंह फेर लेने को मजबूर कर दिया। दो हमलावर गेट पर खड़े थे और अन्य लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमलावरों ने फोटो कम्पोजिंग जैसे अत्याधुनिक लाखों रुपये मूल्य के नाजुक उपकरणों को ईंटों व सरियों के प्रहार से चकनाचूर कर डाला। एक बहुमूल्य, कैमरे, मेजें व टेलीफोन तथा टाइपराइटर को भी पटक का तोड़ डाला और सहायक प्रबन्धक को गोली मारने की धमकी दी।

अभी चार दिन पूर्व जागरण कानपुर कार्यालय में भी ऐसी घटना घटित हुई थी। कल कानपुर में लोगों ने जागरण के बण्डल जला डाले। इस घटना से समाचार पत्र जगत में असुरक्षा की भावना व्याप्त है और जनता में आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

फैजाबाद जिलान्तर्गत विकास खंड सोहावल, मसौधा और पूरा के कतिपय ग्रामों के राजकीय नलकूपों में खराबी एवं टूटी-फूटी नालियों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद—

[महोदय, जनपद फैजाबाद में राजकीय नलकूपों की नालियां और उसकी मरम्मत की फर्जी प्रगति रिपोर्ट के संबंध में आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि मेरे द्वारा इंगित की गयी राजकीय नलकूप की नालियां व उनकी सिंचन क्षमता की जांच शासन के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराकर उन नालियों को ठीक कराया जाय तथा उनसे दोषी जो भी अधिकारी हों उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाय।

मान्यवर, मेरे जनपद फैजाबाद के विकास क्षेत्र सुहावल, मसौधा और पूरा की राजकीय नलकूप जो विकास क्षेत्र सोहावल में हैं, ग्राम सभा पिन्डावा, दक्खिनपारा, कांटे, मजनावां, रहीमपुर बदौली, विशुनपुरसारा, उचितपुर, सोखावां, देवराकाट, हाजीपुर बसेंडी, अम्बरपुर, पिलखांवा, तासीमपुर, मुस्तफाबाद, बरेरू, बरईवलां, लहरापुर, गांडवा आदि इसी प्रकार विकास क्षेत्र मसौधा में कैल, पारकैल, पिपरातल, सरियावां, रघुपुर तथा विकास क्षेत्र पूरा में बर्मा कोड़री (डिहवा) के राजकीय नलकूपों की नालियां टूटी फूटी हैं सफाई नहीं हुई है। सूखे से किसान परेशान हैं। किसानों में सिंचाई की इस असुविधा से व्यापक असंतोष है। स्थानीय अधिकारियों ने विगत 87–88 में इनकी नालियों की सफाई और मरम्मत पर लाखों रुपये खर्च होना दिखाया है और शासन को फर्जी रिपोर्ट भेजी है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमान्, इस गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इसकी जांच कराई जाय, नाली को ठीक कराया जाय और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय ।]

प्रदेश में चमड़े उद्योग में लगे श्रमिकों के वेतन आदि में वृद्धि व सुधार किये जाने के

सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मनोहर लाल—

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में चमड़े व चमड़े से संबंधित दुकानों व कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की तनख्वाह बहुत कम है। इन कारखानों में अधिकतर हरिजन व अल्पसंख्यक लोग कार्य करते हैं। विगत तीन साल पहले कानपुर चमड़े के कारखाने में कार्यरत श्रमिकों को अंतरिम सहायता के रूप में 26 रुपये माहवार बढ़ोत्तरी की गयी थी। मगर यह बढ़ोत्तरी कानपुर के अलावा प्रदेश के किसी कारखाना जैसे उन्नाव, आगरा, सीतापुर आदि के अलावा लागू नहीं की गई थी। विगत माह शिमला समझौते के अन्तर्गत चमड़ा मजदूरों की तनख्वाहों में एक रूपये चौंतीस पैसे की वृद्धि की गई थी, वह भी कानपुर के अलावा अन्य जनपदों में लागू नहीं हुई। 10 मार्च, 1988 को माननीय श्रममंत्री श्री सईदुल हसन ने अपने कार्यालय में चमड़ा श्रमिकों की तनख्वाह बढ़ोतरी के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें उन्होंने 78रुपये माहवार अंतरिम सहायता के रूप में बढ़ोत्तरी की घोषणा की थी लेकिन वह बढ़ोतरी अभी तक श्रमिकों को नहीं मिली। इस तरह सरकार की श्रम विरोधी नीतियों और खासतौर से चमड़ा मजदूरों के प्रति उदासीनता दिखाने से पूरे प्रदेश के श्रमिकों में काफी रोष व असंतोष व्याप्त है।

अतः इस अविम्बनीय लोक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सदन तथा श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए श्रमिकों को उनका भुगतान कराने की मांग करता हूं।]

जनपद बहराइच में वर्तनियाघाट स्थित गिरवापोरी का पेन्टूनपुल के निर्माण में घटिया

सामग्री के प्रयोग में उसके टूटने तथा खतरा होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत

सूचना

*श्री देवताबीन—

[महोदय, निवेदन है कि मेरे जनपद बहराइच में वर्तनियाघाट स्थिति गिरवापोरी का पेण्टूनपुल, पुल निर्माण में पुरानी सामग्री प्रयोग किये जाने से पुल तिरछा हो गया था तथा उससे 26-4-87 से 3-5-87 तक यातायात अवरुद्ध रहा। इसकी शिकायत संबंधित विभाग के मंत्री जी को की गयी। मंत्री स्तर के आदेश के उपरान्त निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हो पाई। शासन प्रशासन दोनों मिलकर जांच के तथ्यों को छिपाना चाह रहे हैं क्योंकि पुल में सारी निर्माण सामग्री लगायी गई थी। जनपद स्तर के अधिकारी मामले को दबवाने पर तुले हैं और प्रशासन ध्यान नहीं देता है यह मामला अत्यन्त ही जनहित का है। पुल में आयी खराबी से कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। जिससे जन व धन का काफी नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त दोषी अधिकारी साफ बरी भी हो जाना चाह रहे हैं, इससे जनता में भारी रोष है।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा अनुरोध है कि अवारणीय सदन इस संबंध में माननीय मंत्री का वक्तव्य चर्चा आहूत करे जिससे इस जनहित के मामले में आवश्यक कार्यवाही हो सके।]

तहसील बांसडीह, जनपद बलिया के स्थानीय कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार एवं मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना :

*श्रीमती विजय लक्ष्मी—

[मान्यवर, तहसील बांसडीह, जनपद बलिया के स्थानीय कर्मचारियों की मनमानी और अनैतिक कार्यों से क्षेत्रीय जनता परेशान है। बार-बार शिकायतों के बावजूद राजस्व विभाग के कई कानूनगो और लेखपाल एक दशक से अधिक समय से एक ही क्षेत्र में सेवारत हैं। उदाहरण के लिये बांसडीह टाउन एरिया के लेखपाल उसी तहसील के निवासी हैं और 10 वर्षों तक उसी तहसील में लेखपाल रहने के बाद प्रोन्नत होकर वहां पर कानूनगो हैं। यही स्थिति अन्य विभागों की भी है। कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानीय होने के कारण वे मुकामी पार्टी बन्दी और राजनीति में खुल कर हिस्सा लेते हैं। जिससे स्थानीय जनता में काफी रोष एवं असन्तोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करती हूं।]

प्रदेश पुलिस आवास निगम के द्वारा की गयी नियुक्तियों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

[महोदय उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लि0 में सितम्बर, 1987 में विभिन्न पदों के चयन हेतु एक सूचना प्रकाशित की गयी थी जिसमें टेक्निकल आफिसर सिविल के 21 पदों का भी चयन होना था। इस चयन के लिये साक्षात्कार की तिथि दो बार निश्चित करने के बाद निरस्त कर दी गयी और 19 मार्च को लिखित परीक्षा लेना तय किया गया। परीक्षार्थियों के प्रवेश-पत्र जारी करने में अनियमिततायें बरती गयीं और पक्षपात किया गया। 30 रुपया आवेदन शुल्क लेने के बाद रजिस्टर्ड पत्र द्वारा प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया गया। प्रवेश पत्र जारी करने के लिये दो हजार रुपये तक लेने की शिकायतें हैं। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के इरादे से परीक्षा का समय 10.30 बजे के बजाय 12.30 कर दिया गया और उत्तर पुस्तिकाओं पर रोल नं0 लिखने के बजाय अलग से एक चिट पर उसे लिखाया गया ताकि मनचाहे तरीके से कापियों को बदला जा सके। इस प्रकार से भ्रष्टाचार के कारण सैकड़ों परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हुआ है।

अतः इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जिला कानपुर देहात के बिल्हौर क्षेत्र में गुन्डों का आतंक व अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना :

श्री यदुनाथ सिंह—

[महोदय, थाना क्षेत्र बिल्हौर कानपुर (देहात) में पुलिस की सांठ-गांठ से बदमाशों

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का आतंक छाया हुआ है। सरे शाम दुकानें बन्द हो जाती हैं, सन्नाटा छा जाता है। खेती का काम प्रभावित है। हर व्यक्ति अपहरण से भयाक्रांत है और उसकी स्वतंत्रता कैद है।

1987 से अब तक लगभग ग्यारह लोगों के अपहरण हो चुके हैं। आठ व्यक्ति फिरौती का धन देकर छूट सके हैं और दो व्यक्ति अभी बदमाशों के चंगुल में हैं। फिरौती न पाने से एक व्यक्ति जान से मारा गया है। अपहरण का क्रम अभी जारी है। धमकी भरे पत्र आ रहे हैं। बदमाशों की जीप आजादी से आती है। बदमाश पुलिस की जानकारी में हैं, परन्तु पुलिस कर्त्तव्य से मुंह फेरे हुए है। अपहरण दैनिक अखबारों में प्रकाशित होते रहे हैं। अधिकांश घटनायें चौकी अरौली क्षेत्र में हुई हैं। यह चौकी शराबखोरी व ऐय्याशी का अड्डा बनी हुई है। अखबार के रिपोर्टर पुलिस जुल्म के खिलाफ वाले तथा जांच के गवाह आदि षडयंत्र रचित निराधार मामले में बन्द किये जा रहे हैं। क्षेत्राधिकारी का संरक्षण पुलिस को प्राप्त है। पुलिस क्षेत्राधिकारी के रहते रुकना संभव नहीं है। जिम्मेदार पुलिस को दंडित करना तथा पी0 ए0 सी0 की गश्त नियुक्त करना ही एक मात्र विकल्प है।]

आगरा जिलान्तर्गत कतिपय ग्रामों में यमुना नदी का पानी विषैला होने तथा पेय जल संकट

उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

---

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[महोदय, जनपद आगरा में जमुना नदी का पानी ग्राम फरौल, नगरिया, अजहदापुर, सिकहरा–जजालपुर–कररौली–बसई मोहम्मदपुर–मडुआ–शंकरपुर सोफीपुर और बटेश्वर पर पहुंचते-पहुंचते विषैला हो गया है जिसमें मछली, कछुआ, सांप मर गये हैं और यमुना में पड़े सड़ रहे हैं। पशु पानी पीने पर फौरन ही मर जाते हैं। इस प्रकार उक्त ग्रामों से करीब एक दर्जन पशु जमुना जी का विषैला पानी पीने से मर चुके हैं। इतनी ही नहीं जमुना के किनारे के ग्रामों में पीने का भी पानी नहीं है और जमुना नदी का पानी विषैला हो गया है। ऐसी दशा में भयंकर बीमारी के फैलने की आशंकायें पैदा हो गयी हैं।

उक्त ग्रामों के अलावा तोतलपुर बिहारीपुर, मरसैना, बसई मोहम्मदपुर के पानी से तबाह ग्रामों में तुरन्त पानी का प्रबन्ध हो और लोगों को जमुना नदी के विषैले पानी से बचाया जाय।]

रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का नाम बदलकर बाबा भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,

---

बरेली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

---

*श्री किशन लाल—

[महोदय, बरेली व मुरादाबाद मण्डल की जनता व छात्र काफी समय से यह मांग कर रही हैं कि बरेली स्थित रुहेलखन्ड विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय कर दिया जाये। सम्पूर्ण राष्ट्र में कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है, जिसको बाबा साहब के नाम से सम्बद्ध किया गया हो। सरकार बाबा साहब का नाम उक्त विश्वविद्यालय से जोड़कर, प्रदेश सरकार करोड़ों दलितों की भावनाओं का आदर करेगी, वही संविधान के निर्माता एवं महान देशभक्त व समाज सुधारक को सम्मान दिलाने में अगुवाई करेगी।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं मांग करता हूं कि रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय का नाम बदल कर बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, बरेली किया जावे ।]

जनपद बरेली में मांझा उद्योग में लगे श्रमिकों का शोषण समाप्त करने तथा उन्हें सुविधाएं दिलाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

[महोदय, बरेली नगर के लगभग 5 हजार परिवार दुकानों से धागा खरीदकर अपने हाथों से पतंगों के लिये मांझा बनाते हैं तथा इसे शहर तथा बाहर बेचते हैं। हाथ करघे पर हाथ द्वारा तैयार मांझा जब मजदूर स्वयं लेकर बेचने जाते हैं, तो सेल्स टैक्स विभाग द्वारा उनसे बिल मांगा जाता है। तब धागे का बिल दिखाते हैं तो उसे माना नहीं जाता है व उनका चालान कर दिया जाता है व भारी जुर्माना डाला जाता है, जिससे गरीब मांझा बनाने वालों का उत्पीड़न हो रहा है । मांझा का काम लघु उद्योग के अन्तर्गत आता है व श्रमिकों द्वारा स्वयं तैयार किया जाता है, जिस पर सेल्स टैक्स लगने का कोई औचित्य नहीं है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि श्रमिकों द्वारा तैयार किये गये पतंग के मांझे पर से सेल्स टैक्स समाप्त किया जाय ।]

जिला झांसी के टण्डन ट्रस्ट नामक संस्था की सम्पत्ति पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

[महोदय, झांसी जनपद में टण्डन ट्रस्ट नाम की संस्था सन् 1946 में पंजीकृत हुई थी, जिसकी अधिसूचना 7 जुलाई, 1972 को जारी करते हुये उस ट्रस्ट का अध्यक्ष शासन ने जिलाधिकारी, झांसी को बनाया था और श्री राज्यपाल ने चैरिटेबुल इनडाउमेंट ऐक्ट, 1890 के अन्तर्गत उस सम्पत्ति को चैरिटेबुल इन्डाउमेंट उ0 प्र0 के कोषाध्यक्ष में निहित कर दिया, जो एक सरकारी संस्था है । इस ट्रस्ट के अन्तर्गत झांसी शहर में करोड़ों रुपये की अचल एवं चल सम्पत्ति तथा भूखण्डों की अधिसूचना जारी की गयी, किन्तु वहां के असामाजिक तत्व मनमाने ढंग से उस भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और कागजात में जालसाजी कर लाखों रुपये की सम्पत्ति बेच दिया है । अन्य ट्रस्टियों द्वारा जिलाधिकारी, झांसी का ध्यान आकर्षित किया गया किन्तु उनके द्वारा ध्यान न देने से सरकार के ट्रस्ट के लाखों रुपये की क्षति पहुंची । जिससे स्थानीय जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

वाराणसी, गाजीपुर तथा आजमगढ़ आदि जनपदों में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राज किशोर सिंह—

[महोदय, वाराणसी जनपद तथा गाजीपुर, आजमगढ़ आदि जनपदों में पेयजल का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है । पशु-प्राणी सभी पीने के पानी के लिये परेशान हैं। कुयें, ताल-तलैया, पोखरों में पानी बिल्कुल सूख गया है । पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये शासन की ओर से तत्परता कार्यक्रम का बिल्कुल अभाव है ।

नोट—[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकांश हैन्डपम्प खराब पड़े हुये हैं। उनकी मरम्मत के लिये जल निगम को कोई चिन्ता नहीं है। ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत बने ओवरहेड टैंकों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति के अभाव में गांवों में पूर्ण क्षमता से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। वाराणसी शहर व ग्रामीण अंचलों में पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है। गांवों में बिछी हुई पाइपों में जल निगम की ओर से जलापूर्ति न होने से पाइपें बेकार पड़ी हुई हैं। जगह-जगह ध्वस्त पाइपों की मरम्मत नहीं हो रही है। जल निगम के जूनियर इंजीनियरों की हड़ताल के कारण न नये हैन्डपम्प लग रहे हैं और न खराब हैन्ड पम्प ठीक किये जा रहे हैं। अधिकारी वर्ग इस संकट की घड़ी में किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर गम्भीर समस्या के प्रति मूक दर्शक बना हुआ है। शहर व गांवों में बूंद-बूंद पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है और असन्तोष व आक्रोश व्याप्त है।

अतएव, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मैं शासन से पेयजल संकट निवारण के लिये युद्धस्तर पर कार्यक्रम चलाने की मांग करता हूं।]

ग्राम सरायं मोहना; ब्लाक चिरईगांव, जिला वाराणसी में ग्राम समाज व किसानों की भूमि पर कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन बाबर—

[महोदय, ब्रिटिश राज में 21 नवम्बर, 1936 को ऋषि वैली ट्रस्ट (कृष्णमूर्ति फाउन्डेशन) व सेक्रेटरी यूनाइटेड प्राविन्सेज स्टेट के बीच हुये एग्रीमेंट के अन्तर्गत सराय मोहना, चिरईगांव ब्लाक, वाराणसी के किसानों की 127-11 एकड़ जमीन ट्रस्ट को विद्यालय बनाने के लिये दे दी गयी किन्तु सन् 1953 तक कोई शिक्षण कार्य नहीं हुआ। वर्ष 1954 में दो वर्षीय कृषि व प्रसार डिप्लोमा कोर्स कृषि विद्यालय खोलने की मान्यता कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन को मिली और सरकारी अनुदान से भवन का निर्माण हुआ किन्तु 2 फरवरी, 1985 को राज्य सरकार ने उक्त विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी 15 अक्तूबर, 1986 को महामहिम राज्यपाल की अधिसूचना के द्वारा जमींदारी विनाश से शिक्षा संस्थाओं को मिली छूट समाप्त कर दी गयी तथा 127-11 एकड़ भूमि राज्य सरकार में निहित हो गयी किन्तु कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन का अवैध कब्जा अभी तक बना हुआ है। कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन ने 100 एकड़ जमीन ग्राम समाज की भी कब्जा कर लिया है। सरायं मोहना के गरीब किसानों की जमीन ले ली गयी, किन्तु गांव के विकास के लिये उक्त ट्रस्ट ने कुछ भी नहीं किया है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जनता अपनी जमीन की मांग जीविकोपार्जन के लिये कर रही है। मांगें तत्काल पूरी न होने से किसानों में असन्तोष व्याप्त है। अतएव, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरायं मोहना की 227-11 एकड़ भूमि गरीब किसानों में तत्काल वितरित करने की शासन से मांग करता हूं।]

बाराबंकी जिलान्तर्गत थाना जैदपुर की पुलिस द्वारा लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने व अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत थाना जैदपुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 148/87 के अन्तर्गत धारा 8/18/21 एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट व मुकदमा अपराध संख्या 149/87 के अन्तर्गत

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धारा 147, 148, 149, 307, 353 भा0 दं0 विधान व 8/18/21, एन0 डी0 पी0 एस0 ऐक्ट 3/1 समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व 25/27 आर्म्स ऐक्ट में शासन द्वारा सी0 आई0 डी0 चेक अप के आदेश काफी समय पहले हुये थे। जनपद की पुलिस तथा खास तौर से जैदपुर की पुलिस गवाहों को मारने व गलत मुकदमों में फंसाने की धमकी दे रही है। ताकि वह सी0 आई0 डी0 के सामने सही बयान न दे सकें। सी0 आई0 डी0 द्वारा चेक अप अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि वह सी0 आई0 डी0 को शीघ्रातिशीघ्र चेक अप पूरा करने का निर्देश दें तथा उसकी रिपोर्ट मंगाकर न्यायोचित कार्यवाही करें।]

जनपद वाराणसी की तहसील चन्दौली में मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजित प्रसाद यादव—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार की न्याय के विकेन्द्रीकरण की नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के अधिकांश तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालतों की स्थापना की जा चुकी है। इसी प्रसंग में जनपद वाराणसी की तहसील चन्दौली को छोड़कर अन्य सभी तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय कार्य कर रहे हैं, किन्तु तहसील चन्दौली की जनता को लगभग 90 कि0 मी0 की दूरी तय करके न्याय प्राप्त करने के लिये वाराणसी जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है। इस प्रकार जनता को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। यही नहीं समय की भी काफी बरबादी होती है। इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर अनेक बार सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने से स्थानीय जनता में सरकार के प्रति निराशा एवं क्षोभ व्याप्त है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि तहसील चन्दौली के मुख्यालय पर मुंसिफ एवं मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत की तत्काल स्थापना की जाय तथा इस महत्वपूर्ण कार्य को न होने देने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।]

बांदा जनपद के नरैनी व विकास खंड के पौष्टिक आहार योजना से सम्बन्धित खरीद में व्याप्त भ्रष्टाचार व घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[मान्यवर, बांदा जनपद के नरैनी विकास खन्ड में वर्ष 1987–88 में पौष्टिक आहार योजना से सम्बन्धित खरीद में भीषण भ्रष्टाचार अपनाया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि जो कुछ भी खाद्यान्न खरीदा गया है वह अधिकांश निम्न श्रेणी का है जिसके खाने से भयंकर बीमारी फैलने की आशंका है। खाद्यान्न बाजार भाव से अधिक रेट पर है। किसी भी समाचार पत्र में कोटेशन का विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराया गया साथ ही साथ यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिकांश खाद्यान्न खरीदा ही नहीं गया और फर्जी वाउचर के आधार पर धनराशि भुगतान दिखाकर एक पालतू फर्म से कमीशन के साथ रुपया ले लिया गया है, जिससे क्षेत्र की जनता में असंतोष एवं रोष व्याप्त है। अतः मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रकरण में जांच प्रभावित न होने के लिये स्थानान्तरित विकास खन्ड अधिकारी को कार्य अवमुक्त करते हुये अविलम्ब विजिलेंस अथवा मन्डल स्तर के किस अधिकारी से मेरी उपस्थिति में जांच करायी जाय, क्योंकि जनपद स्तर के अधि-

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कारियों के. इस में सांठ-गांठ है। खाद्यान्न कहां वितरित किया गया है नाम व नम्बर सूची उपलब्ध करते हुये इसकी भी जांच करायी जाये।]

आगरा महानगर की सड़क सुधार योजना में हो रहे घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश विकल—

[महोदय, प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986–87 व 1987–88 के लिये आगरा नगर महापालिका को महानगर की जर्जर व टूटी सड़कों के निर्माण व सुधार के लिये जो अनुदान राशि दी है वह तथा उसमें 25 प्रतिशत धनराशि महापालिका द्वारा मिलाकर इस तरह लगभग 4 करोड़ रुपये की लागत से अनेक सड़कें सुधार व निर्माण के लिये वहां प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित सड़कों में से आधी से भी ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जो अभी तक नहीं बनी हैं, जिन पर चल पाना भी दूभर है और नागरिकों को हर रोज भारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं परन्तु उनका टेंडर होना तो दूर, अभी इस्टीमेट तक स्वीकृत नहीं हुये हैं। दूसरी ओर ठेकेदारों के भुगतान रोक दिये जाने के कारण उन्होंने काम करने से इन्कार कर दिया है। ठेकेदारों का आरोप है कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व उनसे पैसा मांगते हैं और उनके न देने पर झूठी शिकायतें करके भुगतान रुकवा देते हैं।

कारण जो भी हो परन्तु अब जबकि 88–89 भी शुरू हो चुका है और दो महीने बाद वर्षा काल शुरू हो जायेगा, यह अत्यन्त आवश्यक है कि युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण व सुधार कार्य का कार्य पूरा कराया जाये।

अतएव अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इस मामले में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही करे।]

प्लाईवुड फैक्ट्री, जनपद सीतापुर के श्रमिकों को महंगाई भत्ते का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[महोदय, प्लाईवुड फैक्ट्री, सीतापुर में नियोजित समस्त कर्मचारियों को दिनांक 1 फरवरी, 1988 से 31 जुलाई, 1988 के लिये लागू परिवर्तनीय महंगाई भत्तों की जिस किस्त का भुगतान फरवरी 88 तक हो जाना चाहिये था अभी तक नहीं किया गया। मंहगाई सूचांक 695 से 744 अंक हो गया है। इसके परिणाम स्वरूप 49 रु0 प्रति कर्मचारी अनुकम्प्य है। उसका भुगतान न करना न्यूनतम वेतन सम्बन्धी अधिसूचना संख्या 1699/36–3–23 एल0डब्लू0–83, दिनांक 6 अगस्त, 1984 की धारा 8 का खुला उल्लंघन है।

मिल मालिकों के इस अन्याय के खिलाफ कर्मचारी शासन के पास गये परन्तु वहां भी कुछ नहीं सुना गया। परिणामस्वरूप कर्मचारियों में भीषण असंतोष है। वह आन्दोलन कर रहे हैं। उत्पादन भी प्रभावित है।

अतः लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर महंगाई भत्ता तुरन्त दिलाने की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड के कतिपय मार्गों एवं पुलियों के निर्माण में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लापरवाही एवं धांधली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

[महोदय, देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बराबर उपेक्षित किया जा रहा है। उस क्षेत्र के एक मात्र लेपित मार्ग को 3 वर्षों पूर्व पथरदेवा कस्बे में खोदकर फिर से खडंजा किया गया किन्तु आज तक लेपन न किये जाने से कस्बा गंदगी, जल जमाव तथा वाहन दुर्घटनाओं का गम्भीर रूप से शिकार है। कस्बे में सड़क के किनारे नालियों का निर्माण उक्त विभाग द्वारा कराये जाने से जल जमाव और मच्छरों की भरमार है।

अत्यन्त पुराने कंकड़ मार्ग मुरार छापर बिमुनपुरा मार्ग तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के दुबरिया पूल बंजरिया तथा बरकुलवा बंजरिया मार्ग के लेपन न कराये जाने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन की भारी कठिनाई है जिससे उनमें रोष व क्षोभ है। इसी प्रकार खाद्यान्न योजना में 10 वर्षों पूर्व बनाया पथरदेवा-रामपुर अवस्थी खडंजा मार्ग को अब तक पक्का न कराने तथा पुलियों के निर्माण न होने से जनता को भारी असुविधा है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से पथरदेवा कस्बे के भीतर खुदी सड़क का अविलम्ब लेपन कराने तथा नालियों के निर्माण के साथ मुरारछापर बिमुनपुरा मार्ग, देवरिया पूल बंजरिया तथा बरकुलवा बंजरिया को पक्का कर लेपन कराये जाने हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बलिया जिलान्तर्गत थाना गड़वार के सामने स्थित रविदास मन्दिर की भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गौरी शंकर भइया—

[मान्यवर, जनपद बलिया के गड़वार थाना के ठीक सामने रविदास मन्दिर की जमीन थाना-अध्यक्ष श्री आर0डी0 राय द्वारा असामाजिक तत्वों से धन प्राप्त कर दिनांक 26 मार्च, 1988 को अवैध रूप से कब्जा करा दी गयी है जिसकी सूचना समय के भीतर पुलिस को दे दी गयी, साथ ही इस जमीन के पास स्थित जीउत हरिजन, ग्राम गड़वार की गुमटी उठाकर फेंक दी गयी तथा उसमें एक जूता सिलाई मशीन एवं दस जोड़ी जूते चुरा लिये गये। उपरोक्त की रिपोर्ट थाना गड़वार में 26 मार्च 1988 को की गयी, परन्तु इस सम्बन्ध में न तो रिपोर्ट लिखी गयी और न ही कोई कार्यवाही की गयी। थानाध्यक्ष गड़वार, बलिया द्वारा रविदास मन्दिर की जमीन अवैध कब्जा कराने एवं जीउत हरिजन की गुमटी लुटवा देने तथा रिपोर्ट न दर्ज करने से जनपद बलिया के हरिजनों एवं कमजोर वर्गों में पुलिस के प्रति रोष एवं सरकार के प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न हो गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं महत्व पूर्ण विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए किसी उच्च अधिकारी से उपरोक्त मामले एवं उसमें थानाध्यक्ष गड़वार की संदिग्ध भूमिका की जांच की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद आजमगढ़ के मधुबन बाजार की जल निकासी हेतु पक्की नालियों के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विष्णुदेव—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद आजमगढ़ के मधुबन बाजार (शहीद नगर) में गन्दे पानी के निकास हेतु पक्की नाली के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जनपद आजमगढ़ के मधुबन थाने पर 1942 की महान जनक्रांति में तिरंगा झण्डा लगाने पर 15 व्यक्ति तुरन्त शहीद हुये, सैकड़ों गोली से घायल हुये, सैकड़ों के घर जलाये गये, सैकड़ों को लम्बी सजायें हुईं। प्रत्येक 15 अगस्त को शहीदों की यादगार में विशाल मेला लगता है। मधुबन बाजार (ग्राम सभा) की जनसंख्या 10 हजार से अधिक है। टाउन एरिया होने आश्वासन समिति के विचाराधीन है। मधुबन बाजार (शहीदनगर) में गन्दे पानी के निकास हेतु पक्की नाली के निर्माण का प्रश्न बार-बार उठाये जाने पर पक्की नाली के निर्माण का आश्वासन दिया गया था, जिसका निर्माण अब तक होना शेष है। बरसात निकट होने के कारण स्थानीय जनता में बहुत असन्तोष पैदा हो रहा है। बरसात में गन्दे पानी का जमाव होने, कीचड़, बदबू से बीमारी फैलने से विषम स्थिति पैदा हो जायगी। अतएव इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर जनपद आजमगढ़ में मधुबन बाजार (शहीदनगर) में गन्दे पानी के निकास हेतु यथाशीघ्र पक्की नाली के निर्माण की मांग करता हूं।]

जनपद मुरादाबाद के हिन्दुपुरा क्षेत्र के लेखपाल द्वारा मनमानी व धांधली करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

[महोदय, श्री इज्जत उल्ला खां, लेखपाल, क्षेत्र हिन्दूपुरा, तहसील सम्भल, जनपद मुरादाबाद में वर्ष 1986-87 में कार्यरत थे। इन्होंने अपने कार्यकाल की अवधि में हिन्दूपुरा दीपा सराय सम्भल, मुरादाबाद चुंगी अन्दर खाता संख्या 215 में 1393 फसली के में खसरे में आबादी काटकर बसिम दर्शाकर तथा खसरे का संपूर्ण योग भी काटकर अमल दरामद करा दिया जिससे सरकार को लाखों रुपये राजस्व (रजिस्ट्री स्टाम्प) की हानि हुई है। इस सम्बन्ध में इनके विरुद्ध उच्चाधिकारियों से अनेकों शिकायतें हुई हैं तथा इनका गलत काम करने का रवैया अभी तक बना हुआ है जो कि अत्यधिक अशोभनीय है तथा चिन्ता का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस मामले की तुरन्त जांच कराकर लेखपाल के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय तथा उपरोक्त दाखिल खारिज में जितना स्टाम्प बचाया गया है उसको वसूला जाय।]

बरेली आवास विकास परिषद् योजनान्तर्गत एक कम्युनिटी सेन्टर बनाने तथा भू-खण्ड की बकाया देनदारी माफ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम बिहारी सिंह—

[महोदय, बरेली में आवास विकास परिषद् की योजना नम्बर 2 में वर्ष 1985 में कम्युनिटी सेन्टर बनाने के लिये एक भू-खण्ड बांके बिहारी आवास कल्याण समिति को कम्युनिटी सेन्टर बनाने हेतु आवंटित किया गया था जिस पर समिति ने एक बारात घर व अस्पताल का निर्माण किया है जिसमें निम्न आय वर्ग के लोगों की बारातें ठहरती हैं व गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इज्जतनगर बरेली में आवास विकास की इस कालोनी में हजारों लोग रहते हैं। यहां कम्युनिटी सेन्टर बनाने का दायित्व परिषद् का था। समिति के पास बारात घर व अस्पताल बनाने के बाद धन का अभाव हो गया है। परिषद् पहले ही नागरिकों से विकास शुल्क के रूप में कम्युनिटी सेन्टर का पैसा पहले ही ले चुकी है। अतः मैं मांग करता हूं कि समिति द्वारा समाज के निर्बल वर्ग की सेवाओं को देखते हुये उक्त भू-खण्ड की बकाया देनदारी माफ करने का परिषद् को आदेश दें।]

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मनमानी व नागरिक उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

[महोदय, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के प्रदाता, मनमानी, अविवेकपूर्ण कार्यवाहियों से इलाहाबाद नगर के लगभग डेढ़ लाख नागरिक, बच्चे, महिलायें सांसत और यातनापूर्ण जिन्दगी जी रहे हैं। अल्लापुर, ओमगायत्रीनगर, कमला नगर, गणेशनगर, मेंहदौरी, मुलई का पूरा, शिवकुटी, लाला की सराय, मलाकराज, बेली, सादियाबाद, मानस नगर, सलोरी, कोटगंज, नसीबपुर, बख्तियारी, ऊंचागढ़ी, राजापुर, राजरूपपुर, जोंधवल, छोटा बघाड़ा, म्योराबाद, पुरुषोत्तमनगर, आदि क्षेत्रों में दसियों हजार मकान मध्यम और कमजोर वर्ग के लोगों ने बनवाया है। शासन में 1986 में इनके विनियमितीकरण करने का निर्देश है। कई वर्षों से नक्शा जमा है किन्तु कोई निर्णय न होने से लम्बित पड़े हैं। मनमाने ढंग से विकास शुल्क और समझौता शुल्क की मांग की जाती है। शासन द्वारा नजूल और राजकीय आस्थान की भूमियों का कोई निर्णय वर्षों से नहीं किया जा रहा है। राजकीय आस्थान की अधिकारियों द्वारा अनधिकृत कब्जे की भूमि का राजस्व परिषद् द्वारा जारी जुलाई, 1975 के शासनादेश की दर से पट्टे दे दिये गये जबकि आम नागरिकों का शोषण किया जा रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करने, राजकीय स्थान की भूमि का शीघ्र समान रूप से निबटारा कराने व सस्ते दर पर विकास तथा समझौता शुल्क लेने की मांग करता हूं।]

बरेली महानगर की सरकारी व नगर पालिका की भूमि पर अवैध कब्जा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री औसान सिंह—

[महोदय, आजकल बरेली महानगर में सरकारी व नगर पालिका भूमि पर अवैध निर्माण कार्यों की बाढ़ सी आ गयी है। सुनियोजित तरीके से यह काम प्रशासन, महापालिका व विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों व अधिकारियों के विशेष सहयोग व मिलीभगत से हो रहा है।

जगतपुर लाला बेगम ग्राम सभा के पांच खेत नम्बर 18, 19, 20 103 व 107, जो महापालिका में हैं, पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण हुआ है। जगतपुर में ही अस्पताल के पास की जमीन पर एक डाक्टर ने दो मन्जिला मकान बना लिया है। सिटी स्टेशन सब्जी मण्डी में महापालिका कर्मचारी 50" इंच × 10" इंच की पटरी पर धर्मप्रकाश नाम का महापालिका कर्मचारी अवैध कब्जा व निर्माण करा रहा है। मो0 चाहबाई की भूमि पर पंडित ओम प्रकाश डेरी चला रहे हैं।

गांधी चौराहे के पास भूमि पर अतिक्रमण कर वाणिज्य प्रतिष्ठान का निर्माण हो रहा है। इन अतिक्रमण व अवैध निर्माण से नागरिकों में बहुत रोष है। अतः सरकार को बरेली महानगर में महापालिका भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे का निर्माण समाप्त कराने हेतु सरकार को निर्देशित करें।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किदवई नगर, कानपुर में श्रीमती साधना देवी को जलाकर हत्या करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशन लाल दिलेर—

[महोदय, श्रीमती साधना देवी पत्नी गोपीचन्द शर्मा, 127, किदवई नगर, कानपुर की दिनांक 7 मार्च, 1987 को उसके ससुराल वालों ने जलाकर हत्या कर दी थी। थाना किदवई नगर में फाइल संख्या 247/87 के माध्यम से मुकदमा दर्ज हुआ था। लड़की के माता पिता के बराबर दौड़ धूप करने पर भी अभी तक अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई है जिससे सभी घरवालों में भारी निराशा व्याप्त है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। वे मामला दबाने की कोशिश कर रही हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि दहेज हत्या के अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जावे।]

जनपद आगरा के किरावली तहसील में पशुओं के चारे की समस्याओं तथा उनकी मृत्यु से उत्पन्न भयंकर स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह—

[मान्यवर, जनपद आगरा की तहसील किरावली के ग्राम मांगरौल गजर और अकबरा यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बसे हुए गांव हैं। सूखे के समय में वहां की ऊंची नीची भूमि में चारा उत्पादन नहीं हो सका। माह मार्च और अप्रैल में चारे का इतना अभाव हो गया कि लाहा के ठूंठ कूट-कूट कर लोगों ने पशुओं को चारे के रूप में खिलाये सूखे पशु यमुना नदी में उत्पन्न जलकुम्भी को खाकर और प्रदूषित पानी पी-पी कर मर गये। मरने वाले पशुओं में गाय, भैंस और बैल हैं। दूध देने वाले पशुओं के बच्चे तो जीवित ही नहीं रह सके। सब के सब मर गये। इन दोनों गावों में सूखा काल में शासन से दी हुई सुविधा भी जो चारा जुटाने के लिये जिला प्रशासन को दी गयी थी जिला प्रशासन द्वारा किसानों को नहीं पहुंचायी गयी। प्रशासन ने चारे के लिये दी हुई धनराशि का दुरुपयोग किया है। यदि वहां पर इस धनराशि से चारा दे दिया जाता तो बेकाल से मरने वाले इन दो हजार पशुओं को बचाया जा सकता था। जिला प्रशासन आगरा इन चारा अभाव ग्रामों में अब भी कोई सहायता नहीं दे रहा है और पशुओं को मरना अब भी जारी है। किसानों में हाय-हाय और त्राहि-त्राहि मची हुई है और किसान दूध देने वाले तथा कृषि में काम आने वाले पशुओं से वंचित होने की स्थिति में पहुंच गया है।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाकर उक्त गावों के लिये चारे की तुरन्त व्यवस्था करने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहकारी चीनी मिल, ननौता, सहारनपुर में व्याप्त भ्रष्टाचार व किसानों के शोषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम शरण दास—

[महोदय, जनपद सहारनपुर की ननौता सहकारी चीनी मिल, ननौता के प्रबन्धकों तथा गन्ना सोसाइटी अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा गन्ना किसानों को बेदर्दी से लूटा जा रहा है और सहकारी चीनी मिल को भी एक गहरे षड़यंत्र के तहत भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोसाइटी के कामदार व अन्य गन्ना अधिकारी सी0 ओ0 जे0–64 गन्ने के नाम पर दूसरे किस्म के गन्ने जैसे 1148 आदि की मिल को सप्लाई करा रहे हैं। कुछ किसानों से घूस लेकर यह कार्य किया जा रहा है। मिल के क्रय केन्द्र जगरौली, जहौदी पांडा आदि सभी बाहरी क्रय केन्द्रों पर यह हाल चल रहा है। अधिकारी व कर्मचारी लाखों रुपये कमा रहे हैं और किसानों और मिल को चूना लगा रहे हैं। गन्ना क्रय केन्द्रों पर किसान की एक बोगी पर 3–3 क्विंटल गन्ना ज्यादा तौला जा रहा है।

मिल के जनरल मैनेजर तथा अन्य अधिकारियों ने सभी क्रय केन्द्र का ठेका एक ही ट्रान्सपोर्टर को मोटी रकम लेकर दे रखा है जिससे किसानों को उचित सप्लाई नहीं हो सकी है। किसान बर्बाद हो गया है।

अतः मैं सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के प्रश्न को लाकर शासन से मांग करता कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दंडित किया जाय।]

गन्ना सहकारी समिति, बस्ती में व्याप्त भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुखपाल पाण्डे—

[महोदय, आज सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर दिलाना चाहता हूं।

गन्ना सहकारी समिति लिमिटेड, बस्ती के अधिकारियों एव कुछ कर्मचारियों ने मिलकर 141 फर्जी गन्ने की पर्ची छपवाकर उक्त समिति के माध्यम से चीनी मिल बस्ती को गन्ना सप्लाई किया। गत वर्ष बिना गन्ना सप्लाई किए ही लगभग 72,000 रु0 की फर्जी पर्ची बनाकर समिति के कर्मचारियों, अधिकारियों की सांठ-गांठ से भुगतान हो गया, परन्तु दंडित नहीं किया गया। तीन लाख रुपये का खाद का गबन इस समिति में है, जिसे छिपाया जा रहा है। उक्त समिति में लाखों रुपये का गबन एवं अनियमितताएं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सांठ-गांठ से हैं। उपरोक्त सूचना अधिकारियों के होने के बावजूद भी तीनों मामलों में कोई मुकदमा समय से नहीं दर्ज कराया गया। अधिकारी अपने पाप को छिपाने के लिये निर्दोष व्यक्तियों को निलम्बित कर रहे हैं और दोषी व्यक्तियों को संरक्षण दे रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के प्रति कठोर कार्यवाही की जाय। निर्दोष लोगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की जांच कर वापस कराने की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

राजकीय इन्टर कालेज, सूरतगंज, बाराबंकी में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र भाटी—

[महोदय, राजकीय इन्टर कालेज, सूरतगंज, जनपद बाराबंकी के अध्यापक वहां के छात्रों से इस समय 50-50 रु0 लेकर प्रवेश-पत्र दे रहे हैं। जो छात्र यह धनराशि नहीं दे पा रहे हैं उनको प्रवेश-पत्र नहीं दिया जा रहा है जिसके फलस्वरुप वे इस कालेज में प्रवेश नहीं पा पायेंगे।

सूरतगंज के कुछ असामाजिक तत्वों से मिलकर अध्यापकगण यह भ्रष्टाचार कर रहे हैं तथा इसकी वजह से क्षेत्र में बहुत अशान्ति व्याप्त है। दिनांक 30-4-88 को इस बात को लेकर श्री कृष्ण कुमार निगम तथा एक अध्यापक श्री चौहान में कहा-सुनी भी हो गयी थी। अध्यापक ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि इतना पैसा लिये बगैर प्रवेश-पत्र नहीं दिया जायगा। यह भ्रष्टाचार विगत कई वर्षों से हो रहा है तथा जनता की शिकायतों के बावजूद इस पर कोई रोक नहीं लग पाई है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जांच की मांग करता हूं।]

राजकीय कालोनी मोती झील में गन्दगी एवं उसकी सफाई व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

[महोदय, मैं आपके संज्ञान में राजकीय कालोनी मोती झील, ऐशबाग, लखनऊ में की जा रही गंभीर अनियमितताओं को लाना चाहता हूं। प्रश्नगत कालोनी में मेन्टीनेन्स के नाम पर शासन द्वारा आबंटित समस्त धनराशि को अवर अभियन्ता द्वारा हड़प लिया गया है। अध्यासियों के कमरों की वार्षिक पुताई तक नहीं करायी गयी है। इसके अतिरिक्त कालोनी में स्थान-स्थान पर (लगभग प्रत्येक ब्लाक के सामने) लगे कूड़े के ढेर स्वयं इसकी कहानी कह रहे हैं। मेन्टनेन्स कर्मचारी गण स्वयं अवर अभियन्ता की मनमानी की पुष्टि कर रहे हैं, कर्मचारियों के मस्टर रोल बनाने में गंभीर अनियमितायें की जा रही हैं। मस्टर रोल के कर्मचारियों की संख्या एवं कार्यरत कर्मचारियों के नाम एवं संख्या से पुष्टि की जा सकती है। कई कर्मचारी अवर अभियन्ता के निजी कार्यों में लगे रहते हैं और भुगतान राजकोष से प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त अवर अभियन्ता की मनमानी एवं झगड़ालू प्रवृत्ति से अध्यासियों में आक्रोश व्याप्त है, जिससे किसी प्रकार की भी घटना की संभावना है।

अतः मेरी मांग है कि उक्त राजकीय कालोनी की मेन्टीनेन्स एवं सफाई व्यवस्था जनहित में सुधारने की कृपा की जाय। संबंधित अवर अभियन्ता की गंभीर अनियमितताओं की जांच करके इन्हें दंडित करने का कष्ट करें।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तहसील बांसी, बस्ती में साधन सहकारी समिति भवन पर बिजली गिरने से श्री अस्तर अली की मृत्यु तथा फसलों की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[दिनांक 29 अप्रैल को बांसी तहसील, ग्राम–कोटिया गड़ौरी के साधन सहकारी समिति भवन पर वर्षा एवं ओलावृष्टि के साथ बिजली गिरने से कोटिया गड़ौरी निवासी 12 वर्षीय युवक श्री अस्तर अली तथा ग्राम डिड़ई, तहसील डुमरियागंज, निवासी 22 वर्षीय श्री राम निवास हरिजन की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई है। इसी ग्राम के निवासी श्री देव प्रभाकर बुरी तरह से घायल हो गये हैं परन्तु खेद है कि सरकार द्वारा मृतकों के घर वालों तथा घायल व्यक्ति को आज तक कोई सहायता नहीं पहुंची है। श्री राम निवास हरिजन को उनके परिवार वालों ने लकड़ी न जुटा पाने की स्थिति में उन्हें जमीन में गाड़ दिया है।

बस्ती जिले में पिछले 10 दिनों से यह क्रम जारी है। वर्षा के साथ बड़े आकार में ओले पड़े हैं। खलिहानों में रबी फसल भीगकर अंकुरित हो गयी तथा सड़ रही है। आम, खरबूजा तथा साग सब्जी की फसल नष्ट हो गयी है। फूल तथा खपड़ों के मकान क्षति ग्रस्त हो गये हैं। बस्ती जिले में इसके एक माह पूर्व की ओला वृष्टि से हुयी क्षति को देखते हुए सरकार ने विधान सभा में आश्वासन दिया था कि सभी सरकारी देयों की वसूली स्थगित कर दी जायेगी। परन्तु खेद है कि बस्ती जिले में उत्पीड़न की कार्यवाही सहित वसूली जारी है।

इन सब दैवी आपदाओं तथा सरकारी पक्ष के उत्पीड़न एवं उपेक्षा के कारण सम्पूर्ण बस्ती जिले में जनता में भारी असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि 1—मृतकों के परिवारों को एक-एक लाख रु0 की क्षतिपूर्ति दी जाए। 2—घायल व्यक्ति को चिकित्सा आदि के लिये 10 हजार रुपये तथा पशुओं के लिये 5–5 हजार रुपये दिये जायें। 3—सरकारी देयों की वसूली तत्काल रोक दी जाय तथा क्षतिग्रस्त फसल एवं इससे संबंधित अन्य देयों को माफ किया जाय। 4—राहत कार्य चलाए जायं तथा असहायों को मुफ्त राशन दिया जाये।]

श्री वली उल्ला सेवा, निवृत्त प्रवरवर्ग सहायक, उ0 प्र0 सचिवालय की पेंशन के भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महमूदुल हसन अन्सारी—

[मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान निम्नलिखित लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए, शासन से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।

श्री वली उल्ला, उ0 प्र0 सचिवालय, लखनऊ के प्रवर वर्ग सहायक के पद से दिनांक 12 मई, 1982 को सेवा निवृत्त हुए उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी के भुगतान में 6 वर्षों से भी अधिक का विलम्ब हुआ है। शासनादेश संख्या सा–3–1776/दस–79/00, दिनांक 30 नवम्बर, 1984 के अनुसार जिन मामलों में ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब होगा उन्हें 7 से 10 प्रतिशत का ब्याज देना होगा। श्री वली उल्ला ने शासन से बारम्बार ब्याज के भुगतान हेतु अनुरोध किया परन्तु उनको ब्याज का भी भुगतान नहीं किया गया।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि श्री बली उल्ला को देय ब्याज/ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान अविलम्ब कराने की कृपा करें।]

ग्राम प्रतापपुर, थाना नरवल, जिला कानपुर में हुए भीषण अग्निकांड में तबाही एवं उसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सोहरी लाल त्रिवेदी—

[मान्यवर दिनांक, 13-4-1988 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र जनपद कानपुर नगर, थाना नरवल के प्रतापपुर गांव में दोपहर को अचानक आग लगाने से 72 परिवारों के मकान जल कर आग में समा गये। इसी प्रकार दिनांक 16 अप्रैल, 1988 को सुवसी खेड़ा, थाना महाराजपुर में दोपहर को अचानक आग लग जाने से 21 परिवारों के मकान जल कर अग्नि की भेंट चढ़ गये। प्रतापपुर गांव में एक व्यक्ति घर से न निकल पाने के कारण मकान के अन्दर जल कर मर गया और मकान में बंधे हुए कई जानवर जल कर मर गये हैं। उक्त दोनों गांव में आग बुझाने के लिये फायर ब्रिगेड की मोटरें गयीं सूखे के कारण तालाबों में पानी नहीं था एवं कुओं में भी पानी कम, मिला जिससे बहुत देर में आग पर काबू पाया गया और ज्यादा देर तक आग जलने के कारण मकानों की दीवालों तथा मकान के अन्दर गल्ला, कपड़ा, बर्तन जो भी सामान था सभी जल कर राख हो गया और दोनों गांवों में लोग पेड़ों के नीचे अपने परिवार एवं बच्चों को लेकर पड़े हैं एवं उनके पास न तो खाने के गल्ला एवं न ही कपड़ा है यहां तक कि गांव के कुओं का पानी भी सूख गया है जिससे पानी पीने का भी भारी संकट हो गया है। दोनों गांवों की जनता की आग में जलकर लगभग 5 लाख रु0 की सम्पत्ति स्वाहा हो गयी है। जिला प्रशासन की ओर से जो सहायता दी गयी है वह बहुत कम मात्रा में है जिससे देखते हुए गांव में लोगों तथा क्षेत्र की, ग्रामीण जनता में भय तथा असंतोष व्याप्त हो रहा है। इस लोक महत्व के प्रश्न को अपने माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से मांग करता हूं कि जिन लोगों की सम्पत्ति आग में जलकर स्वाहा हो गयी है तथा लोगों को यहां पीने का पानी नहीं है उनकी सहायता के लिये प्रदेश सरकार की ओर से गल्ला, कपड़ा, बर्तन, मकान, जन, धन की जो हानि हुई है उसे पूर्ण कराया जाए एवं हैण्ड पाइप लगाकर पीने के पानी की तुरन्त व्यवस्था की जाए।]

सूरतगंज विकास खंड, जिला बाराबंकी में सूखा राहत कार्यों में घोटाले के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फरीद महफूज किदवई—

[महोदय, विकास खंड सूरतगंज, जनपद बाराबंकी में सूरतगंज रोड से मौसंडी मार्ग, जिसकी दूरी साढ़े तीन किलोमीटर है, सूखा राहत कार्य में अनियमित ढंग से बनाई गई है। गन्ना विभाग ने उक्त निर्माण कार्य करवाया है। यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। ग्राम मौसंडी, सूरतगंज रामनगर रोड से लगभग डेढ़ किलोमीटर है। मुझसे परामर्श करके अपर जिलाधिकारी परियोजना ने लगभग डेढ़ किलोमीटर सीधा मार्ग तय किया था बाद में मुझसे छिपाकर गन्ना विभाग ने टेढ़े रास्ते से, जिसमें छोटे-छोटे किसानों व हरिजनों की भूमि आती थी साढ़े तीन किलोमीटर लम्बा मार्ग डेढ़ किलोमीटर के बजाय बनाया और गांव के बड़े सामन्तों से सांठ-गांठ कर ली। इस प्रकार सरकारी धन का अपव्यय तथा छोटे-छोटे किसानों का अहित जानबूझकर किया गया है।

अस्तु मैं इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जांच की मांग करता हूं]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मुरादाबाद के ब्लाक गजरौला तथा धनौरा के कतिपय ग्रामों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होनेके संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कौशिक रमाशंकर—

[महोदय, मुरादाबाद जिले के विकास खंड क्षेत्र गजरौला एवं धनौरा के ग्रामों में जल-स्तर, सामान्य स्तर को छोड़कर, बीस फिट नीचे चला गया है। जल-स्तर के गिराव के कारण पेय-जल-कुएं तथा हैन्ड पम्प बेकार हो गये। सिंचाई के निजी जलकूपों के पानी देना बन्द कर दिया है। इन नलकूपों को चालू रखने के लिये वाटर-पम्पों को, मु-ताह से 15-20 फिट गहराई में रखना पड़ रहा है और इस 15-20 फिट गहराई में पम्पों को ले जाने के बाद भी सिंचाई-व्यवस्था कितने दिन कायम रह पायेगी, यह सुनिश्चित नहीं है जब तक कि कोई कारगर व्यवस्था जल-स्तर को ऊपर लानेके लिये नहीं की जाती।

सन्दर्भित संकट-ग्रस्त क्षेत्र की सीमा पर गुजरते हुए एक नहर परियोजना प्रस्तावित एवं स्वीकृत हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि इस परियोजना के अन्तर्गत संकटग्रस्त क्षेत्र को सिंचाई नहीं होगी किन्तु इस नहर के गुजरने मात्र से जल-स्तर ऊपर आ पायेगा। इस पूर्वी-समानान्तर गंगा-नहर के निर्माण कार्य को तुरन्त प्रारम्भ कर देने की मांग करता हूं।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं शासन से उस क्षेत्र में (गजरौला तथा धनौरा ब्लाक) की सिंचाई के लिये, विश्व-बैंक पोषित नलकूपों के दो बलस्टर तुरन्त लगाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद देवरिया के कप्तया कस्बे में पटरी दुकानदारों आदि को उजाड़ने तथा पुलिस द्वारा उन्हें उत्पीड़ित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गजराज राम—

[महोदय, देवरिया जनपद में कप्तया कस्बे में जून, 1987 में पचासों वर्ष से सड़क के किनारे बसे मकानों तथा पटरियों के किनारे से दुकानदारों को पुलिस के बल पर बलात् उजाड़ दिया गया और उनकी दुकान और गुमटियों को तोड़-फोड़ डाला गया। इस सफाई अभियान से लगभग 350 से अधिक परिवार भुखमरी के शिकार हैं और उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। श्री लाल चन्द्र गुप्ता आदि को तो बीसों वर्ष पूर्व ग्राम सभा द्वारा संबंधित भूमि से उजाड़ दिया गया। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा इन विस्थापितों को बसाये जाने हेतु जिलाधिकारी देवरिया को निर्देशित किये जाने के बाद भी अब तक न तो बसाया गया और न किसी उपयुक्त स्थान पर पुर्नवासित करने की योजना ही बनायी गयी। उजाड़े गये दुकानदारों और गुमटी वालों को पुर्नवासित या उपयुक्त स्थान न देने के कारण उनमें रोष व क्षोभ है और वे कंगाली के शिकार हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर जून 1987 में उजाड़े गये दुकानदारों और गुमटी वालों को अविलम्ब उपयुक्त स्थान पर उन्हें बसाये जाने हेतु सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूर्व स्टेट चकर नगर जिला इटावा के मू0 पू0 राजा तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री केहरी सिंह जुदेव को राजनैतिक पेन्शन एवं अन्य सुविधायें दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा—

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र लखना, जनपद इटावा की स्टेट चकर नगर के मू0 पू0 राजा निरंजन सिंह जूदेव 1857 के गदर में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इसके बाद उनके परिवार के पुत्र राजा केहरी सिंह वीर जूदेव ने भी अंग्रेजों से मुकाबला किया, लेकिन उन्हें किसी प्रकार न तो मुआविजा दिया गया और न पेंशन। उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराके मू0 पू0 राजा केहरी सिंह जूदेव को आर्थिक संकट से बचा कर उन्हें पेंशन दी जाय।]

बस्ती जिलान्तर्गत तहसील नौगढ के कतिपय ग्रामों में भयंकर ओला वृष्टि से फसलों की बर्बादी एवं उसकी क्षति पूर्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनराज यादव—

[महोदय, बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील के तप्पा घोष, माटिनपार एवं नेतवर के लगभग 150 गावों में भयंकर रुप से ओला वृष्टि पर दिनांक 29 मार्च, 1988 को हुई सदन में चर्चा का उत्तर देते समय माननीय राजस्व राज्य मंत्री, ने सहायता के लिये विभिन्न जिलों को दी गयी सहायता की घोषणा के तहत बस्ती जिले के ओला पीड़ित क्षेत्र में सहायतार्थ 33 लाख रु0 से अधिक सहायता की घोषणा की थी। किन्तु पूरे एक माह बीत जाने पर भी अभी तक सदन में की गयी घोषणा की राशि बस्ती जिले को नहीं भेजा गयी।

महोदय, शासन द्वारा आदरणीय सदन में की गयी घोषणा का परिपालन न करने से (ओला पीड़ित क्षेत्र में सहायता न पहुंचने से) उक्त क्षेत्र के किसान मजदूर भूख से मरने की स्थिति में पहुंच गये हैं तथा शलागों के अन्दर एक निराशा और भय व्याप्त है क्योंकि सहायता के अभाव में उनका भविष्य अन्धकार मय दिखायी दे रहा है।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व के इस सुनिश्चित प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि सदन में घोषित सहायता की धनराशि अति शीघ्र बस्ती जिले में भेजकर ओला पीड़ित क्षेत्र की जनता को सहायता वितरित की जाय।]

गोवा मुक्ति संग्राम सेनानियों को पेन्शन आदि सुविधायें दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राकेश धर त्रिपाठी—

[महोदय, गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले लोगों को देश के महाराष्ट्र समेत को कई राज्यों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानकर उन लोगों के लिए भी पेन्शन और अन्य सुविधाओं का प्राविधान किया है। इस बारे में 9 मई, 1988 को जबलपुर में एक अखिल भारतीय स्तर की बैठक का आयोजन किया गया है और 18 जून को पूना में एक अखिल भार-

नोट—[ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने हमेशा ऐसे मामलों में देश को अगुवाई और मार्ग दर्शन किया है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर उत्तर प्रदेश में गोवा मुक्ति संग्राम में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली सुविधायें प्रदान करने की मांग करता हूं।]

जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद में आलू के रखरखाव विषयक उत्पादकों की समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अशोक बाजपेयी—

[महोदय, हरदोई जनपद तहसील शाहाबाद के आलू उत्पादकों के सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस तहसील में लगभग 8 लाख बोरी का उत्पादन इस वर्ष हुआ है। परन्तु आलू के रखरखाव के लिये तहसील में उपलब्ध 3 कोल्ड स्टोरेजों की क्षमता कुल 1 लाख बोरी तक ही सीमित है, प्रायः किसान दूसरे जनपदों में आलू रखने की व्यवस्था करता है, लेकिन इस वर्ष दूसरी जगहों के कोल्ड स्टोरेज अपनी पूरी क्षमता तक भरे होने के कारण किसानों के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो गयी है। किसानों की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैदा किया गया आलू सड़ने के कगार पर पहुंच गया है। यदि समय रहते इस आलू के रख रखाव की समुचित व्यवस्था शासन द्वारा न की गयी तो किसानों के समक्ष गम्भीर संकट उत्पन्न हो जायेंगे। आलू की समस्या के कारण तहसील का आलू कृषक गंभीर संकट का अनुभव कर रहा है। आलू के भन्डारण की समुचित व्यवस्था न होने के कारण आलू का बाजार भाव भी निरंतर गिरता जा रहा है। जिससे कि किसानों को लागत मूल्य भी नहीं मिल सकेगा। इससे क्षेत्र के किसानों में घोर रोष एवं असंतोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कर शासन से मांग करता हूं कि तत्काल आलू किसानों की समस्याओं का निराकरण किया जाय तथा उनको समुचित मूल्य दिलाने हेतु शासन द्वारा आलू के क्रय केन्द्र तत्काल पिहानी एवं शाहाबाद में स्थापित किये जायं।]

ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के गठन से संबंधित सृजित पदों की नियुक्तियां में अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री देव कुमार यादव—

[मान्यवर, सम्मानित सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्ष 1985 में शासन के ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति का गठन किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने पत्रांक –600 (एम0 एम0 ई0) 86, दिनांक 27 मार्च, 1986 द्वारा समिति के लिये सचिव तथा कुछ अन्य पद सृजित करने के आदेश ऊर्जा सचिव को दिये थे। ऊर्जा मंत्री जी के आदेश के एक वर्ष से अधिक समय बाद केवल समिति के सचिव का पद नवम्बर 1987 में सृजित कर उस पर सचिवालय सेवा के एक कनिष्ठ अनुसचिव, श्री जी0 के0 सिंघल की नियुक्ति की गयी तथा कार्यालय व अन्य पदों के सृजन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। समिति के सचिव के

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पद पर श्री सिंघल की नियुक्ति के विषय में सचिव, सचिवालय प्रशासन के ऊर्जा सचिव को प्रेषित पत्रांक 249/20ई-88-688-88, दिनांक जनवरी, 88 द्वारा अनियमितता के उल्लेख के साथ आपत्ति की गयी है, जिसे दबा दिया गया है। यही नहीं श्री सिंघल के नियंत्रण में समिति के गठन के समय से प्रशासकीय ऊर्जा अनुभाग-1 का कार्य है तथा समिति के अध्यक्ष के पत्रों से स्पष्ट है कि ऊर्जा अनुभाग-1 द्वारा समिति के कार्यों के प्रति उदासीनता बर्ती जाती है।

अतः इस सूचना के माध्यम से उपरोक्त तथ्यों एवं अन्य पद सृजित न कर केवल समिति के सचिव पद पर श्री सिंघल की नियुक्ति की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

देवरिया जनपद के बघौचघाट नामक स्थान पर स्वीकृत 33/11 के0 वी0 ए0 विद्युत उप गृह के निर्माण कार्य में विलम्ब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कृष्ण--

[महोदय देवरिया जनपद के बघौचघाट नामक स्थान पर 33/11 के0 वी0 ए0 विद्युत उप गृह वर्ष 1980 के लगभग स्वीकृत हुआ तरकुलवा से बघौचघाट तक विद्युत खंभे लगा दिए गए और लाखों रुपया खर्च करने के बाद अकारण उसके निर्माण को ड्रापकर दिया गया। इस बीच क्षेत्रीय विधायक द्वारा पुनः प्रयास करने पर वर्ष 1985-86 में पुनः उक्त स्थान पर विद्युत उप गृह लगाये जाने की योजना स्वीकृत हुई और 1986-87 के कार्य योजना में सम्मिलित किया गया किन्तु अब तक उस विद्युत गृह का निर्माण न किए जाने से स्थानीय जनता में घोर निराशा व असन्तोष व्याप्त है। उस क्षेत्र के आस-पास की जनता की पर्याप्त विद्युत आपूर्ति भी नहीं हो पाती। सब-स्टेशन निर्माण के लिए बघौचघाट ग्राम सभा ने भूमि उपलब्ध भी करा दिया है किन्तु अकारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाकर देवरिया जनपद के बघौचघाट नामक स्थान पर 33/11 के0 वी0 ए0 के स्वीकृत विद्युत उपगृह निर्माण कार्य को अविलम्ब प्रारम्भ कराने की मांग करता हूं।]

जिला उन्नाव के चिकित्सा परिवार कल्याण विभाग में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हृदय नारायन दीक्षित--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्नाव जिले में परिवार कल्याण और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में अनियमितताओं का बोलबाला है। असोहा पी0 एच0 सी0 के डा0 अरुण लाल को कई माह से गलत तरीके से दफ्तर से इसलिए सम्बद्ध रखा गया है कि वे सुविधापूर्वक लखनऊ से आ जा सकें। इसी प्रकार बांगरमऊ के एक डा0 ए0 के0 मौर्य भी जिला दफ्तर से सम्बद्ध किए गए हैं।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दवाओं की खरीद में अनियमितताएं बरती गई हैं। जिले के प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर दवाइयां नहीं हैं। संक्रामक रोगों की देखभाल नहीं की जा रही है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं]

पुलिस द्वारा कानपुर नगर में कतिपय पार्टियों के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किये जाने से जनाक्रोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा—

[मान्यवर, कल दिनांक 1 मई, को कानपुर की पुलिस व पी0ए0सी0 ने उच्चाधिकारियों एवं मंत्रियों के आदेश से कानपुर के निर्दोष प्रदर्शनकारी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर निर्मम लाठी चार्ज किया जिससे जनता पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गम्भीर चोटें आई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्री गोपीकृष्ण अरोड़ा, जनता पार्टी, लोकदल (अ) के श्री राजेश तिवारी और युवा जनता लोकदल (अ) श्री यदुनाथ सिंह को पुलिस ने गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जो अस्पताल में दाखिल हैं। इस निर्मम पुलिस की पिटाई से जहां पर एक तरफ कानपुर की जनता में आक्रोश व्याप्त है, वहीं पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भय व आतंक व्याप्त हो गया है। कानपुर में एक सप्ताह तक जंगल राज्य रहा तथा सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने दुकानदारों व व्यापारियों को मनमाने ढंग से लूटा। इन घटनाओं से भय व आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं]

जनपद सीतापुर में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी—

[महोदय, जनपद सीतापुर में जहां सूखा एवं भीषण गर्मी के कारण जल का स्तर नीचे गिर गया है। लगभग सभी तालाब सूखे पड़े हैं। ग्रामीण जनता पेयजल को तरस रही है। कुएं और नलों में शुद्ध पानी के बजाय गन्दा कीचड़ आने लगा है। तालाबों में पानी न होने के कारण जानवर प्यासे मरने लगे हैं। उल्लेखनीय है कि जिन ग्रामों में अग्निकांड हो जाता है उसे बुझाने वाली मशीन को भी पानी नहीं मिलता जिससे पूरे-पूरे गांव जल कर राख हो जाते हैं। ऐसी कई घटनायें हो चुकी हैं। इससे भी चिन्ताजनक यह है कि जल निगम के जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर हैं। जल निगम हैण्ड पम्प लगाने से असमर्थता प्रकट कर रही है। जनपद में पेयजल को उपलब्ध कराने की कोई उचित योजना नहीं है।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर तुरन्त कार्यवाही करावें]

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री किशोरी रमण इण्टर कालेज मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरदार सिंह—

[महोदय, श्री किशोरी रमण इण्टर कालेज, मथुरा जनपद की पुरानी एवं सुविख्यात यह संस्था आज वित्तीय अनियमितताओं एवं गुटबाजी का अखाड़ा बन गयी है । प्रबन्धक मण्डल, अध्यापक वर्ग एवं छात्रों में भारी गुटबाजी है । अनेक वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं । अध्ययन एवं अध्यापन का कोई माहौल नहीं रहा है ।

आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये साधिका नियंत्रक एवं विशेष आडिट की मांग करता हूं ।]

फैजाबाद जनपद के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रमाकान्त—

[महोदय, जनपद फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से जनजीवन पर बड़ा कुप्रभाव पड़ रहा है । जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी को भ्रष्टाचार में कुछ नेताओं का सहयोग मिल रहा है घूस लेकर की गयी अवैधानिक नियुक्तियां शासन द्वारा रद्द किये जाने के बाद भी मुख्य चिकित्साधिकारी को कोई दंड नहीं मिला । अकबरपुर गणेश कृष्ण जेटली चिकित्सालय में रसोइया की नियुक्तियां की गयी हैं । लेकिन यहां पर कोई रसोई घर है, न कोई भण्डार चलता है । इनमें से एक रसोईया के शरीर पर सफेद दाग भी है । जिसका सरकारी आवास एक दल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है । जनपद में खुलेआम अस्पताल की दवाईयां बेंची जा रही है । दवाईयों के थोक के लाईसेन्सों पर पांच हजार रुपया घूस लिया जा रहा है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुये उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के सूखा पीड़ित कृषकों के ऋण वसूली को रोकने तथा लगान माफ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुहम्मद आजम खां—

[महोदय, फरवरी, 1988 को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा किसानों के हित में ठोस कदम नामी एक बुकलेट सभी माननीय सदस्यों को दी गयी जिसमें सूखे का मुकाबला करते हुये सरकार ने आश्वासन दिया कि सरकारी कृषि ऋणों की वसूली अक्तूबर, 1988 तक के लिये रोक दी गयी है और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लगान माफ कर दिया गया है, परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ । सरकार ने सस्ती शोहरत पाने के लिये जनता में भ्रम पैदा कर दिया । पूरे प्रदेश में कर्जों की वसूली को लेकर किसानों को जेलों में बन्द किया जा रहा है । 10 प्रतिशत का अतिरिक्त दण्ड लिया जा रहा है । जो सरकार की कथनी और करनी में फर्क के साथ विधायकों के माध्यम से जनता में रोष पैदा करना है । जनपद रामपुर में भी अनगिनत किसान इसका शिकार हैं ।

अतः सरकार से मांग है कि फौरन वसूली रोकी जाय, 10 प्रतिशत वापस कराया जाय और इसे जनपद रामपुर पर भी लागू किया जाय ।]

नोट— [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[झांसी जिलान्तर्गत मोंठ, गुर सराय व बामौर ब्लाकों में सूखा राहत तथा ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का अविलम्ब निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

[महोदय, झांसी जिले के मोंठ, गुर सराय व बामौर ब्लाकों में सूखा राहत तथा ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत सम्पर्क मार्गों का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है जो वर्ष 87–88 में पूर्ण होने चाहिये थे। बामौर ब्लाक में कैरोखर सम्पर्क मार्ग पर ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में एक वर्ष में भी कोई कार्य नहीं कराया जबकि अभिकरण द्वारा धन आवंटित कर दिया गया था इसी प्रकार गुरसराय ब्लाक में खड़ौरा–मथनिया–जलालपुरा सम्पर्क मार्ग एवं मोंठ ब्लाक में पीपरी कलां मार्ग से धीगपुरा मढ़ोरा सम्पर्क मार्ग नहीं बन पाई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से गत वर्ष सूखा राहत में स्वीकृत सभी कार्य तथा ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत सभी सम्पर्क मार्ग बरसात के पूर्व पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बाराबंकी की तहसील राम सनेहीघाट के ओला व सूखा पीड़ित किसानों की लगान माफ करने तथा अन्य सुविधायें दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर—

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के परगना सूर्यपुर, तहसील राम सनेहीघाट तथा परगना सिद्धौर, तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी के किसानों की खरीफ की फसल सूखा और रबी की फसल दो बार भीषण ओला वृष्टि से शत-प्रतिशत तक नष्ट हो गयी है। जिसमें लोगों की मौत तक हुई। श्रमिक एवं किसान भुखमरी के शिकार हैं। शासन की ओर से इस आपदा के लिये कोई राहत कार्य नहीं किये गये दूसरी ओर उनके बकाया देयों के लिये उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। दर्जनों लोग जेलों में बन्द हैं। कोआपरेटिव बैंक मटरिया के मैनेजर ने अयोध्या नाम के किसान को बुरी तरह पीटा है। जिसको तमाम चोटें आई हैं और अस्पताल में पड़ा है। किसान की ओर से थाना राम सनेही घाट में इस आशय का मुकदमा भी लिखा गया है जिसमें कोई कार्यवाही भी नहीं हुई है। सरकार की इस निर्दयता पूर्वक वसूली में कार्यवाही से पूरे क्षेत्र में भगदड़ मची हुई है। यदि भुखमरी की हालत में कृषकों को राहत और देयों के माफी न दी गयी तो पूरे क्षेत्र के किसानों की ओर से आन्दोलन और विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।

मैं सदन के माध्यम से दोषी लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने तथा श्रमिक एवं किसानों के कृषि देय वसूली को तत्काल स्थगित एवं माफ किये जाने तथा ओला, सूखा पीड़ित श्रमिक एवं किसानों के लिये राहत कार्य कराये जाने की मांग करता हूं]।

जिला मुरादाबाद में फल उद्यान विभाग के कार्य द्वारा आलू की प्रति एकड़ पैदावार कम किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान अति अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर आकर्षित करते हुये बताना चाहूंगा कि जनपद मुरादाबाद में उद्यान विभाग

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आलू फार्मों की स्थापना वर्ष 1987-88 में की गयी है। जिसमें मेरे क्षेत्र के विकास खण्ड मूढ़ा पापेंडा पर आलू प्याज का उत्पादन 127 कुन्तल प्रति एकड़ रहा जबकि प्रान्त के अन्य आलू फार्मों पर इसका औसत उत्पादन 90 कुन्तल प्रति एकड़ है। आलू उत्पादन का व्यय सभी स्थानों पर लगभग समान है उपरोक्त फार्म रोन्डा झोन्डा की जमीन बिल्कुल ऊबड़-खाबड़ तथा बीहड़ है जिसका अभी तक समुचित विकास भी नहीं हो पाया है।

अतः मैं प्रान्त के अन्य आलू फार्मों पर लगभग 35 कुन्तल प्रति एकड़ कम उपज का कारण जानना चाहता हूं।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

आज दिनांक 2 मई, 1988 को नियम 300 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली से नं0 6 तक की सूचनायें श्री लाल प्रताप सिंह, श्री रमेश चन्द्र शुक्ल, श्रीमती उषा त्रिपाठी, श्री अशोक बाजपेयी, श्री बुलियाद हुसैन अंसारी, श्री अमिताभ लवानिया, कु0 कृष्णारावत, श्री सुरेन्द्रनाथ अवस्थी की खनिज विकास निगम में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में हैं। सातवीं सूचना श्री शत्रुरूद्र प्रकाश की दिल्ली को पानी देने की घोषणा सदन के बाहर देने के संबंध में है। आठवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की भी इसी संबंध में है। नवीं सूचना श्री गौरी शंकर भइया की बलिया के जिलाधिकारी के मामले में जांच अधिकारी की घोषणा न होने के संबंध में है। दसवीं सूचना श्री सत्यवीर सिंह की नियम 301 की सूचना दिनांक 16 मार्च, 1988 का उत्तर अभी तक प्राप्त न होने के संबंध में है ग्यारहवीं सूचना श्री हरिकेशचन्द्र हरिजन जी की वसूली में उत्पीड़न की कार्यवाही से संबंधित है। बारहवीं सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की आयोडीन रहित नमक का निर्माण और बिक्री अवैधानिक तरीके से होने के संबंध में है। तेरहवीं सूचना श्री फजुलल बारी की तथा श्री शारदा प्रताप की प्रमुख शिक्षा सचिव के विरुद्ध विशेषाधिकार की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त न होने के संबंध में है। चौदहवीं सूचना श्री रामचन्द्र बक्श सिंह की नियम 301 के अन्तर्गत 17 मार्च, 1988 को दी गयी सूचना के उत्तर न मिलने के संबंध में है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राज किशोर सिंह की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री पन्ना लाल त्रिवेदी को बनारस में लहूलुहान करने के संबंध में है। सोलहवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की नगरपालिका आदि का चुनाव 30 जून तक न होने के संबंध में है। सत्रहवीं सूचना भी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की दिनांक 1 मई को कानपुर में सैकड़ों राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में है। अठ्ठारहवीं सूचना श्री विष्णु देव की अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी के भ्रष्टाचार के संबंध में है। उन्नीसवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की प्रमुख अभियन्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में है। बीसवीं सूचना श्री मित्रसेन की टांडा में चुनाव जीतने के लिये शासन अधिकारियों का स्थानान्तरण और रोजगार शिलान्यास होने के संबंध में है। इक्कीसवीं सूचना श्री मुहम्मद आजम खां की रामपुर में 3000 मजदूरों की हड़ताल के संबंध में है तथा बाइसवीं सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की मंत्रि परिषद् में मतभेद से संबंधित है।

श्री राम शरण दास---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने 310 में एक सूचना दी है। उसे आप पहले ले लें।

श्री उपाध्यक्ष---

310 में मुझे प्राप्त हुई है, उसे मैं बाद में ले लूंगा।

(श्री मुहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपा करके बैठ जाएं ।

प्रदेश खनिज विकास निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद सदन में इसकी चर्चा कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैंने नियम 300 के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत किया है । इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 25 अप्रैल, 1988 को कार्यवाही जिसमें खनिज विकास निगम के संबंध में यहां पर बहुत चर्चायें हुई और कई आरोप लगाये गये, उसी संदर्भ में मेरा निवेदन है कि बिल्कुल इसी तरह का रिट पिटीशन हाईकोर्ट में पेन्डिंग है । यहां पर आश्वासन दे दिया गया कि इन्क्वायरी करा ली जायेगी । मेरा कहना यह है कि नियमों के मुताबिक नेचुरल जस्टिस के मुताबिक व परम्परा के मुताबिक जब कोई रिट पिटीशन कोर्ट में पेन्डिंग हो तो उस पर किसी किस्म की बहस यहां पर करना मुनासिब नहीं है, यह बिलकुल नियम विरुद्ध है । एक तरफ तो मुकदमा चल रहा है और दूसरी तरफ इन्क्वायरी कराई जा रही है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि यह जो इन्क्वायरी कराने का आश्वासन दिया गया है, इसे समाप्त किया जाय जब तक कोर्ट में मुकदमा चला हो ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय श्री अशोक बाजपेयी व श्री बुनियाद हसन अंसारी जी ने भी यह मामला दिया है, अगर उनको इस पर कुछ कहना हो तो वह अपनी बात कह लें ।

*श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, खनिज विकास निगम के बारे में यहां पर बहुत चर्चा हुई परन्तु मान्यवर एक बिन्दु निरन्तर छूट रहा है कि खनिज विकास निगम में बहुत सी ऐसी नियुक्तियां की गई है जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र व फर्जी अंक तालिका देकर नियुक्ति लाई गई है । मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किन परिस्थितियों में विभाग व शासन इनका परीक्षण नहीं करा पा रहा है । आज इससे वहां का कार्य प्रभावित हो रहा है । मेरी मांग है कि जो लोग बिना मानकों के फर्जी अंक पत्रों के आधार पर गलत नियुक्तियां पा गये हैं, उसकी जांच कराई जाय और उन्हें सेवा से निकाला जाय और इनके विरुद्ध दण्ड संहिता के आधार पर मुकदमें चलाये जायं । सरकार इस बात का भी आश्वासन दे कि इस प्रकार के जो भ्रष्ट लोग हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर) ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो बात कही है, उस पर पहले मुझे भी सुन लें, फिर व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष

उस पर नहीं सुनूंगा, संसदीय कार्य मन्त्री जी को कहने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय लाल प्रताप सिंह जी का बिन्दु सदन की सम्पत्ति बन गया । उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है । मैं जानना चाहूंगा कि – क्या समादेश याचिका की कोई प्रति आपके पास आयी है कि वहां पर क्या मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो आप इस नतीजे पर कैसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पहुंचेंगे कि जो विषयवस्तु उठायी गयी है, वही विषय हाईकोर्ट में लम्बित है ? जब तक आपकी पीठ पर समादेश याचिका की प्रति न आ जाय और यह निश्चित न हो जाय कि जिस विषय पर हाईकोर्ट विचार कर रहा है, यह वही विषय है, तब तक इस पर निर्णय लेना उचित न होगा। इस समय रूलिंग की किताब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पूर्व दृष्टांत हैं कि हाईकोर्ट में विषय विचाराधीन होते हुए भी यहां पर चर्चा हुई है । विषयवस्तु और विषयवस्तु की परिस्थितियां दोनों अलग-अलग चीजें हैं। जांच का होना और हाईकोर्ट में विचाराधीन होना, दोनों बातें साथ-साथ चल सकती हैं, इसमें कोई विसंगति नहीं है । कृपया अपनी व्यवस्था देते समय इस पर भी विचार कर लें ।

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । एक दिन इसी सदन में इसी सत्र में नियम 56 में यह मामला उठा था। अगर आप यह समझते हैं कि चर्चा होना आवश्यक था, तो उसी समय आपको इस विषय को नियम 56 में स्वीकार करके चर्चा करानी चाहिये थी। आज कार्य मन्त्रणा समिति ने कहा कि नियम 56 नहीं होगा, नियम 51 नहीं होगा, सारे सदन ने सहमति दे दी, जिसको आपने नियम 56 में अग्राह्य किया, नियम 300 में सुन रहे हैं। मैं सीखने के लिये जानना चाहता हूं कि नियम 56 में जो विषय नहीं आया उसे आप नियम 300 में कैसे सुन रहे हैं ? कृपया बता दें ।

*संसदीय कार्यमंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, यह तो आपको अधिकार है कि औचित्य के प्रश्न के रूप में आप ने जो प्रश्न स्वीकार किया है, वह औचित्य में आता है या नहीं, इसे आप देखें। कोई प्रश्न कार्य स्थगन का विषय बनता है या नहीं, यह आपका अधिकार है, उसे हम चुनौती नहीं दे सकते। जहां तक जिन निगम के मामले में जो आरोप लगाये गये या दूसरी तरफ से आरोप लगाये गये, उनकी मैरिट्स और डि-मैरिट्स में इस वक्त नहीं जा सकते। जैसा माननीय गुप्त जी ने कहा, तो जो माननीय सदस्य सूचना देते हैं उसे मानना पड़ता है । पिछले दिनों माननीय सदस्यों ने सूचना दी थी, उसे भी माना था। माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने एक बहुत ही वैधानिक प्रश्न उठा दिया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कही है कि जो आरोप पत्र है और तमाम चीजें हैं, वे न्यायालय में विचाराधीन हैं। जब यह बात आपके भी संज्ञान में आ गयी और पूरा सदन इस बात को जान गया तो दूसरी कोई इन्क्वायरी, उस विषय पर जो न्यायालय में विचाराधीन है, नहीं की जा सकती। यह परम्परा रही है कि कोई विषय, जो सबजुडिस रहा हो, उस पर विचार नहीं किया जाता है जब तक न्यायालय से निर्णय नहीं हो जाता। उन्हीं परम्पराओं को देखते हुए यह बात आवश्यक है जैसा कि माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने कहा कि अगर यह विषय अदालत में है, तो किसी प्रकार की कोई जांच किसी दूसरी एजेन्सी से, विभागीय जांच की बात नहीं कर रहा हूं।

लेकिन कोई बाहर की एजेंसी से कोई जांच नहीं हो सकती जब तक कि वह मामला वहां पर है।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, मैंने इस संबंध में एक बिन्दु उठाया था कि वहां पर लोगों की फर्जी अंकतालिका के द्वारा नौकरियां दी गयी हैं, इस संबंध में तो आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से व्यवस्था दिलवा दें ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब उन्होंने जो कुछ कहना था, कह दिया। जब यह कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर क्या ?

श्री अशोक बाजपेयी—

मैंने कहा है कि जिन लोगों ने फर्जी प्रमाण-पत्र देकर नौकरियां पायी हैं, इस पर आप व्यवस्था दिलवा दें ?

श्री उपाध्यक्ष—

हम अब आगे बढ़ गये हैं, अब इस पर चर्चा न करें ;

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोक आसन ग्रहण करें। मैंने मा0 शतरुद्ध प्रकाश को बुला लिया है।

(व्यवधान के मध्य)

(श्री नरेन्द्र देव तथा श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी द्वारा निरन्तर बोलते रहने से व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि इस संबंध में हाई कोर्ट में रिट है। क्या उस रिट की कापी आपके पास है ? कोई आदमी जब कोई चीज कहता है तो डाकूमेंट का आधार होता है।

(श्री शतरुद्ध प्रकाश द्वारा आदेशानुसार बोलने के लिये खड़े होने तथा अन्य सदस्यों द्वारा बोलने के लिये अनुमति मांगने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

पहले मा0 शतरुद्ध प्रकाश जी बोल लें उसके बाद में किसी को सुनूंगा।

(शोर होने पर)

मैंने मा0 शतरुद्ध प्रकाश को बुला लिया है, वह कह लें, उसके बाद जिसको व्यवस्था उठानी हो, उठावें।

श्री राम शरण दास—

सारा पैसा इधर के और उधर के लोगों ने ले लिया है, शर्म नहीं आती है, ऐसी बात कहते हुए हैं, इससे तो अच्छा है कि डूब मरना चाहिये। एक अफसर की वजह से इतनी तानाशाही है, डूब कर मर जाओ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम शरण दास जी, आप क्रोध न करें।

श्री रामशरण दास—

शर्म आनी चाहिये, मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम शरण दास सदन त्याग कर चले गये।)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, 30 अप्रैल को

श्री मनोहर लाल—

एक पूरा गिरोह है जो—

श्री उपाध्यक्ष—

आप अभी बैठें, मा0 शतरुद्ध प्रकाश को मैंने बुलाया है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर मा0 राम शरण दास जी का ब्लड-प्रेशर बड़ा हाई है इस समय, इनका इलाज वगैरह करवा दीजिए। (हंसी)

श्री मैनेजर सिंह—

मा0 हुकुमसिंह जी इनकी ससुराल से आते हैं इसलिये इनको तो मालूम ही होता है इनका ब्लड-प्रेशर कब हाई होता है और कब लो (हंसी)

सूखे के समय में सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली को पानी देने के विषय में मुख्य मंत्री द्वारा सदन से बाहर घोषणा करने के संबंध में औचित्य का प्रश्न।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर इसी 30 अप्रैल को इस प्रदेश के मा0 मुख्य मंत्री, श्री बीर बहादुर सिंह जी ने यह घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश से पानी की व्यवस्था दिल्ली के लिये की जायेगी क्योंकि इस समय दिल्ली में पेयजल का बहुत बड़ा संकट व्याप्त हो गया है जब कि मान्यवर यहां पर भी पूरे प्रदेश में पीने के पानी की बहुत दिक्कत है और न यहां पर सिंचाई के लिये ही पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है और न ही जानवरों के लिये पानी उपलब्ध हो पा रहा है और मान्यवर बांदा में तो दो रु0 प्रति बाल्टी पानी बिक रहा है और मान्यवर इस पेयजल से उत्पन्न समस्या को लेकर इसी सदन में कई बार मा0 सदस्यों द्वारा प्रश्न उठाये जा चुके हैं, जिस पर आपकी पीठ से यह व्यवस्था भी दी गयी कि इस समस्या पर दो घंटे की चर्चा कराई जायेगी।

मान्यवर यहां की पेयजल की बिगड़ी हुई व्यवस्था को देखते हुए भी मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा सदन के बाहर यह घोषणा करना कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली को पानी दिया जायेगा, कहां तक उचित है मैं समझता हूं कि सदन की परम्पराओं के बिल्कुल विपरीत है यह घोषणा क्योंकि इस समय जो संकट व्याप्त है इस प्रदेश में, पहले मा0 बीर बहादुर सिंह जी को यहां पानी उपलब्ध कराना चाहिये और हमारे बगल के प्रदेशों में मध्य प्रदेश व राजस्थान में जहां बुरी तरह से सूखा पड़ा और लोगों में बुरी तरह से पेयजल के लिये हाहाकार मच रहा है, परन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया लेकिन दिल्ली को पानी दिये जाने की घोषणा मात्र दिल्ली को खुश करने के लिये राजीव गांधी को खुश करने के लिये की गयी है और मान्यवर यदि यहां से पानी दिल्ली को गया तो यहां कि स्थिति जहां पहले से हाहाकार की बनी हुयी है, और भी ज्यादा बिगड़ जायेगी और अगर प्रदेश के अन्दर किसी एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी ने भी पानी की वजह से दम तोड़ा तो इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री पर होगी। मान्यवर इस प्रकार से की गई यह घोषणा प्रदेश के करोड़ों लोगों के हित-विरोधी घोषणा के अतिरिक्त कोई दूसरी नहीं हो सकती है, जहां पहले से करोड़ों लोग इस संकट से गुजर रहे हैं वहां पर केवल प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को खुश करनेके लिये यह कहना कहां तक उचित है ?

(व्यवधान)

श्री रामगोविन्द चौधरी—

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, अभी प्रकरण दूसरा चल रहा है, आपकी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है, मैंने रघुबर दयाल वर्मा को बुला लिया है।

(शोर)

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मेरी व्यवस्था पहले सुन लीजिए, वह यह है कि अभी मा0 अशोक बाजपेयी जी ने जो सूचना दी है नियम 300 के अन्तर्गत, जिसे आपने अस्वीकार कर दी है और जिसपर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि हाईकोर्ट में रिट है।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया बैठिये मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप लिखकर भेज दीजिए और माननीय वर्मा जी आप भी लिखकर भेज दीजिए जो आप कहना चाह रहे हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर जैसा कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहाकि हाईकोर्ट में यह बात हो गई है तो क्या आप उनकी सूचना को आधार मान रहे हैं क्या आपको उन्होंने हाई-कोर्ट की कोई सूचना दी है, जब मान रहे हैं। मान्यवर इस प्रकार से सदन को गुमराह किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शाही जी आप बैठिए।

(व्यवधान)

*श्री रघुबर दयाल वर्मा—

मान्यवर आपके माध्यम से सदन के सम्मुख और माननीय मुख्य मंत्री के सम्मुख यह बात रखना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे सदन से ऊपर हैं, इसलिये मैं कहा रहा हूं। मैं मान्यवर, निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली प्रदेश को पानी देने का मसला और उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा को पानी देने का मसला कार्यस्थगन के प्रस्ताव के जरिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन में रखा है। आगरा के अधिकारियों की बैठक माननीय अम्मार रिजवी की अध्यक्षता में 14 मार्च को हुई थी। वहां के जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अधिकारी थे वह भी मौजूद थे और सभी विधायक भी मौजूद थे। मैं इस संबंध में एक मौलिक बातकहना चाहता हूं कि गंगा कैनाल से पानी देने की बात हुई है। गंगा से दो जगह पानी जाता है। एक तो आगरा कैनाल को और मध्य गंगा के पानी को आगरा को देने के लिये योजना बनी है। माननीय पन्त जी ने समझौता किया था कि 80 घन फीट पानी दिया जायेगा लेकिन उसके अतिरिक्त और पानी देना शुरु कर दिया है। मध्य गंगा में पानी नहीं है और फिर भी दिल्ली को पानी दिया जा रहाहै। विधान सभा में संसदीय कार्य मंत्री ने संयुक्त मंत्रि परिषद् का निर्वाहन करते हुए सदन को आश्वासन दिया था कि मध्य गंगा कैनाल से पानी आगरा को दिया जायेगा। जो पानी आगरा के लिये झील से लिया जाता था वह पानी अब पीने योग्य नहीं रह गया है और वह भी हिस्सा काट कर दिल्ली को पानी दिया जा रहा है जिससे वह झील सूख गयी है। उसमें पानी जाना बन्द हो गया है इसलिये आगरा और मथुरा में पेय जल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं कि आगरा की जनता की उपेक्षा न करें और जो सदन में आश्वासन दिया गया है उसको पूरा करायें।

श्री बदन सिंह—

मान्यवर, दिनांक 30 अप्रैल, 1988 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है कि दिल्ली प्रदेश को और पानी दिया जायेगा।

श्री गौरी शंकर भइया—

(एजेंडा की प्रति दिखाते हुए) यह तो चर्चा में लगा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

बजाय मेरे बताने के वर्मा जी को बता दें।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर मेरे, प्रश्न पर व्यवस्था नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में व्यवस्था हो जायेगी।

*श्री बदनसिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली नगर के पेय जल के संकट को दूर करने के लिये दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आगरा और मथुरा में पीने के पानी का संकट है और 14 तारीख को उच्च स्तरीय बैठक माननीय अम्मार रिजवी की अध्यक्षता में हुई थी उसमें भी बताया गया था कि आगरा में पानी का संकट है। और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना इस जानकारी के दिल्ली में जो पेयजल संकट है उसको दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश के पानी को देने की घोषणा की है। आगरा और मथुरा जनपद को दिये जाने वाले पानी की हमेशा चोरी की गयी है। इस सब के बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश से और पानी दिल्ली को पेय जल संकट को दूर करने के लिये दिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि मेरे क्षेत्र में पानी के बिना कई हजार पशु मर गये हैं, मनुष्य मर गये हैं और मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली को देने की बात कह रहे हैं बिना मंत्रि-परिषद की सलाह के, बिना इस सदन को सूचित किये, बिना माननीय सदस्यों को जानकारी दिये, यह नीति विरुद्ध सवाल है। मान्यवर, यदि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली को दिया जाता है तो यह उत्तर प्रदेश की पीठ पर छुरा भोंकने की बात होगी। मुख्य मंत्री का दायित्व उत्तर प्रदेश के लिये है, दिल्ली के लिये है केवल प्रधानमंत्री को खुश करने और उनकी खुशामद करने के लिये ही उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली दिया जा रहा है। इसलिये मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है, इसे आप यहां पर उठने की आज्ञा दें। (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, आप हमारी बात सुनें ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपकी बात ध्यान से सुनता हूं।

*श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली को देने का जो मामला है यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैं यह कह सकता था कि अगर उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली देने के बजाय मुख्य मंत्री जी ने आगरा और मथुरा के लोगों से खून मांगा होता तो हम 50 क्यूसेक खून दे देते लेकिन एक चम्मच भी पानी देने के हम पक्ष में नहीं हैं। मान्यवर गोविन्द बल्लभ पन्त जी जब यहां पर मुख्य मंत्री थे तो उस समय पानी के संबंध में दिल्ली के साथ एक समझौता हुआ था कि हम 80 क्यूसेक पानी दिल्ली को देंगे लेकिन यह समझौता उनके सामने नहीं रखा गया, उसे पुनर्जीवित नहीं किया गया। उसके बाद वह 80 क्यूसेक की जगह 300 क्यूसेक हो गया जो रोज उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली को दिया गया। वह 300 क्यूसेक से बढ़ाकर आज 400 क्यूसेक हो गया। उसके बाद यह समझौता हुआ कि उत्तर प्रदेश 50 क्यूसेक पानी और देगा जिसे आज 80 क्यूसेक पानी दिल्ली को देने की मुख्य मंत्री जी बात कर रहे हैं। मान्यवर, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह है कि दिल्ली का जो हक बनता है वह रावी, सतलज और झेलम की नदियों के पानी पर बनता है जिनका पानी गोविन्द सागर डैम में चला जाता है जो कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली का हिस्सा होता है। इस तरह उनके पानी का बंटवारा निश्चित है। उत्तर प्रदेश का 400 क्यूसेक पानी बिना किसी कारण के दिल्ली को दे दिया गया है जिसपर उसका हक नहीं है। उसका तो सिर्फ रावी, सतलज और झेलम से ही हक बनता है। लेकिन हरियाणा के मुख्य मंत्री ने चालाकी करके समझौते के तहत पानी देने की स्वीकृति तो कर दी लेकिन मान्यवर हरियाणा से जो पानी आता है उसके तीन साधन हैं। दिल्ली के पास ड्रेन नं0 8 से 45 किलोमीटर पानी चलकर आता है उसमें हरियाणा पहले उस पानी का उपयोग अपने खेतों में कर लेता है दूसरे गड़गांव कैनाल से 15 से 20 अप्रैल तक 11 हजार क्यूसेक पानी दिल्ली को नहीं मिला। अखबार में इसकी रिपोर्ट है कि 16 दिन तक पानी देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। पानी तो हर हालत में हम दुश्मन को भी पिलाते हैं फिर हरियाणा का मौजूदा रुख मानवीय दृष्टि से कहां तक उचित है। दिल्ली भी यह बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार करता है कि हरियाणा पानी का उपयोग पहले अपने खेतों में कर लेता है और बचा हुआ पानी वहां दिया जाता है। इसप्रकार उत्तर प्रदेश का 65 प्रतिशत पानी हरियाणा और दिल्ली उपयोग करता है ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें। बैठे।

श्री विजय सिंह राणा—

नहीं मान्यवर, यह नहीं होगा ——— (व्यवधान)

(डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल का नाम पुकारे जाने तथा श्री विजय सिंह राणा के बोलने पर)।

श्री उपाध्यक्ष—

सब को टाइम देना है आप बैठें।

श्री विजय सिंह राणा—

नहीं मान्यवर, आप हमें बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं नहीं बोलने देता हूं ..... (व्यवस्थान)

श्री विजय सिंह राणा—

इस तरह से नहीं, चलेगा (व्यवधान)

(श्री विजय सिंह राणा तथा कुछ अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को आधे घंटे के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात 1 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित कर दी गयी। 1 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी ——

श्री फजलुल बारी—

क्या मान्यवर, आपने हमेशा यह प्रक्रिया अपना ली है।

श्री उपाध्यक्ष—

राणा जी आप एक मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री विजय सिंह राणा—

तो मैं कह रहा था कि जो समझौता हमारा पानी का हुआ है उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे खून के साथ समझौता किया है। पहले 400 क्यूसेक पानी दिल्ली को जाता था

उसके बाद 50 क्यूसेक और दिया और उसे भी अब बढ़ा कर 80 क्यूसेक कर दिया है। यह घोषणा यहां के मुख्य मंत्री जी ने की है। हमारे प्रदेश की जनता प्यासी मरेगी। यहां की जनता एक एक बूंद पानी के लिये तरस रही है और हमारे मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हम दिल्ली को पानी के बिना मरने नहीं देंगे। आज तक ऐसा समझौता नहीं हुआ। हरियाणा के साथ भी समझौता हुआ था लेकिन वहां के लोगों के प्रति वहां के मुख्य मंत्री वफादार हैं उन्होंने उस समझौते को अपने पक्ष में करा लिया है। हरियाणा से जो पानी आता है रावी, व्यास और सतलज का उसमें दिल्ली का भी हिस्सा बनता है। दिल्ली की हमेशा शिकायत रही है कि उसके हिस्से का पूरा पानी उसे नहीं मिलता है और उस पानी का बहुत बड़ा हिस्सा हरियाणा सोख जाता है। दिल्ली का उस पानी में पूरा हक बनता है, उत्तर प्रदेश के पानी में नहीं। जो समझौता हुआ है उसमें ड्रेन नं0 8 से पानी देना है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप समाप्त करें।

श्री विजय सिंह राणा--

हरियाणा ने एक समझौता कर लिया वह ऐसा है कि सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे। उन्होंने जो समझौता किया उसमें 135 कि0 मी0 लम्बी ड्रेन से पानी जाता है और उससे रास्ते में पानी सोख लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री विजय सिंह राणा--

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं दो मिनट नहीं दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा--

तो 145 कि0 मी0 लम्बी ड्रेन से पानी चलेगा उससे रास्ते में हरियाणा अपनी फसल सींच लेता है। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने अपनी जनता के प्रति वफादारी निभाते हुए पानी देने का वायदा कर लिया और एक बूंद पानी वह नहीं दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप ज्यादती कर रहे हैं और भी मामले हैं, कितना समय आपको दूंगा आप ही देखें बदन सिंह जी को और वर्मा जी को कितना समय दिया (व्यवधान) यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा--

हमारा कहना है कि मध्य गंगा कैनाल से सीधे आगरा को पानी दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

ऐसे कैसे काम चलेगा आप ही सोचें?

श्री विजय सिंह राणा—

हमने जो कहा था कि मध्य गंगा कैनाल जो हाथरस बांध के हेड तक जा रही है उसको आगे बढ़ा कर यमुना पर एक्वाडेक्ट बनाकर आगरा कैनाल से जोड़ दिया जाय। जो मध्य गंगा कैनाल है उसमें खरीफ में आगरा और मथुरा को पानी मिलेगा और रबी में अपर गंगा कैनाल से हिंडन नदी में पानी डालकर जिस पानी को हरियाणा होकर आगरा को भेजा जाता है उसे सीधे आगरा को दे दिया जाय क्योंकि इस समय जो हमें पानी मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है इस समय जो हमें 51 परसेन्ट पानी मिलना चाहिये था और 49 परसेन्ट पानी हरियाणा को मिलना चाहिए था वह हमें 35 परसेन्ट भी नहीं मिल रहा है क्योंकि हरियाणा 65 परसेन्ट पानी ले लेता है इसलिए मेरा सुझाव है कि मध्य गंगा कैनाल को हाथरस से आगे बढ़ा कर जमुना में आगरा नहर में जोड़ दिया जाये इससे रबी में हरियाणा जो पानी सोख लेता है वह मिलेगा। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि इस समय दिल्ली को पानी देना हमारे साथ विश्वासघात होगा।

*डाक्टर कृष्णबीर सिंह कौशल—

मान्यवर, विरोध पक्ष के जो साथी हैं उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है उत्तर प्रदेश में पेयजल संकट के बारे में उससे मैं अपने आपको भी सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश में जानवरों के पीने के लिये पानी का, सिंचाई के लिये पानी का और पीने के लिये पानी का घोर संकट है और आगरा इसमें सबसे ज्यादा आगे है, वहां पानी का राशन है और आज भी वहां लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि कर रहे हैं क्योंकि एक घंटा सुबह और एक घन्टा शाम को ही पानी मिलता है। जो आश्वासन यहां दिये गये थे उनका अभी तक कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है। लेकिन मुझे मानसिक कष्ट इस बात का हुआ कि बावजूद इसके कि मैं उम्मीद करता था कि उधर के बैठने वाले मित्रों से कि वे बजाये इस बात के माननीय मुख्य मंत्री आलोचना करें तो मैं उम्मीद कर रहा था कि वह प्रस्ताव लाते बधाई का सदन में कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्यासी दिल्ली को पानी पीने के लिये दिया और इसको भी छोड़ दें, तो जो मान्यता है धार्मिक, संस्कृत की जो मान्यता है उसमें भी बताया गया है, निर्देश है कि चाहे वह हिन्दुओं की रामायण है या बाइबिल हो या कुरान हो उसमें बताया गया है कि यदि पड़ोसी भूखा है और आपके पास एक रोटी है, तो आधी रोटी पड़ोसी को पहले देकर आप खायें। यह भारतीय संस्कृति की मान्यता रही है। तो आज अगर पेयजल संकट दिल्ली में है तो उत्तर प्रदेश ने अपने हिस्से में से वहां का पेयजल संकट को दूर करने के लिये पीने के लिये पानी दिया, तो निश्चित ही इसमें बधाई का प्रस्ताव आना चहिये और सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश सरकार को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिये।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी (व्यवधान) आप लोग बैठ जायं पहले मुख्य मंत्री जी को जवाब दे लेने दें। बाद में सरदार सिंह जी आप बोल लेंगे। (व्यवधान) आगरा के तीन-चार माननीय सदस्य बोल चुके हैं यदि सभी आगरा मथुरा के ही माननीय सदस्य बोलेंगे तो बलिया के माननीय सदस्य कहेंगे कि हम भी बोलेंगे। इसलिये आप लोग बैठ जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(शोर)

श्री सत्य प्रकाश विकल—

मान्यवर, अभी हमारे साथी डाक्टर कृष्ण बीर सिंह कौशल ने कहा और वर्तमान स्थिति का चित्रण भी किया कि यहां पानी का संकट है राशन है, लेकिन मान्यताओं और धार्मिक संस्कृति के नाम पर और आधी रोटी खिलाने के नाम पर दोहाई दी कि दिल्ली को पानी देना ठीक है तो मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी की तो स्थिति यह है कि घर में नहीं हैं दानें और बुढ़िया चली भुनाने वाली कहावत के अनुसार आज उत्तर प्रदेश की जनता तो प्यास से मर रही है, यहां पानी नहीं है और मुख्य मंत्री जी यहां के लोगों को प्यासा मारकर दिल्ली को पानी दे रहे हैं महज इसलिये कि प्रधान मंत्री को खुश करके मुख्य मंत्री अपनी गद्दी पुख्ता करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली और देश के लिये जरूरत पड़ने पर हम लोग खून देने के लिये तैयार हैं लेकिन पानी की एक बूंद देने के लिये तैयार नहीं हैं और मुख्य मंत्री जी को कोई हक नहीं बनता कि 12 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को वह प्यास से मारकर दिल्ली को खुश करने के लिये और अपनी गद्दी बनाये रखने के लिये यह कहें कि उत्तर प्रदेश का पानी दिल्ली को देंगे। यह जो प्रश्न है, औचित्य का प्रश्न राणा जी ने उठाया है, मैं चाहता हूं कि इसकी गंभीरता पर विचार कर आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सरदार सिंह—

इस मामले में वहां पानी की बहुत किल्लत चल रही है। वहां सब नहरें बन्द पड़ी हैं, कुएं और पोखर सब टूट गये हैं। मथुरा और वृन्दावन में प्रतिदिन 1 लाख आदमी बाहर से आते हैं, जो पानी के बिना अति दुखी और परेशान होते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

आज के एजेंडे में मद सं0 37 पर पेयजल आदि के सम्बन्ध में पहले से एक घंटे की चर्चा लगी हुई है, उस समय आप सबको अवसर दे सकते हैं, लेकिन इस समय नहीं।

*मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, यहां पर एक सवाल उठाया गया और यह कहा गया कि नीतिगत सवाल है कि दिल्ली को पानी क्यों दिया गया? मान्यवर, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पिछले दिनों दिल्ली में पानी की इतनी कमी हो गई थी, जहां से दिल्ली को पानी मिल जाता था, उसके सूख जाने से दिल्ली को पानी बिल्कुल नहीं मिला। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसलिये सब प्रदेशों की और हमारी जिम्मेदारी है कि हम वहां पर जो भी व्यवस्था बना सकते हों, बनायें। हमारा प्रदेश तो दिल्ली से मिला हुआ है। कितनी बड़ी आबादी हमारी दिल्ली में रहती है। हमारे बहुत से लोग दिल्ली में रहते हैं, वहां काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी है और यह कह देना कि दिल्ली को पानी क्यों दिया गया, उचित नहीं है। खासकर वेस्टर्न यू0 पी0 के काफी लोग दिल्ली में काम करते हैं और वहां पर बिना पानी के लोग पड़े रहें, यह ठीक नहीं है हमारे लिये। दिल्ली में कई दिनों तक पानी नहीं रहा और दिल्ली ने हरियाणा से पानी लेने का प्रयास किया, इस पर उसने कहा कि हम पानी नहीं देंगे और यह कहा कि यदि उत्तर प्रदेश हमें पानी देगा, तो उसके बदले में हम दिल्ली को पानी दे सकते हैं। तो यह जरूरी था हमारे लिये 50 क्यूसेक पानी गंगा से दे देना और हमने कहा हम दे देंगे। यह पानी सीधे हम दिल्ली को नहीं दे सकते थे। उसको हमें हरियाणा को देना था और हरियाणा अपनी तरफ से दिल्ली को दे। बाद में उन्होंने कहा कि इससे हमारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काम नहीं चल रहा है और उन्होंने हमसे 80 क्यूसेक पानी मांगा। तो वह मैंने उनको दिया। यह देना जरूरी था। इससे उनको राहत मिली है और केवल 30 जून तक हमने पानी देने के लिये कहा है। जब वर्षा हो जायेगी और नदियो में पानी आ जायेगा, उस समय उनको आवश्यकता नहीं रहेगी और हम नहीं देंगे। यह हमारा प्रयास रहा है और रहेगा कि हमारे प्रदेश के किसी हिस्से में पानी की कमी न रहने पाये चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो या कोई दूसरी जगह हो। प्रदेश का कोई भी भाग हम सूखा नहीं रहने देंगे, पानी पीने की व्यवस्था हम जरूर करेंगे। मान्यवर, आगरा के लिये इसी हाउस में, इसी सदन में एक हजार हैन्ड पम्प लगाने के लिये कहा जा चुका है।

श्री विजय सिंह राणा--

वह शहर में हैं, देहात में नहीं हैं (व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह--

जहां कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी, जहां कहीं भी पानी की कमी रहेगी, पानी पीने के लिये हमने देहात में कहा है, जहां पीने के पानी की समस्या है, हैन्ड पम्प लगाये जायं, पाईप लाईन बिछाई जाएं या नहरों से पानी पीने के व्यवस्था करनी है, तो उससे की जाए हम व्यवस्था मान्यवर, कर रहे हैं। तो यह पानी जो दिल्ली को हमने दिया है, वहां के.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

राणी जी आप मुख्यमंत्री की पूरी बात सुन तो लीजिए, बीच में इस तरह न बोलिए

श्री वीर बहादुर सिंह--

इस पानी को देने से मथुरा और आगरा पर कोई असर नहीं पड़ा है।

(व्यवधान)

यह कहना गलत है कि आगरा और मथुरा पर असर पड़ा है।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)--

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जिम्मेदारी से बचने के प्रयास में आखिरी वाक्य यह कहा दिया कि मथुरा और आगरा पर पानी देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा कि यह सूखे के बारे में भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सूखे का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सूखे से बचने के लिये पूरे प्रयास किये गये। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है यहां पशुओं के पीने के पानी के अलावा इंसानों को पानी मिलना दुर्लभ हो रहा है। पूर्वांचल की स्थिति तो आपने देखी ही है। पशु मरने की स्थिति में आ गये हैं। मैंने सहारनपुर में देखा है पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। आप कहते हैं कि तालाब में पानी रखने के आदेश हो गये हैं, लेकिन आपके आदेश जो हैं वह सिर्फ फाइलों पर ही रहते हैं। यह कहते हैं कि दिल्ली के अन्दर पानी की कठिनाई थी, तो वहां पानी मुहैया कराने के लिये अनेक साधन हो सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री को खुश करने के लिये आपने उत्तर प्रदेश की जनता से पानी छीनकर दिल्ली को दे दिया। यह आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अच्छा नहीं किया। आपने अप्रैल के महीने में 80 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिया है। आप कहते हैं कि आगरा के लिये व्यवस्था कर दी। आपने आगरा शहर के लिये व्यवस्था कर दी, लेकिन आपने देहातों के लिये कुछ नहीं किया है। आपने 30 जून तक पानी देने के लिये कहा है, वही समय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा जब इंसान प्यासा मरने लगेगा। ऐसे समय में जो पानी मुख्य मंत्री जी ने दिल्ली के लिये दिया है इसका उन्हें कोई हक नहीं है। यह उत्तर प्रदेश की जनता से पानी छीन कर इन्होंने दिया है। आप दिल्ली की सरकार को खुश करने के लिये ऐसा करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि 30 जून तक पानी का वायदा कर दिया है। यह आपने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अच्छा नहीं किया है।

मैं इसका विरोध करता हूं तथा अपने दल के साथ सदन का बहिष्कार करता हूं।

(नेता विरोधी दल, श्री सत्यपाल सिंह अपने दल के सदस्य सहित सदन त्याग कर चले गये)।

श्री उपाध्यक्ष---

पेयजल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। नियम 300 में माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं और शासन की बात सुनकर अध्यक्ष पीठ उस पर अपना निर्णय देता है। अतः अब मामला समाप्त किया जाता है।

(सर्वश्री विजय सिंह राणा, मनोहर लाल, सरदार सिंह, रघुवर दयाल वर्मा, जगवीर सिंह, बदन सिंह तथा अन्य सदस्य भी सदन के फ्लोर पर आ गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष---

आपके नेता ने सदन का त्याग किया है और आप यहां आ गये। यह कैसी विडम्बना है।

श्री सरदार सिंह---

पानी नहीं मिलेगा तो मथुरा में और जूते पड़ेंगे।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, माननीय नेता विरोध दल ने सदन का त्याग किया, लेकिन इन्हीं के दल के लोग यहां बैठे हैं, तो क्या उनके प्रति अविश्वास प्रकट किये हैं? मान्यवर इस पर व्यवस्था चाहिए।

श्री शत्रुद्र प्रकाश---

मान्यवर, सदन त्याग करने के बाद यह लोग आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

यह पहले बैठ गये हैं।

(शोर)

श्री शत्रुद्र प्रकाश---

सदन त्याग के बाद आये हैं। आप पढ़ रहे थे आपको क्या पता ?

श्री खान गुफरान जाहिदी---

मान्यवर, क्या लोकदल में तीसरा गुट पैदा हो गया है ? पहले "अ", "ब" था अब "स" हो हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपना आसन ग्रहण करें। सदन के फ्लोर पर आये हुये सदस्य वहीं बैठे रहें।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, यह तीसरा गुट पैदा हो गया है। इसके नेता राजेन्द्र सिंह जी हैं। वह अपनी बात कहना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जाहिदी साहब को गलतफहमी हो गयी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि यह अपने नेता की अवमानना कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। सदन त्याग का मतलब है कि कार्यवाही में हिस्सा न लेना। तो यह लोग वहां बैठ कर कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठें और वहां से जो कुछ कहना हो कहें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

हम धरना दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं सदन को पौने तीन बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 2 बजकर 13 मिनट पर सदन की कार्यवाही पौने तीन बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी। 2 बजकर 45 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

(श्री गौरी शंकर भइया को पुकारे जाने पर)।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय गौरी शंकर भइया को पुकार लिया है।

(घोर व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भइया—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन अव्यवस्थित है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राणा जी, अब बहुत देर हो चुकी है, आप बैठिये।

(घोर व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, सूखे के कारण पानी की समस्या दिन प्रति दिन अत्यन्त विकट होती जा रही है और ज्यों-ज्यों गर्मी आयेगी, यह समस्या बढ़ती ही जायेगी, इस पानी की समस्या के कम होने के आसार नहीं हैं। आगरा में क्योंकि खारे पानी है, इसलिए वहां पर पानी की समस्या अत्यधिक है। झांसी मण्डल में और भी समस्या है। मेरा निवेदन यह है कि हर जगह पर पानी की समस्या है, उस समस्या को कैसे दूर किया जाय इसके बारे में सरकार की तरफ से यह कर देने से हल नहीं होता है कि हम किसी को प्यासा नहीं मरने देंगे। यह सही है, लेकिन उसके लिए कोई योजना, कोई नीति भी बननी चाहिए। हर जगह की समस्या अलग-अलग हो सकती है, पूर्वांचल की समस्या अलग हो सकती है, तमाम रिसोर्सेज से जितना पानी अवेलेबुल है, उसको हम कैसे मुहैया करायेंगे। मैं सबके लिए कह रहा हूं। इनके जितने भी हैंड पाइप लगे हुए हैं, पुराने होने के कारण वे सब बेकार हो चुके हैं। जितने ट्यूब थे, जो विद्युत् से चलते हैं या इंजन से चलते हैं, उनके पानी का लेवेल गहराई में है, जब तक बिजली अवेलेबुल रहती है, तब तक वे चलते हैं और जब विद्युत् नहीं रहती है, तब पानी नहीं मिलता है। इसको माननीय विद्युत् मंत्री जी बतायेंगे कि वह कितने घंटे विद्युत् देते हैं। अगर विद्युत् नहीं होगी, तो न पीने का पानी मिलेगा और न जानवरों के लिए पानी मिलेगा। मेरा सिर्फ यही निवेदन है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए।

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, आप यह देखें कि आइटम नं 0 37 पर यह चर्चा लगी हुई है और उस पर सारी बातें हो सकती हैं, इसलिए सदन को आगे चलने दें।

(श्री गौरी शंकर भइया के पुकारे जाने पर)।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने माननीय गौरी भइया को बुला लिया है, आप बैठिये।

(श्री रघुवर दयाल वर्मा तथा श्री विजय सिंह राणा द्वारा एक साथ बोलते रहने पर घोर व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लोग बैठें।

(श्री विजय सिंह राणा तथा श्री बदन सिंह तथा अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये)।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं 300 की सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

(श्री गौरी शंकर भइया अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने का प्रयास करने लगे जिन्हें विधान सभा रक्षकों द्वारा रोक लिया गया जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक, 1988

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश भवन और भूमि उपयोग विनियमन (नाभिकीय प्रतिष्ठापन क्षेत्र) विधेयक 1988, जो विधान सभा द्वारा 6 अप्रैल, 1988 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 26 अप्रैल, 1988 को वापस प्राप्त हो गया ।

(श्री शारदा नन्द अंचल अध्यक्ष पीठ की ओर बढ़ने लगे तथा श्री गौरी शंकर भइया ने कुर्सी उठा कर पटकने का प्रयास किया जिससे सदन में निरन्तर व्यवधान होता रहा ।)

देवरिया जनपद के पथरदेवा तथा कसया विकास खण्ड के बीच खनुआ नदी पर नारायनपुर के निकट तिरमुहानी घाट पर पक्का पुल के निर्माण विषयक श्री गोरख मिश्र की तथा देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड मुख्यालय के कस्बा पथरदेवा में पेयजल टंकी का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री विजय बहादुर दुबे की याचिका†

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से देवरिया जनपद के पथरदेवा तथा कसया विकास खण्ड के बीच खनुआ नदी पर नारायनपुर के निकट तिरमुहानी घाट पर पक्का पुल बनाये जाने विषयक श्री गोरख मिश्र, ग्राम गठिया महाबल, पोस्ट महुआपाटन, जिला देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड मुख्यालय के कस्बा पथरदेवा में पेयजल टंकी का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री विजय बहादुर दुबे, निवासी पथरदेवा, जिला देवरिया द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

दिनांक 3 जुलाई, 1987 को सदन में कृषि अनुदान पर दिये गये भाषण अंश में त्रुटि के कारण कृषि मंत्री द्वारा शोधन वक्तव्य ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, वर्ष 1987–88 के कृषि अनुदानों पर दिनांक 3 जुलाई, 1987 को हुई चर्चा में सदन में बताया गया था कि "एग्रो के द्वारा बहुत कार्य हो रहा है और पिछले साल तक इसमें घाटा एक करोड़ पच्चीस लाख रु0 का हुआ था लेकिन यह जानकार आपको खुशी होगी कि इस साल पहली बार 12 लाख रु0 का सीधा लाभ अर्जित किया है, यह मैं खुशखबरी सदन को देना चाहता हूं ।"

2—उक्त कथन ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला । सही कथन इस प्रकार है—

"एग्रो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं लक्ष्यों की पूर्ति में पर्याप्त सीमा तक सफल रहा है और इस निगम द्वारा संतोषजनक सामाजिक लाभकारी कार्य किये जा रहे हैं परन्तु यह निगम आर्थिक

---

†छापी नहीं गई ।

रूप से घाटे में चल रहा है । पिछले साल इसमें घाटा एक करोड़ पच्चीस लाख का हुआ था और इस साल रु0 90.56 लाख की हानि होने की सम्भावना है ।"

(घोर व्यवधान के मध्य)

प्रदेश के कतिपय विश्वविद्यालयों की सभा में कार्य करने के लिये विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु समय व तिथि के निर्धारण का प्रस्ताव ।

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, कुमायूं विश्वविद्यालय, रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय एवं मेरठ विश्वविद्यालय की सभा में कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित तथा संशोधित हुआ है, की धारा 22 की उपधारा (1) के वर्ग 7 में खण्ड (xv) के अनुसार विधान सभा के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् होने वाली रिक्तियों में प्रत्येक के वास्ते विधान सभा के पांच-पांच सदस्यों का निर्वाचन करें ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि जो शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव रखा है उसको पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मद संख्या 11 से सम्बन्धित श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा प्रस्तुत संकल्प तथा मद संख्या 12 से सम्बन्धित दिनांक 13 जुलाई, 1987 को प्रस्तुत किये गये श्री गोपाल दास यादव एवं श्री रघुवर दयाल वर्मा के संकल्प का स्थगन ।

श्री उपाध्यक्ष---

मद संख्या 11 और 12 को स्थगित करता हूं ।

(श्री शारदा नन्द अंचल तथा श्री गौरी शंकर भैया कार्यवृत्त लेखक की मेज पर चढ़ कर बोलते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम साढ़े चार बजे तक के लिये उठते हैं ।

(इस समय 2 बज कर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक के लिये स्थगित कर दी गयी । 4 बज कर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

(श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुवर दयाल वर्मा, श्री जगवीर सिंह, श्री बदन सिंह तथा श्री हरेन्द्र सिंह आदि सदस्यों द्वारा सदन के फ्लोर पर बैठे रहने पर ।)

श्री फजलुल बारी---

मान्यवर, पहले सदन के वेल में बैठे सदस्यों को आसन पर बिठवाइये, फिर आगे कार्यवाही चलायें ।

(व्यवधान)

(श्री गौरी शंकर भइया, श्री रामगोविन्द चौधरी तथा श्री मैनेजर सिंह एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

(व्यवधान)

देव विद्यालय इण्टर कालेज, करौली, फैजाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मित्रसेन की जो नियम 301 में सूचना प्राप्त हुई थी, माननीय अध्यक्ष ने उस पर पुनर्विचार कर उसे स्वीकार कर लिया है । यह सूचना भी पढ़ी हुई मान ली जाय ?

(सदन की सहमति से निम्न सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।)

*श्री मित्रसेन--

[मान्यवर, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश को प्रति वर्ष देव विद्यालय इण्टर कालेज, करौली, फैजाबाद अपनी गम्भीर आर्थिक, प्रशासनिक एवं नियुक्तियों सम्बन्धी घोर अनियमितताओं के कारण लाखों रुपये का चूना लगाता चला आ रहा है । बिना पद सृजन की स्वीकृति तथा विषयों के मान्यता के विपरीत नियमों के विरुद्ध दर्जनों अध्यापकों, कर्मचारियों की नियुक्तियां एवं प्रोन्नतियां की हैं । कुछ नियुक्तियां अगस्त, 1986 में करके फरवरी, 1986 से वेतन अर्जित किया गया है । अम्बिका प्रसाद, जगत नारायन प्रवक्ता को अनियमित वेतन मान दिया गया है । जगदम्बा प्रसाद का वर्ष 1983 में त्याग पत्र दिखाकर 1985 में पुनर्नियुक्ति की गयी जमुना लिपिक की प्रोन्नति स्नातक वेतन क्रम में नियमों के विरुद्ध करके एक रिक्त पद पर दो नियुक्तियां की गयीं प्रधान लिपिक को निलम्बित और कर्मचारियों को निष्कासित कर सदस्यों के चहेतों की नियुक्ति कर कारनामों पर पर्दा डाला गया है । राम उजागर चौकीदार को मार्च, 1984 में नियुक्ति कर जुलाई, 1983 से वेतन आहरित किया गया है । इस प्रकार से जनवरी वर्ष 1980 से 1983 तक की छात्र निधि की रोकड़ बही गायब करके फरवरी, 1983 से 1988 तक छात्र निधि की भारी धनराशि हड़प ली गयी और विद्यालय के सभी आय स्रोतों से होने वाली भारी धनराशि को प्रधानाचार्य डकारते चले जा रहे हैं । जो कर्मी भी विद्यालय में उपस्थित नहीं रहते ।

शिक्षण संस्था के विषाक्त वातावरण से सभी वर्ग आन्दोलित हैं । अतएव इस व्यापक भ्रष्टाचार के प्रकरण की जांच की मांग करता हूं ।]

सहारनपुर की पुलिस द्वारा एक ही बिरादरी के लोगों को मारने-पीटने तथा आतंकित करने के सम्बन्ध में नियम 110 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 110 में माननीय राम शरण दास ने सहारनपुर पुलिस द्वारा एक ही बिरादरी के लोगों को मारने-पीटने तथा आतंकित करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव दिया है, उसे आवश्यक कार्यवाही के लिये सरकार को भेज रहा हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री गौरी शंकर भइया--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 13 लेता हूं

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1988

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 1988, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जयदीप सिंह बरार जी आप कृपया अपना संशोधन रखें ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं आप पहले सदन को तो व्यवस्थित कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रवर समिति के संशोधन का प्रस्ताव रख रहे हैं अथवा नहीं ।

(अत्यधिक शोर होने पर) (व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, पहले सदन तो व्यवस्थित कराइये ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री बदन सिंह आदि सदस्य सदन के फ्लोर पर पूर्ववत् बैठे रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय बरार जी आप अपने संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखना चाहते हैं इसलिये अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, पहले सदन को तो व्यवस्थित कराइये, तभी तो बोलूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(व्यवधान)

खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1988

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त नाम—1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन—2—उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में, उपधारा (2) में, द्वितीय परन्तुक में, शब्द "बीस वर्ष" के स्थान पर शब्द "चालीस वर्ष" रख दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1988, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 32 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
2 मई, 1988 ई0

माल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए ता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 9वें सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सख्या 1 के उत्तर का संलग्नक :

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	टिप्पणी
1	2	3
1	नाइट विजन डिवाइसेज	'अपट्रान'' ने लेटर आफ इन्टेट प्राप्त कर लिया है । तकनीकी स्थानान्तरण के लिय अनुबंध किया जा रहा है । प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है । रक्षा मंत्रालय के अनुरोध से इस इकाई की लागत 1000 लाख रुपये से बढ़ाकर 3786 लाख रुपये करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।
2	कार्डलेस टेलीफोन	भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है । भवन निर्माण विचाराधीन है । इसका लेटर आफ इंटेन्ट भी प्राप्त हो गया है । इस यंत्र का प्रारूप दूर संचार अनुसंधान केन्द्र के अनमोदनार्थ भेजा गया है ।
3	ट्रान्स, रिसीवर, सरविलेन्स उपकरण	योग्य उद्यमी का चयन किया जा चुका है । इसके प्रारूप का रक्षा यंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जाना है ।
4	इलेक्ट्रानिक्स कवार्ट्ज क्लाक एवं मूवमेन्ट	डी० जी० टी० डी० में पंजीकरण कराया जा चुका है । योग्य उद्यमी के चयन के लिये वार्ता चल रही है ।
5	कम्प्यूटर रिबन केबल्स	लेटर आफ इन्टेन्ट प्राप्त किया जा चुका है । योग्य उद्यमी का चयन अभी नहीं किया जा सका है ।
6	इलेक्ट्रानिक्स आर्गन्स	योग्य उद्यमी का अभी तक चयन नहीं किया जा सका है ।
7	टू-इन-वन्स कैसेट टेप रिकार्डर एवं डुप्लीकेशन	इस इकाई में उत्पादन शुरू हो चुका है ।
8	इलेक्ट्रानिक स्युइंग मशीन	केवल मार्केट सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है । मार्केट बायबिलिटी को देखते हुये पुनः विचार किया जा रहा है ।
9	फेसिमाइल उपकरण	योग्य उद्यमी का चयन किया जा रहा है । विदेशी तकनीकी सहयोग अभी तय नहीं हो पाया है ।

1	2	3
10	इलेक्ट्रानिक्स ट्वायज	इलेक्ट्रानिक्स ट्वाय परियोजना के लिय निजी क्षेत्र में प्रोडक्शन प्रोग्राम एप्रूवल प्राप्त हो चुका है । इस इकाई को निजी क्षेत्र में लगाया जाना है ।
11	इमरजेन्सी लाइट बैटरी चार्जर पोर्टेबल क्लीनर	इस इकाई का प्रोडक्शन प्रोग्राम एप्रूवल इमरजेन्सी लाइट बटरी चार्जर के लिये प्राप्त किया जा चुका है ।
12	नान कन्वेन्शनल इनरजी, इलेक्ट्रानिक्स उपकरण	प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है । एस0 आई0 ए0 पंजीकरण प्राप्त किया जा चुका है । सी0 ई0 एल0 साहिबाबाद के साथ मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैन्डिग हस्ताक्षर किया जा चुका है ।
13	इलेक्ट्रोमेडिकल उपकरण	प्रोजेकट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है । विदेशी तकनीकी सहयोग अभी तय नहीं हो पाया है ।
14	कम्प्यूटर कलस्टर कन्ट्रोलर	प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है एवं आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन पुनः किया जा रहा है ।
15	ऐन्सलरी इलेक्ट्रानिक्स पुश बटन टलीफोन	उद्यमी का चयन अभी नहीं किया गया है ।
16	फोटो डायोड	आर्थिक सार्थकता का पुनः बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है ।
17	निकिल कैडमियम, रिचार्जेबिल सेल	एस0 आई0 ए0 को लेटर आफ इंटेन्ट के लिये प्रार्थना-पत्र भेजा गया है । योग्य उद्यमी का चयन किया जा रहा है ।
18	रेडियो एसेम्बलो एवं अन्य इलेक्ट्रानिक्स उपकरण	यह यूनिट 'अपट्रान' के लिये रेडियो सेट्स बना रही थी । इसको जो रु0 11,000 की अग्रिम धनराशि दी गयी थी, उसका लेखा-परीक्षा जोखा प्राप्त नहीं हुआ है ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

बी0 के0 टी0 क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालय व अध्यापक एवं छात्र संख्या का विववरण

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	अध्यापक संख्या	छात्र संख्या	क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम	अध्यापक संख्या	छात्र संख्या
1	2	3	4	1	2	3	4
1	डेरवा	2	77	36	उनौस	2	45
2	लोधपुरवा	3	37	37	चन्दनापुर	2	86
3	उसरना	2	80	38	गोधना	2	74
4	कुसहरवा	2	106	39	रेवामऊ	2	73
5	पसुखनवा	22	78	40	सुरजपुरवागढ़	3	60
6	परसहिया	2	49	41	असनहा	3	97
7	अलदमपुर	2	49	42	सिवरी	2	51
8	महिसवा	2	48	43	मगरचोरवा	3	114
9	मगोना	3	80	44	अरम्बा	2	53
10	इटौजा	6	185	45	बसहा	2	129
11	बेरवा	2	91	46	बीबेपुर	2	70
12	ढिलवारी	2	50	47	नरोसा	3	124
13	भगवतीपुर	2	63	48	मुस्पिपरी	2	86
14	पहाऊपुर	3	61	49	लालपुर	3	102
15	अमामीगंज	2	84	50	खन्हारी	2	47
16	इटौजा	11	491	51	महोना	7	201
17	महोना	4	80	52	टिकर्स	2	90
18	अठेसुआ	5	181	53	खमखनवा	2	53
19	अमानीगंज	4	140	54	दरियापुर	2	47
20	उसरना	6	228	55	बिन्दौस	1	63
21	गुलालपुर	2	79	56	लौधौली	2	68
22	कुम्मरावां	4	119	57	सरावां	2	45
23	बलिया	3	85	58	हिम्मतपुर	3	101
24	जालिमपुर	3	117	59	दरांवा	2	77
25	पहाड़पुर	5	189	60	बसरऊ	2	60
26	बाहरगांव	2	103	61	दौलतपुर	2	61
27	मड़सर	2	53	62	राजासलेमपुर	1	59
28	बेलवा	3	127	63	मोहम्मदपुरगढ़ी	2	50
29	मदिगवां	4	135	64	हनुमन्तपुर गढ़ी	3	85
30	सरसवां	3	100	65	तारामपुर	2	34
31	रामपुर बाबू	2	73	66	पिकामऊ	2	44
32	सयदामू	2	70	67	हरदौरपुर	4	170
33	अतरौरा	2	42	68	कमलापुरी	2	58
34	मोहनखुर्द	2	60	69	अधारखेड़ा	2	30
35	इदारा	3	121	70	दुधरा	2	81

1	2	3	4	1	2	3	4
71	भवानीपुर	2	77	108	पारा	1	43
72	सरगपुर मैरया	3	155	109	भैसामऊ	4	129
73	देवरीसपरा	2	61	110	रगौली	3	76
74	बरगही	4	139	111	कउरिया	4	126
75	भवली	3	129	112	अर्जुनपुर	5	183
76	अर्जुनपुर	3	107	113	कल्यानपुर	4	140
77	हिंसामऊ	2	63	114	देवरीसूखास	2	61
78	इन्दौशबाग	3	102	115	बहादुरपुर	2	62
79	अस्ती	1	52	116	रामपुर राजा	5	101
80	गोखामऊ	2	37	117	राजापुर	3	154
81	सोनवा	2	60	118	कोटवा	3	119
82	रायपुर राजा	2	91	119	बेहटा	7	298
83	भिड़गांव	2	101	120	बठौली	4	108
84	रुदही	5	159	121	मउली	4	129
85	दौशबाग	2	54	122	सरैया	7	280
86	सेसारपुर	2	71	123	सीवा	2	102
87	निहामऊ	3	100	124	पलक	2	140
88	अस्ती	3	148	125	सोनवा	2	114
89	उन्दौसबाग	5	151	126	शुरम्बा	4	119
90	गोरवामऊ	2	54	127	मुशलीपुरवा	1	41
91	मोहनकलां	1	54	128	रसूलपुरसादात	2	82
92	कड़वारा	4	203	129	गोउला	3	127
93	भड़ियांव	4	101	130	पी0 के0 डी0	14	518
94	पंकजागिरि	4	175	131	रामपुरदेवरई	5	184
95	बरहिया	2	86	132	पालपुर	2	84
96	शिवपुरी	3	103	133	बसुहा	2	70
97	पैकरामऊ	4	163	134	अकोहरी	3	84
98	भवसंपुर	2	65	135	घरौड़ा	2	55
99	रसूलपुरकायस्त	3	106	136	सीमीपुर	2	50
100	बसखीमपुर	2	58	137	नन्दा	2	140
101	चन्द्रकोपुर	5	194	138	मिश्रपुर	4	72
102	कपासी	2	75	139	भरतपुरबरगदी	5	190
103	अचराम	3	156	140	परवतपुर	2	61
104	कोइलीपुरवा	3	54	141	मिलरी	1	40
105	भाखामऊ	1	38	142	सुखड़ी	2	63
106	नगवामऊ	3	110	143	गोडियनपुरवा	4	140
107	पसहा	3	98				

नत्थी "ग"

(देखिए अता0 प्र0सं0 82 का उत्तर पीछे पृष्ठ 59—पर)

परिशिष्ट (क)

विकास क्षेत्र मांट के विद्यालयों की स्थिति

क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या	कम/अधिक	समायोजित करने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	प्रा0 गढ़ी आशा	104	2	कम—1	वर्ष 88—89 में जुलाई, 1988 तक समायोजित कर दिया जायेगा।
2	प्रा0 धौकला वास	67	1	कम—1	
3	प्रा0 नसीटी	188	4	कम—1	
4	प्रा0 अकबरपुर—II	199	4	कम—1	
5	प्रा0 मनौकावास	95	3	कम—1	
6	प्रा0 मदनवारा	196	3	कम—2	
7	प्रा0 नयावास	140	3	कम—1	
8	प्रा0 नं0 जगरूपा	44	1	कम—1	
9	प्रा0 जरारा	82	1	कम—1	
1	प्रा0 जवारा	118	4	अधिक—1	
2	प्रा0 दरवै	136	6	अधिक—3	
3	प्रा0 जैसवां	245	7	अधिक—1	
4	प्रा0 अरुआ	100	4	अधिक—1	
5	प्रा0 मांट—II	113	6	अधिक—3	
6	प्रा0 कुडवारा	72	3	अधिक—1	
7	प्रा0 नसीटी—II	82	3	अधिक—1	
8	प्रा0 आयाराखेड़ा—II	219	7	अधिक—2	
9	प्रा0 नीवगांव—I	141	5	अधिक—1	
10	प्रा0 हुमायूं	112	4	अधिक—1	
11	प्रा0 मुसरिया	111	3	अधिक—1	
12	प्रा0 विद्यावली	134	4	अधिक—1	
13	प्रा0 नीवगांव	121	4	अधिक—1	
14	प्रा0 पानीगांव	217	8	अधिक—3	
15	प्रा0 सूरज	171	6	अधिक—2	
16	प्रा0 डहरआ	109	4	अधिक—1	
17	प्रा0 दीवानाकलां	125	4	अधिक—1	
18	क0प्रा0 दीवानाकलां	86	4	अधिक—2	
19	प्रा0 ज0 जगरूपा	90	4	अधिक—2	
20	प्राक0 जसारा	94	3	अधिक—1	
21	क0 प्रा0 न0 पाती	74	3	अधिक—1	
22	प्रा0 राममगहा	87	3	अधिक—1	
23	क0 प्रा0 सेहरा	73	3	अधिक—1	
24	प्रा0 इरौल कुमारदार	81	3	अधिक—1	

उत्तर प्रदेश संवाद

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न सं0 84 का उत्तर पीछे पृष्ठ 60.....पर)।

बी0 के0 टी0 क्षेत्र के प्राइमरी विद्यालय व अध्यापक एवं छात्र संख्या का विवरण:

क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	अध्यापक संख्या	छात्र संख्या	क्रम-सं0	विद्यालय का नाम	अध्यापक संख्या	छात्र संख्या
1	2	3	4	1	2	3	4
1	डेरवा	2	77	34	मोहनखुर्द	2	60
2	लोघपुरवा	3	37	35	इदारा	3	121
3	उसरना	2	80	36	उनौस	2	45
4	कुसहरवा	2	106	37	चन्दनापुर	2	86
5	पसखनवा	20	78	38	गोघना	2	74
6	परसहिया	2	49	39	रेवामऊ	2	73
7	अलदमपुर	2	49	40	सुरजपुरवागढ़	3	60
8	महिसवा	2	48	41	असनहा	3	97
9	भगोना	3	80	42	सिवरी	2	51
10	इटौजा	6	185	43	मगरचोरवा	3	114
11	बेरवा	2	91	44	अरम्बा	2	53
12	ढिलवारी	2	50	45	बसहा	2	129
13	भगवतीपुर	2	63	46	बीबीपुर	2	70
14	पहाऊपुर	3	61	47	नरोसा	3	124
15	अमामीगंज	2	84	48	मुस्पिपरी	2	86
16	इटौजा	11	491	49	लालपुर	3	102
17	महोना	4	80	50	खन्हारी	2	47
18	अठेसुवा	5	181	51	महोना	7	201
19	अमानीगंज	4	140	52	टिकर्स	2	90
20	उसरना	6	228	53	खमखमवा	2	53
21	गुलालपुर	2	79	54	दरियापुर	2	47
22	कुम्भरावां	4	119	55	विन्दौस	1	63
23	बलिया	3	85	56	लौघौली	2	68
24	जालिमपुर	3	117	57	मरावां	2	45
25	पहाड़पुर	5	189	58	हिम्मतपुर	3	101
26	बाहरगांव	2	103	59	दरांवा	2	77
27	भड़सर	2	53	60	बसरऊ	2	60
28	बेलवा	3	127	61	दौलतपुर	2	61
29	भदिगवां	4	135	62	राजासलेमपुर	1	59
30	सरसवां	3	100	63	मोहम्मदपुर गढ़ी	2	50
31	रामपुरवाबू	2	73	64	हनुमन्तपुर गढ़ी	3	85
32	सयदामू	2	70	65	तारामपुर	2	34
33	अतरौरा	2	42	66	पिकामऊ	2	44

1	2	3	4	1	2	3	4
67	हरदौरपुर	4	170	106	नगवामऊ	3	110
68	कमलापुरी	2	58	107	पसहा	3	98
69	अघ:रखेड़ा	2	30	108	पारा	1	43
70	दुधरा	2	81	109	भैसामऊ	4	129
71	भवानीपुर	2	77	110	रगौली	3	76
72	सरगपुर मैरया	3	155	111	कउंरिया	4	126
73	देवरीसपरा	2	61	112	अर्जुनपुर	5	183
74	बरगदी	4	139	113	कल्यानपुर	4	140
75	भवली	3	129	114	देवरीसूखास	2	61
76	अर्जुनपुर	3	107	115	बहादुरपुर	2	62
77	हिसामऊ	2	63	116	रामपुर राजा	5	101
78	इन्दौशबाग	3	102	117	राजापुर	3	154
79	अस्ती	1	52	118	कोटवा	3	119
80	गोखामऊ	2	37	119	बेहटा	7	208
81	सोनवा	2	60	120	बठौली	4	108
82	रायपुर राजा	2	91	121	मऊली	4	129
83	भिड़गांव	2	101	122	सरैया	7	280
84	रुदहो	5	159	123	सीवा	2	102
85	दौशबाग-2	2	54	124	पलक	2	140
86	सेसारपुर	2	71	125	सोनवा	2	114
87	निहामऊ	3	100	126	शुरम्बा	4	119
88	अस्ती	3	148	127	मुशलीपुरवा	1	41
89	उन्दौसबाग	5	151	128	रसूलपुर सादात	2	82
90	गोरवामऊ	2	54	129	गोउला	3	127
91	मोहनकला	1	54	130	पी0 के0 डी0	14	518
92	कड़वारा	4	203	131	रामपुर देवरई	5	184
93	भड़ियाव	4	101	132	पालपुर	2	84
94	पंकजागिरि	4	175	133	बसुहा	2	70
95	बरहिया	2	86	134	अकोहरी	3	84
96	शिवपुरी	3	103	135	धरौड़ा	2	55
97	पंकरामऊ	4	163	136	सीमीपुर	2	50
98	भवसीपुर	2	65	137	नन्दा	2	140
99	रसूलपुर कायस्त	3	106	138	मिश्रपुर	4	72
100	बतखीमपुर	2	58	139	भरतपुर डरगदी	5	190
101	चन्दाकोपुर	5	194	140	परवतपुर	2	61
102	कपासी	2	75	141	मिनरी	1	40
103	अचराम	3	156	142	सुखड़ी	2	63
104	कोहर्लपुरवा	3	54	143	गोडियनपुरवा	4	140
105	शखमऊ	1	38				

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 96 का उत्तर पीछे पृष्ठ------63---पर)

विधानसभा के प्रथम सत्र 1988 के नवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर में संदर्भित परिशिष्ट

क्रम-संख्या	प्रवक्ता का नाम	शैक्षिक योग्यता	स्नातक स्तर के विषय	कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति के अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5
1	श्री अमरनाथ सिन्हा	एम0ए0फिलोसफी (एम ए0(मनोविज्ञान) बी0 एड0	सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, दर्शन शास्त्र	3-5-74
2	श्रीमती के0 एस0 सेंगर	एम0 ए0 (समाजशास्त्र) बी0 एड0	सामान्य हिन्दी, इतिहास, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र	3-5-74
3	श्री टी0 एल0 कटियार	एम0ए0(मनोविज्ञान) एम0 एड0	सामान्य अंग्रेजी, समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान, सैन्य विज्ञान	13-2-75
4	श्री के0 एस0 कुशवाहा	एम0 ए0 (भूगोल) एम0 एड0	सामान्य अंग्रेजी, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, भूगोल	1-4-75
5	श्री पी0 आर0 वर्मा	एम0 ए0(शिक्षाशास्त्र) एम0 एड0 एम0फिल	भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित	3-5-74
6	श्री आर0 ए0 शर्मा	एम0 ए0(हिन्दी)एम0एड0	हिन्दी, अंग्रेजी, साहित्य अंग्रेजी भाषा, अर्थशास्त्र	13-2-75

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 68 पर)

विधान सभा 1988 के 9 वें सोमवार (2 मई, 1988) के लिये निर्धारित श्री कुशलपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर का संलग्नक

अतारांकित प्रश्न संख्या 110 के उत्तर में संदर्भित दोनों शिकायती-पत्रों पर सहायक निदेशक (सांख्यकी), प्रौढ़ शिक्षा द्वारा की गयी जांच पर आधारित उनकी आख्या के अनुसार बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:—

(1) वर्ष 1987-88 में विकास खन्ड छाता में जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये उनमें कतिपय केन्द्र बड़े गांवों के मजरों या मोहल्लों में खोले गये। परियोजना छाता के 300 केन्द्रों की चक्रमुद्रित सूची में उन केन्द्रों के नाम गांव के मजरे मुहल्ले सहित लिखे गये हैं। तहसील और ब्लाक के रिकार्ड में इनके नाम किस प्रकार लिखे हैं यह सत्यापित करना सम्प्रति संभव न हो सका।

(2) जी हां। एक ही गांव में कई कई प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये और उन पर एक-एक अनुदेशक/अनुदेशिका नियुक्त किये गये। उन गावों की आबादी 1981 की जनगणना के अनुसार काफी बड़ी है जहां एक से अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले जाने आवश्यक हैं।

(3) जिन गांवों में निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण पुरुष या कक्षा आठ पास महिला उपलब्ध नहीं हुई उन गावों में निर्धारित योग्यता शिथिल करते हुए कक्षा 5 पास महिला और कक्षा 8 पास पुरुष अनुदेशकों को नियुक्त किया गया। इस प्रकार योग्यता शिथिल करते हुए विकास खन्ड छाता में दो पुरुष और 4 महिला अनुदेशक नियुक्त हुए। उनमें कम योग्यता वाले व्यक्ति नियुक्त नहीं किये गये।

(4) अपने गांव से दूर दूसरे गांव में 4 अनुदेशक एक अनुदेशिका नियुक्त की गयी। प्रभारी परियोजना अधिकारी श्री बृजेन्द्र पाल सिंह की एक रिश्तेदार सुमन कुमारी ग्राम राम-नगर में अनुदेशिका नियुक्त थी क्योंकि वह उसी गांव में ब्याही हैं।

(5) मानदेय से 272 अनुदेशकों के लिये पोस्ट आफिस से अल्प बचत-पत्र क्रय किये गये। 200-200 रुपये के बचत-पत्र 270 अनुदेशकों के लिये क्रय हुए। केवल 2 अनुदेशकों के 100-100 रुपये के क्रय किये गये। 28 अनुदेशकों के लिये कोई अल्प बचत-पत्र क्रय नहीं किये गये यह अल्प बचत-पत्र वर्ष 1986-87 के अनुदेशकों हेतु क्रय किया गया था।

(6) सहायक परियोजना अधिकारी श्री बृजेन्द्र पाल सिंह द्वारा कार्यालय में स्थायी निवास बनाया गया। स्थलीय जांच से यह पता चला कि परियोजना कार्यालय छाता डा0 गिरि-राज शरण सिंह के भवन में है जिसमें डा0 सिंह का दवाखाना है और एक भाग में उनका परिवार रहता है। ऊपर की मंजिल पर गन्ना अधिकारी का कार्यालय है और नीचे के खन्ड में पीछे परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा का कार्यालय है। इस बड़े भवन के एक हिस्से में परियोजना अधिकारी रहते थे और वे किराया डा0 सिंह को सीधे देते थे। श्री बृजेन्द्र पाल सिंह का जुलाई, 1987 में स्थानान्तरण कर दिया गया था।

(7) सितम्बर, 1986 में दिल्ली के लिये कोई यात्रा लागबुक में नहीं लिखी है। अक्तूबर, 86 में 1 बार, नवम्बर, 86 में 2 बार तथा दिसम्बर, 86 में 1 बार लिखी है। इस परियोजना की जीप जब अलीगढ़ से दिल्ली गयी, जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी आगरा/अलीगढ़ द्वारा यह यात्रा सत्यापित की गयी। सवारी ढोने का कोई प्रमाणप-त्र नहीं मिला।

(8) शेरगढ़ गांव में 1986-87 में 10 नई वरन 12 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये थे। शेरगढ़ बांगर नाम के गांव में 8001 आबादी है। इसलिये यहां पर 12 केन्द्र चल सकते हैं।

जांच के समय श्री लक्ष्मीचन्द्र चौहान, अध्यक्ष समाज सुधारक संघ, शेरगढ़, मथुरा ने लिखकर यह दिया है कि जो शिकायत 1986-87 के केन्द्रों को दी थी अब कोई शिकायत नहीं है। जिन्होंने शिकायत दी थी श्री विनोद कुमार गोयल अब आगरा में रह रहे हैं। श्री बृजेन्द्र पाल सिंह, सहायक परियोजना अधिकारी, छाता जो परियोजना अधिकारी का कार्यभार संभाले हुए थे उनका स्थानान्तरण जुलाई, 1987 में कर दिया गया है वे कार्यभार सौंप कर अलीगढ़ चले गये हैं।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 127 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)।

जनपद मैनपुरी में विकास खण्ड वार बने एवं चालू संयंत्रों के विवरण

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	वर्ष 1986–87		वर्ष 1987–88	
		बने संयंत्रों की संख्या	चालू संयंत्रों की संख्या	बने संयंत्रों की संख्या	चालू संयंत्रों की संख्या
1	सुल्तानगंज	39	4	16	9
2	करहल	40	15	16	2
3	कूरावली	40	10	16	1
4	मदनपुर	40	36	19	10
5	जसराना	40	14	16	..
6	शिकोहाबाद	40	3	16	..
7	किश्नी	40	10	16	8
8	एका	40	19	16	..
9	रवैरगढ़	39	5	16	7
10	मैनपुरी	40	35	19	6
11	बेवर	40	28	19	9
12	जागीर	40	5	16	..
13	अरांव	40	16	16	14
14	बरनाहल	40	35	16	14
15	घिरोर	42	25	16	3
	योग ..	600	260	249	83

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर) ।

संलग्न सूची

क्र0 सं0	कृषक	पंजीकरण की तिथि	कार्य आरंभ करने की तिथि
1	श्री निशान सिंह	6-4-87	4-5-87
2	श्री वीरेन्द्र सिंह	19-5-87	27-9-87
3	श्री सुखवेन्दर सिंह	3-8-87	29-11-87
4	श्री अजय सिंह	4-8-87	10-9-87
5	श्री प्रमोद कुमार	13-10-87	9-10-87
6	श्री धर्म सिंह	13-10-77	1-10-87
7	श्री विश्वम्भर दयाल	13-10-87	17-10-87
8	श्रीमती बीरा सिंह	13-10-87	18-1-87
9	श्री नरेन्द्र सिंह	13-10-87	..
10	श्री चन्द्रभाल सिंह	14-10-87	..
11	श्री धनपाल सिंह	19-10-87	..
12	श्री सिवेन्द्र बहादुर सिंह	6-11-87	..
13	श्री चूर सिंह	3-12-87	15-12-87
14	श्री गुलाब चन्द्र	3-12-87	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—14 वि0 सभा—1988-813 (मोनो)